



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 28, 1976 (भाद्रपद 6, 1898)
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 28, 1976 (BHADRA 6, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1 PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

(Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India)

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 9 जुलाई 1976

सं० ए० 32014/2/76-प्रशा० 1 :—इस कार्यालय की संमसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 अप्रैल, 1976 में आंशिक संशोधन करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के स्थायी वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० संवर्ग का ग्रेड-सी०) श्री के० सुन्दरम को राष्ट्रपति द्वारा अतिरिक्त सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक के लिए (उनके लिए व्यक्तिगत रूप में) स्वीकृत वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद पर 2-5-1976 से 30-6-1976 तक की अवधि के लिए (1-4-1976 से 30-4-1976 तक की अवधि में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करते हुए 1-5-1976 को एक दिन के सेवा-भंग के बाद) वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड बी०) के पद पर पूर्णतः अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

प्र० ना० मुखर्जी
अवर सचिव

1-216GI/76

मंत्रीमंडल सचिवालय

(कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 1976

सं० ए० 19034/1/76-प्रशासन-5 :—दिनांक 19 जून, 1976 से उप-केन्द्रीय आसूचना अधिकारी, केन्द्रीय अंगुलि-छाप ब्यूरो, कलकत्ता का पद बदलकर पुलिस उप-अधीक्षक (एफ० पी०) हो जाने पर, श्री वाई० दीक्षितूलू, उप-केन्द्रीय आसूचना अधिकारी, केन्द्रीय अंगुलि-छाप ब्यूरो दिनांक 19 जून, 1976 से पुलिस उप-अधीक्षक (एफ० पी०) के रूप में नियुक्त करते हैं।

गुलजारी लाल अग्रवाल
प्रशासन अधिकारी (स्था०)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 31 जुलाई 1976

सं० ए० 35018/6/75-प्रशा०-1 :—पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, गुजरात राज्य

(7469)

पुलिस के अधिकारी श्री आई० यू० पठान को दिनांक 10-4-76 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना प्रभाग, अहमदाबाद शाखा में अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति पर पुलिस निरीक्षक नियुक्त करते हैं।

वी० पी० पाण्डे
प्रशासन अधिकारी
कृते पुलिस उप-महानिरीक्षक
विशेष पुलिस स्थापना

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 1976

सं० 1/3/76-प्रशासन—केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्द्वारा श्री यू० एस० जोशी (आई० आर० एस०) उप सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, को अपराह्न 27 जुलाई, 1976 से अगले आदेश तक आयोग में स्थानापन्न रूप से निदेशक नियुक्त करते हैं।

चन्द्रमणी नारायणास्वामी
उप सचिव
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 जुलाई 1976

सं० ओ०-दो-881/69-स्थापना—श्री सन्त राम ने उनकी वाढ्य की आयु की प्राप्ति पर संयुक्त सहायक निदेशक (लेखा) केन्द्रीय वेतन लेखा एकक, महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल, नई दिल्ली के पद का कार्यभार 30-6-76 अपराह्न को त्याग दिया।

दिनांक 30 जुलाई 1976

सं० ओ०-II-147/76-स्थापना:—राष्ट्रपति श्री पी० एन० मेहरा (अवकाश प्राप्त) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में सहायक कमाण्डेन्ट के पद पर आगामी आदेश जारी होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते हैं।

श्री मेहरा ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के महानिदेशालय नई दिल्ली में दिनांक 16-7-76 के पूर्वाह्न से सहायक कमाण्डेन्ट का कार्यभार संभाला।

दिनांक 31 जुलाई 1976

सं० ओ०-II-1032/75-स्थापना:—महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल डाक्टर श्रीमति ज्योतसनमाय नायक को तदर्थ रूप में केवल 3 माह के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर उनको 4-7-76 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

दिनांक 2 अगस्त 1976

सं० ओ०-II-1033/75-स्थापना:—महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल डाक्टर श्रीमति श्यामा रैना को तदर्थ रूप में केवल 3 माह के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर उनको 8-6-76 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

सं० ओ०-II-1040/76-स्थापना:—महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल डाक्टर एम० श्रीनिवासा रेड्डी को तदर्थ रूप में केवल 3 माह के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर उनकी 16-7-76 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

सं० ओ०-II-1038/75-स्थापना:—महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल डाक्टर श्रीमति ऊषा जैन को तदर्थ रूप में केवल 3 माह के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर उनको 21-7-76 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

सं० ओ०-II/1040/76-स्थापना :—महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल डाक्टर चौधरी केशोरोद चन्द्रा दास को तदर्थ रूप में केवल 3 माह के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर उनको 19-5-76 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

ए० के० बन्धोपाध्याय
सहायक निदेशक प्रशासन

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 जुलाई 1976

सं० 12/5/74-म० प० (प्रशा० एक) —राष्ट्रपति, इस कार्यालय की अधिसूचना सं० 12/5/74-प्रशा० एक तारीख 11 फरवरी, 1976 के अनुक्रम में श्रीमती कृष्णा चौधरी को सहायक महापंजीकार (भाषा) के कार्यालय में भाषाबिद् के पद पर तदर्थ नियुक्ति को 12 जुलाई, 1976 से एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाएगा, जो भी समय इनमें से कम हो, सहर्ष और बढ़ाते हैं।

दिनांक 3 अगस्त 1976

सं० 25/101/72-म० प० (प्रशा० एक) —श्री जी० एम० सिंहा ने पदेन निदेशक जनगणना कार्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद का कार्यभार 30 जुलाई, 1976 के पूर्वाह्न से छोड़ दिया।

बद्री नाथ
भारत के उप महापंजीकार
तथा पदेन उप सचिव

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग

महालेखाकार का कार्यालय, बिहार

रांची-834002, दिनांक 30 जुलाई, 1976

महालेखाकार बिहार, अपने कार्यालय के श्री नभेन्द्र किशोर मंडल स्थायी अनुभाग अधिकारी को इसी कार्यालय में दिनांक 13-7-76 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर सहर्ष पदोन्नत करते हैं।

महालेखाकार, बिहार, अपने कार्यालय के श्री प्रमथ नाथ राय स्थायी अनुभाग अधिकारी को इसी कार्यालय में दिनांक 15-7-76 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर सहर्ष पदोन्नत करते हैं।

ह० अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा०)
बिहार

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महा नियंत्रक

नई दिल्ली-22, दिनांक 2 अगस्त 1976

सं० 40011 (2) /76-प्रशा० ए० :—(1) वार्धक्य की आयु प्राप्त कर लेने पर निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने लिखी तारीख के अपराह्न से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जायेगा।

क्रम सं०	नाम, रोस्टर संख्या सहित	ग्रेड	पेंशन स्थापना को अन्तरण की तारीख	संगठन
1.	सर्व श्री के० लक्ष्मी नारायणन (पी०/25)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-1-77	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पूना।
2.	पी० मित्रा (पी०/116)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-1-77	रक्षा लेखा नियंत्रक, (फैक्ट्रीज) कलकत्ता।
3.	अमरेश सेन (पी०/173)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-1-77	रक्षा लेखा नियंत्रक, (वायु सेना) देहरादून।
4.	बन्सी लाल आनन्द (पी०/403)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-1-77	रक्षा लेखा नियंत्रक, (वायु सेना) देहरादून।
5.	बी० के० मुत्थू स्वामी (पी०/598)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-1-77	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पूना।
6.	ए० के० चटर्जी (पी०/640)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-1-77	रक्षा लेखा नियंत्रक, (फैक्ट्रीज) कलकत्ता।
7.	एम० एल० धर (ओ/392)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-1-77	रक्षा लेखा नियंत्रक, (फैक्ट्रीज) कलकत्ता।

(2) रक्षा लेखा महा नियंत्रक, श्री बी० गोपालन स्थानापन्न लेखा अधिकारी (रोस्टर संख्या ओ/45) जो कि रक्षा लेखा नियंत्रक दक्षिणी, कमान, पूना के संगठन में सेवारत थे, के 15-7-76 को हुए निधन को खेद के साथ अधिसूचित करते हैं।

तदनुसार श्री बी० गोपालन को 16-7-76 (पूर्वाह्न) से विभाग की नफरी से निकाल दिया गया है।

(3) सिविल सेवा विनियमावली जिल्द 1 के अनुच्छेद 459 (क्ष) के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति का नोटिस दे दिये जाने पर रक्षा लेखा नियंत्रक पश्चिमी कमान, मेरठ के संगठन में सेवारत श्री एच० डी० शर्मा स्थायी लेखा अधिकारी (रोस्टर संख्या पी० 445) को 19 अक्टूबर, 1976 पूर्वाह्न से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जायेगा।

श्री एच० डी० शर्मा को 21-6-76 से 18-10-76 तक अर्जित छुट्टी और 19-10-76 से 22-10-76 तक स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति के बाद तक अर्ध वेतन छुट्टी मंजूर की गई।

एस० बी० सुब्रह्मण्यन्,
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आयात-निर्यात व्यापार नियंत्रण
(स्थापना)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त, 1976

सं० 6/1141/76-प्रशासन (राज०) /5051:—
राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वर्ग 2 के स्थायी आशुलि-
पिक, श्री टी० एम० राजागोपाल को जो कि वाणिज्य मंत्रालय
में कार्य कर रहे हैं, दिनांक 15 जुलाई, 1976 के दोपहर
पूर्व से आगे आदेश होने तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने के
लिए वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (केन्द्रीय सचिवालय सेवा
के वर्ग 1) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 6/773/65-प्रशा० (राज०) /5062:—सेवा निवृत्ति
की आयु होने पर, श्री वी० आर० पिल्लै ने उप-मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात के कार्यालय, एर्नाकुलम में 30 जून, 1976
के दोपहर बाद से नियंत्रक, आयात-निर्यात के पद का कार्यभार
छोड़ दिया।

सं० 6/533/58-प्रशा० (राज०) /5072 :—राष्ट्रपति,
श्री ए० रामचन्द्रन, केन्द्रीय सचिवालय सेवा की प्रवरण श्रेणी
के स्थानापन्न अधिकारी तथा उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
को दिनांक 21-5-76 (दोपहर पूर्व) से 60 दिन की अवधि
के लिए इस कार्यालय में स्थानापन्न संयुक्त मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात के रूप में कार्य करते रहने के लिए स्वीकृति
प्रदान करते हैं।

ए० एस० गिल
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय
(प्रशासन शाखा-1)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई, 1976

सं० प्र०-1/1(1052) :—राष्ट्रपति, पूर्ति तथा निपटान
महानिदेशालय, नई दिल्ली में वरिष्ठ आर्थिक अन्वेषक
श्री आर० के० सैक्सेना को दिनांक 15 जुलाई, 1976 के पूर्वाह्न
से आगामी आदेशों के जारी होने तक इसी महानिदेशालय
नई दिल्ली में मशीन एवुलेशन अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार
पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 28 जुलाई 1976

सं० प्र०-1/1(1032) :—राष्ट्रपति ने इस महानिदेशा-
लय में अस्थायी सहायक निदेशक (ग्रेड-1) (पशिक्षण आरक्षी)
श्री जमील अहमद द्वारा दिये गये त्याग पत्र को दिनांक 13-7-
1976 के अपराह्न से स्वीकार कर लिया है।

2. श्री जमील अहमद ने त्यागपत्र के स्वीकार हो जाने
पर इस महानिदेशालय में दिनांक 13-7-76 के अपराह्न से

सहायक निदेशक (ग्रेड-II) का पदभार छोड़ दिया है ताकि
वे संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 1975 के परिणाम के आधार पर
केन्द्रीय सेवा श्रेणी-1/भारतीय पुलिस सेवा में चुने जाने पर
लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकडमी मंसूरी में प्रशिक्षण
हेतु रिपोर्ट कर सकें।

के० एल० कोहली
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

हस्तात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता, दिनांक 29 जुलाई, 1976

सं० 40/59/सी०/19 ए० :—श्री एस० एन० राय के
तदर्थ सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद को भारतीय भूवैज्ञा-
निक सर्वेक्षण में, आगामी आदेश होने तक 1-6-1976 के पूर्वाह्न
से नियमित किया जाता है।

श्री एस० एन० राय सहायक प्रशासनिक अधिकारी तदर्थ
नियुक्त के पद को 10-12-1973 से संभाले हुए थे।

सं० 2222 (ए० के० डी० जी०) /19 ए० :—भारतीय
भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भूविज्ञान)
श्री अनूप कुमार दास गुप्ता को उसी विभाग में सहायक भूवैज्ञा-
निक के रूप में वेतन नियमानुसार 650-30-740-35-810-
द० रो०-35-880-40-1000-द० रो० -40-1200 रु० के
वेतनमान में, अस्थाई क्षमता में, आगामी आदेश होने तक,
21 जून, 1976 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जाता है।

सं० 2222 (पी० आर० आर०) /19 ए० :—श्री राम-
किस्टा रेड्डी को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक भूवैज्ञा-
निक के रूप में 650 रु० माहवार के प्रारंभिक वेतन पर 650-
30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000- द० रो०
40-1200 रु० के वेतनमान में, अस्थाई क्षमता में, आगामी
आदेश होने तक, 16 जून, 1976 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया
जाता है।

बी० के० एस० वरदान
महानिदेशक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

देहरादून, दिनांक 31 जुलाई 1976

सं० स्था० 1-5117/724 एस० ओ० एस० —
श्री पुष्कर सिंह को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में सहायक भंडार
अधिकारी, सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी०' के अस्थायी पद पर

550-25-750- द० रो० -30-900 रु० के संशोधित वेतनमान में 12 जुलाई, 1976 पूर्वाह्न से अगले आदेश दिए जाने तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है।

के० एल० खोसला,
मेजर जनरल,
भारत के महासर्वेक्षक

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 76

सं० 11/14/76--स्मारक-प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष नियम, 1959 के नियम 6 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, श्रीमती देबाला मित्र, निदेशक (स्मारक) यह निदेश जारी करती हूँ कि ताजमहल, आगरा (उ० प्र०) में निम्नलिखित तिथियाँ में प्रवेश निशुल्क होगा।

24 जुलाई, 1976

सायं 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक (अर्ध, रात्रि)

25 जुलाई, 1976

सायं 2 बजे से प्रातः 5 बजे तक (दिनांक 25/26 की रात्रि)

26 जुलाई, 1976

प्रातः 7 बजे से प्रातः 4 बजे (दिनांक 26/27 रात्रि)

दे० मित्र,
निदेशक (स्मारक)

भारतीय प्राणिविज्ञान-सर्वेक्षण विभाग

कलकत्ता-12, दिनांक 30 जुलाई 1976

सं० एफ० 70-2/74-स्थापना/ 13589:—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के निम्नलिखित वरिष्ठ प्राणि विज्ञान सहायकों को उसी विभाग में अस्थाई आधार पर निर्दिष्ट दिनांकों से आगामी आदेशों तक सहायक प्राणि वैज्ञानिक के पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है।

1. श्री० ए० एस० महावल 16-7-76
2. श्री अजय कुमार मण्डल 14-7-76
3. श्री रेजौर रहमान 14-7-76

डा० स० खेरा,
संयुक्त निदेशक प्रभारी
भारतीय प्राणि सर्वेक्षण

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 1976

सं० 10/13/76-स्टाफ तीन:—महानिदेशक, आकाशवाणी श्री एस० एल० मंगला को 12-7-76 (पूर्वाह्न) से उच्च शक्ति प्रेषित, आकाशवाणी, राजकोट में वरिष्ठ इंजीनियरी सहायक के पद से पदोन्नत करके सहायक इंजीनियर के संवर्ग में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

सं० 10/36/76-स्टाफ तीन:—महानिदेशक, आकाशवाणी श्री के० सी० सरकार को 9-7-76 (पूर्वाह्न) से आकाशवाणी विशाखापटनम में वरिष्ठ इंजीनियरी सहायक के पद से पदोन्नत करके सहायक इंजीनियर के संवर्ग में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 31 जुलाई 1976

सं० 10/5/76-एस० तीन:—महानिदेशक आकाशवाणी श्री एस० एस० एल० गुप्ता की वरिष्ठ इंजीनियरी सहायक से सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति करते हैं एवं 7-7-76 (पूर्वाह्न) से उच्च शक्ति प्रेषित, जोधपुर में स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

हरजीत सिंह,
प्रशासन उपनिदेशक,
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 1976

सं० 6 (109)/63-स्टाफ एक :—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री वी० आई० लोहाकरे, प्रसारण निष्पादक, आकाशवाणी, नागपुर को 3 जुलाई, 1976 से अगले आदेश होने तक आकाशवाणी, नागपुर में कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 6 (111)/63-स्टाफ एक :—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री एस० वी० आयर, प्रसारण निष्पादक, आकाशवाणी, मद्रास को 7 जुलाई, 1976 से अगले आदेश होने तक, आकाशवाणी, मद्रास में कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रेम कुमार सिन्हा,
प्रशासन उपनिदेशक,
कृते महानिदेशक

दूरदर्शन महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 1976

सं० ऐ० 19012/37/76-एस० -2 :—महानिदेशक दूरदर्शन, श्री जी० सी० गर्ग, वरिष्ठ इंजीनियरी सहायक को 29-6-76 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ में सहायक अभियन्ता स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

रा० क० खट्टर,
प्रशासन उपनिदेशक,
कृते महानिदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 76

सं० ए० 32012/4/76-(एस० जे०) एडमिन-1 :—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री एम० एम० संगोई को 30 जून, 1976 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों तक सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में वरिष्ठ ध्यावसायिक चिकित्सक के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया है।

सं० ए० 11013/2/76 (एच० क्यू०) एडमिन-1 :—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री ए० के० श्रीवास्तव को 25 जून, 1976 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में तकनीकी अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

सं० ए० 32012/2/76 (एस० जे०)-एडमिन-1 :—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में लेखाकार श्री खूबचन्द को 28 जून, 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी अस्पताल में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है।

सं० ए० 32012/2/76 (एस० जे०) एडमिन-1 :—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में गोपनीय सहायक श्री जसबन्त राम को 28 जून, 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी अस्पताल में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

सं० ए० 12022/1/76 (सी० एस० एस० एस०) / एडमिन-1 :—राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के संवर्ग के एक ग्रेड-2 आशुलिपिक श्री एस० के० चौधरी को 15 जुलाई, 1976 के पूर्वाह्न से तीन महीनों की अवधि के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-1) के पद पर नियुक्त किया है।

सं० ए० 22013/2/76-एडमिन-1 :—राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के एक स्थायी अधिकारी श्री पी० एल० जोशी को 9 जुलाई, 1976 के पूर्वाह्न से 31 जुलाई, 1976 के अपराह्न तक 23 दिन की अवधि के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है।

राष्ट्रपति ने उपर्युक्त अवधि के लिए श्री पी० एल० जोशी को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उप निदेशक प्रशासन के पद पर भी नियुक्त किया है।

दिनांक 2 अगस्त 1976

सं० 9-21/75-एडमिन-1 :—राष्ट्रपति ने कुमारी हृषमत हक को 17 जुलाई, 1976 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों तक राजकुमारी अमृतकौर परिचर्या महाविद्यालय, नई दिल्ली में वरिष्ठ प्राध्यापक (अवरित शिक्षा) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया है।

कुमारी हृषमत हक ने वरिष्ठ प्राध्यापक (अवरित शिक्षा) के पद पर अपनी नियुक्ति हो जाने पर 17 जुलाई, 1976 के पूर्वाह्न से उसी महाविद्यालय में वरिष्ठ ट्यूटर के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

दिनांक 3 अगस्त 1976

सं० 28-12/70-एडमिन-1 :—डा० कृष्ण मोहन, सहायक निदेशक (नान मेडिकल-पशु चिकित्सक) कला-अज्ञर यूनिट, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, पटना ने 17 मार्च, 1976 से 31 मार्च, 1976 तक की अवधि के लिए अर्जित छुट्टी पर जाते समय 15 मार्च, 1976 के अपराह्न को अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया। (16 मार्च, को सरकारी छुट्टी थी)।

अर्जित छुट्टी समाप्त होने पर डा० कृष्ण मोहन एक अप्रैल, 1976 से अपने मूल विभाग नामतः कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता (पशुपालन), बिहार सरकार पटना को प्रत्यावर्तित हो गए।

सूरज प्रकाश जिन्दल
उप निदेशक, प्रशासन

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 1976

सं० ए० 32013/9/75-ई० एस० :—राष्ट्रपति ने निरीक्षक कार्यालय, बम्बई के श्री के० हिम्मत सिंह, विमान निरीक्षण, को 7 मई, 1976 से 20 मई, 1976 तक की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर और 21 मई, 1976 से तथा अगले आदेश होने तक, नियमित आधार पर उसी कार्यालय में वरिष्ठ निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है।

दिनांक 30 जुलाई 1976

सं० ए० 32013/3/75-ई० सी० :—इस विभाग की 22 जून, 1976 की समसंख्यक अधिसूचना की क्रमसंख्या 2 के स्थान पर नीचे लिखा पढ़ा जाए :—

क्र०सं० नाम	तैनाती	स्टेशन
2. श्री वी० के० वर्मा	क्षेत्रीय निदेशक, बम्बई क्षेत्र, बम्बई एयरपोर्ट, बम्बई -57	

सं० ए० 32013/8/76-ई० सी० :—राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय निदेशक, मद्रास क्षेत्र, मद्रास एयरपोर्ट, मद्रास के कार्यालय के श्री एच० एन० अय्यर, वरिष्ठ संचार अधिकारी को 18 अप्रैल, 1976 से तथा अगले आदेश होने तक तदर्थ आधार पर नियंत्रक संचार, वैमानिक संचार स्टेशन, मद्रास के पद पर नियुक्त किया है।

हरबंस लाल कोहली,
उपनिदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 1976

सं० ए० 19014/169/72 ई० एच०—राष्ट्रपति ने भारतीय सांख्यिकी सेवा ग्रेड 4 के एक अधिकारी डा० पी० सी० माथुर को 1 जुलाई, 1976 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेश होने तक इस कार्यालय में सांख्यिकी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

टी० एस० श्रीनिवासन
सहायक निदेशक प्रशासन

वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय

देहरादून, दिनांक 29 जुलाई, 1976

सं० 16/115/67-स्थापना-1 :—मूलभूत नियम 56 (जे०) के अधीन दिए गए तीन मास के नोटिस की अवधि पूरी हो जाने पर श्री मदन मोहन सिंह, सहायक मापिकी अधिकारी, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून, 30-6-1976 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

हीराबल्लभ जोशी
कुल सचिव

केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क समाहर्तलिय

पटना, दिनांक 22 जुलाई, 1976

मि० सं० 11(7)5-स्था/75/6814 :—भारत सरकार, राजस्व एवं बैंकिंग विभाग नई दिल्ली के आदेश सं० 87/76 दिनांक 10-6-76 जो पत्र सं० एफ० ए० 22012/19/76-ए० डी० - II दिनांक 10-6-76 तथा इस कार्यालय के स्थापना आदेश सं० 180/76 दिनांक 16-6-76 जिसके द्वारा इस समाहर्तलिय के तीन अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क श्रेणी 'ब०' को 700-40-900-द० रो० 40-1100-50-1300 रु० के वेतनमान सहायक समाहर्ता (निम्न वेतनमान) अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद /सीमा शुल्क श्रेणी 'अ' के रूप में स्थापनापत्र रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था इसके अनुसरण में निम्नलिखित व्यक्तियों ने तदतद स्थानों में उनके नाम के समक्ष दिखाई गई तिथियों और समय पर सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

क्रमांक नाम	पद स्थापना के स्थान	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3
1. श्री एस० बी० शरण	सहा० समा० (सुदृष्टी/ रिजर्व) (सतकर्ता एवं कल्याण के० उ० म० पटना)	18-6-76 (पूर्वाह्न)

1	2	3
2. श्री एस० एस० वर्मा	सहायक सभा० के० उ० धनबाद	30-6-76 (पूर्वाह्न)
3. श्री एस० पी० गुप्ता	सहायक समाहर्ता (तकनीकी) केन्द्रीय उत्पाद (मु०) पटना	18-6-76 (पूर्वाह्न)

मधुरे, दिनांक 31 जुलाई 1976

सं० 1/76 :—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तलिय मदुरै के निम्न लिखित कार्यालय अधीक्षकों को अगले आदेश होने तक स्थानापन्न रूप से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रु० 650-30-740-35-810 द० रो० 35-880-40-1000 द० रो० 40-1200 के वेतनमान में नियुक्त किये गये हैं। स्थान और कार्यभार संभालने की तारीख निम्न प्रकार है।

अधिकारी का नाम	नियुक्त स्थान	कार्य भार तारीख
सर्वश्री		
1. ए० ज० रत्न स्वामि	अधीक्षक एम० श्रो० आर० डिण्डुक्कल	11-2-76
2. एस० तमबुराज	अधीक्षक डिण्डुक्कल प्रिवन्टी गुरुप	21-6-76
3. एस० शामसन डेविड	अधीक्षक नागपटनम	23-6-76
4. सि० आसीर वातम	अधीक्षक पलनि एम० श्रो० आर	25-6-76
5. ए० डी० प्रकाश चन्द्रन	अधीक्षक प्रिवन्टी गुरुप डिण्डुक्कल	30-6-76
6. वि० ए० एम० जेक मोहम्मड	अधीक्षक रामनातपुरम	30-6-76
7. एस० एम० कादर हुसेन	अधीक्षक तिरुनेलवेलि	24-7-76

एम० एस० सुब्रह्मणियम
समाहर्ता

नौवहन और परिवहन मंत्रालय,
(नव तूतीकोरिन पत्तन)

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई, 1976

नवतूतीकोरिन 628004, दिनांक 28 मई 1976

सं० ए० 22013/(1)/76/प्रशा० / डी० /408—मुख्य इंजीनियर एवं प्रशासक/ नव तूतीकोरिन पत्तन, नव तूतीकोरिन पत्तन में कनिष्ठ इंजीनियर (यांत्रिक) श्री एम० मुनीयान्दी को पदोन्नति पर 19-5-76 (पूर्वाह्न) से अग्रगला आदेश होने तक के लिए 650-30-740-35-810-द० रो० 35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में सहायक इंजीनियर (यांत्रिक) नियुक्त करते हैं।

डी० आई० पाल
मुख्य इंजीनियर एवं प्रशासक

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

प्रमुख इंजीनियर कार्यालय

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1976

सं० 27-सी०/एन० (2)/74-ई० सी०-11—केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अधिकारी बाधक्य की आयु प्राप्त करने पर 31-7-1976 को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए :—

नाम	वर्तमान पदनाम
सर्वश्री	
1. स्वामी दयाल	मुख्य इंजीनियर (खाद्य), के० लो० नि० विभाग, नई दिल्ली।
2. वी० नारायण	मुख्य इंजीनियर (मूल्यन) आयकर विभाग, नई दिल्ली
3. आर० एस० माधुर	अधीक्षक इंजीनियर (पूछताछ), के० का, के० लो० नि० वि०, नई दिल्ली
4. निर्मल सिंह	निर्माण सर्वेक्षक, अधीक्षक निर्माण सर्वेक्षक कार्यालय (दिल्ली प्रशासन) नई दिल्ली।
5. डी० के० जैन	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर कार्यपालक इंजीनियर।
6. बी० जी० पालसीकर	कार्यपालक इंजीनियर (मूल्यन), आयकर विभाग, बम्बई।

पी० एस० पारवानी
प्रशासन उप-निदेशक

सं० 74/आर० ई० /161/1—सर्व साधारण के सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि मध्य रेलवे के मनमाड, खाद्ययात्रा मार्गखण्ड पर 25 किलोवाट ऐसी विद्युत् कर्षण के चालू करने के शिलसिले में सभी समपारों पर ऊंचाई के आमान लगाये गये हैं जिनकी सड़क तल से स्पष्ट ऊंचाई 4.67 मीटर है, ताकि अत्यधिक ऊंचाई के लोड्स का विजलीयुक्त कर्षण तारों के सम्पर्क में आने अथवा हलना समीप आने से रोका जा सके, जिससे कोई खतरा हो। जनता को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वाहनों के लदान के प्रयोजन के लिए ऊपर निर्दिष्ट ऊंचाई का ध्यान रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि सड़क वाहनों में डोया जाने वाला भार किसी भी स्थिति में ऊंचाई आमान का उल्लंघन न करें।

अत्यधिक ऊंचाई वाले लदान में निम्नलिखित खतरे निहित हैं :—

- (1) ऊंचाई आमान को खतरा जिससे सड़क तथा रेलवे लाइन पर स्कावट हो जायगी।
- (2) ढोया जाने वाला सामान या उपकरण या स्वयं वाहन भी क्षतिग्रस्त हो सकता है।
- (3) सक्रिय तारों के साथ छू जाने या खतरों की परिधि में आ जाने के कारण आग लग सकती है जिससे जीवन को खतरा हो सकता है।

बी० मोहन्ती
सचिव, रेलवे बोर्ड

अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन

लखनऊ-11, दिनांक 29 जुलाई, 76

सं० ए० पी० सी० /196—श्री हंसराज सिंह, सहायक को 17-5-76 से 9-7-76 तक अनुभाग अधिकारी (स्थापना-4), अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन के रूप में पदोन्नत किया गया।

गोपी नाथ भट्टाचार्य
महानिदेशक

उत्तर रेलवे

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 1976

सं० 12—इस रेलवे के श्री पी० एन० सूद स्थानापन्न अपर मुख्य इंजीनियर (योजना) 30-4-1974 अपराह्न से रेल सेवा से अन्तिम रूप से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

दिनांक 29 जुलाई, 1976

सं० 16 —भण्डार विभाग उत्तर रेलवे श्रेणी दो के अधिकारी, श्री डी० पी० नाग, 31-5-76 को अन्तिम रूप से रेल सेवा से निवृत्त हो गये हैं।

ए० सी० मिश्रा
महाप्रबन्धक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी विधि बोर्ड

कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और सम्बलपुर फ्रेण्ड्स सीमेन्ट इन्टरप्राइजर्स प्राइवेट लिमिटेड

कटक, दिनांक जुलाई 1976

सं० 552/76/1370 (2) — कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर सम्बलपुर फ्रेण्ड्स सीमेन्ट इन्टरप्राइजर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और एन० जी० कूसीन्गो अण्ड मानुअर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड

कटक, दिनांक जुलाई 1976

सं० 183/76/1371(2) — कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर एन० जी० कूसीन्गो अण्ड मानुअर मिल्स, प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सी० आर० दास
कम्पनियों का रजिस्ट्रार उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम की धारा 445 (2) के अन्तर्गत सूचना और दि० काटन ट्रेडरस्, प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर, के सम्बन्ध में

ग्वालियर, दिनांक 29 जुलाई 1976

सं० 383/ लिखवी/2119 —कम्पनी अधिनियम की धारा 445 (2) के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि दि० काटन ट्रेडरस् प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर (इन लिखवी) का माध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, बैच ग्वालियर के आदेश दिनांक 28-6-76 के द्वारा परिसमापन करने का आदेश दिया है तथा शासकीय परिसमापक इन्दौर को उक्त कम्पनी का समापक नियुक्त किया है।

सत्य प्रकाश तायल
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और सरस्वती मोटर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 30 जुलाई 1976

सं० 2754/560(5)/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सरस्वती मोटर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और सेलम श्री कन्निका परमेश्वरी ब्यांक लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 30 जुलाई 1976

सं० 2783/560 (5) /76 —कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सेलम श्री कन्निका परमेश्वरी ब्यांक लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

पी० भास्कर राव
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कार्यालय आयकर आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 1976

आदेश

सं० जुरि-दिल्ली/5/75-76/5200 —इस विषय पर पहले के सभी आदेशों में संशोधन करते हुए और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 वां) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-5, नई दिल्ली निवेदन देते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम 2 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी उक्त अनुसूची के कालम-3 में बताए गए व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों, आय या आय के वर्गों तथा मामलों या मामलों के वर्गों के संबंध में अपने कार्य करेंगे। इनमें वे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, आय या आय के वर्ग तथा मामले या मामलों के वर्ग 2—216GI/76

शामिल नहीं है जो उक्त अधिनियम, की धारा 127 या धारा 124 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी दूसरे आयकर अधिकारी को सौंपे गए हों या इसके बाद सौंपे जाएं :—

यह अधिसूचना 1-6-76 से लागू होगी।

अनुसूची

क्रम सं०	आयकर अधिकारी का पदनाम	अधिकार-क्षेत्र	क्षेत्र
1	2	3	4
1.	आयकर अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट-2 (16), नई दिल्ली।	क/ ऐसा हरेक व्यक्ति, जो इस अनुसूची के कालम-4 में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में कोई कारोबार या पेशा कर रहा हो या जिसके कारोबार या पेशे का मुख्य स्थान उक्त किसी भी क्षेत्र में हो या जो उक्त किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो, जिसका नाम अंग्रेजी के 'सी' 'डी' 'के' 'एल' 'यू' और 'बी' अक्षरों से शुरू होता हो। ख/ उपर्युक्त मद (क) के अन्तर्गत आने वाली फर्मों के सभी साझेदार व्यक्ति।	दिल्ली नगर निगम के वार्ड सं० 1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 और 66 के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र अर्थात् तिमारपुर, सोहनगंज, आर्यपुरा, रोशनारा एक्सटेंशन और विजय नगर।
2.	आयकर अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट-2 (12),	क/ ऐसा हरेक व्यक्ति, जो इस अनुसूची के कालम सं० 4 में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में कोई कारोबार या पेशा कर रहा हो या जिसके कारोबार या पेशे का मुख्य स्थान उक्त किसी भी क्षेत्र में हो या जो उक्त किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो, जिसका नाम अंग्रेजी के 'ए' 'बी' और 'एफ' अक्षरों से शुरू होता हो। ख/ उपर्युक्त मद (क) के अन्तर्गत आने वाली फर्मों के सभी साझेदार व्यक्ति।	—वही—
3.	आयकर अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट-2 (13), नई दिल्ली।	क/ ऐसा हरेक व्यक्ति, जो इस अनुसूची के कालम सं० 4 में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में कोई कारोबार या पेशा कर रहा हो या जिसके कारोबार या पेशे का मुख्य स्थान उक्त किसी भी क्षेत्र में हो या जो उक्त किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो, जिसका नाम अंग्रेजी के 'एम', 'एन' और 'ओ' अक्षरों से शुरू होता है। ख/ उपर्युक्त मद (क) के अन्तर्गत आने वाली फर्मों के सभी साझेदार व्यक्ति।	—वही—

1	2	3	4
4.	आयकर अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट-2 (14), नई दिल्ली।	क/ ऐसा हरेक व्यक्ति, जो इस अनु-सूची के कालम सं० 4 में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में कोई कारोबार या पेशा कर रहा हो या जिसके कारोबार या पेशे का मुख्य स्थान उक्त किसी भी क्षेत्र में हो या जो उक्त किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो, जिसका नाम अंग्रेजी के 'ई', 'पी' 'क्यू', 'आर', 'डब्ल्यू', 'एक्स', 'वाई', और 'जैड' अक्षरों से शुरू होता हो। ख/ उपर्युक्त मद (क) के अन्तर्गत आने वाली फर्मों के सभी सान्नेदार व्यक्ति।	दिल्ली नगर निगम के वार्ड सं० 1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, व 66 के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र अर्थात् तिमार पुर, सोहन-गंज, आर्यपुरा, रोशनआरा एक्सटेंशन और विजय नगर।
5.	आयकर अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट-2 (15), नई दिल्ली।	क/ ऐसा हरेक व्यक्ति, जो इस अनु-सूची के कालम सं० 4 में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में कोई कारोबार या पेशा कर रहा हो या जिसके कारोबार या पेशे का मुख्य स्थान उक्त किसी भी क्षेत्र में हो या जो उक्त किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो, जिसका नाम अंग्रेजी के 'एस' और 'टी' अक्षरों से शुरू होता हो। ख/ उपर्युक्त मद (क) के अन्तर्गत आने वाली फर्मों को सभी सान्नेदार व्यक्ति।	--वही--

सं० जुरि/दिल्ली-रेंज-5 ए० /74-75/5066 —आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 वां) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-5, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि दिनांक 1-6-76 से डिस्ट्रिक्ट-2 में निम्नलिखित सकिल बनाया जायेगा।

1/डिस्ट्रिक्ट-2 (16), नई दिल्ली।

दिनांक 5 जून 1976

सं० जुरि-दिल्ली/5/76-77/10117—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 वां) की धारा 124 की उपधारा (1)

सं० जुरि-दिल्ली/5/76-77/10240—इस विषय पर पहले के सभी आदेशों का अधिग्रहण करते हुए और आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 वां) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-5, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम-2 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी उक्त अनुसूची के कालम-3 में बताए गए व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों, आय या आय के वर्गों और मामलों या मामलों के वर्गों के संबंध में अपने कार्य करेंगे। इनमें वे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, आय या आय के वर्ग और मामले या मामलों के वर्ग

द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-5, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि दिनांक 31-10-1975 की अधिसूचना सं० जुरि, दिल्ली/5/75-76/18863 के अन्तर्गत बनाया गया निम्नलिखित आयकर सकिल दिनांक 4-6-76 से समाप्त हो जायेगा।

1. डिस्ट्रिक्ट 4(8), नई दिल्ली। (एडीशनल)

शामिल नहीं हैं जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा या आयकर आयुक्त द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी आयकर अधिकारी को सौंपे गए हों या इसके बाद सौंपे जाएं :—

अनुसूची

क्रम सं०	आयकर अधिकारी का पदनाम	अधिकार-क्षेत्र	क्षेत्र
1	2	3	4
1.	आयकर अधिकारी, डाक्टर सफल-1, नई दिल्ली ।	क/ एलोपैथी, होमियोपैथी, यूनानी, जैसा कि कालम-3 में आयुर्वेदिक या किसी अन्य चिकित्सा पद्धति के मेडिकल प्रैक्टिशनर, रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट का कारोबार या पेशा करने वाले व्यक्तियों के सभी मामले, जो डाक्टर सफल, नई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आते हों, यदि पिछली कर-निर्धारित/विवरणों में दिखाई गई आय 1-6-76 को 20,000 रु० तक हो । ख/ उपर्युक्त मद (क) के अन्तर्गत आने वाली फर्मों के सभी सम्बन्धित व्यक्ति । ग/ उपर्युक्त मद (क) और (ख) के अन्तर्गत आने वाली फर्मों के सभी नए निर्धारित ।	कालम-3 में बताया गया है ।
2.	आयकर अधिकारी, डाक्टर सफल-2, नई दिल्ली ।	क/ एलोपैथी, होमियोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक या किसी अन्य चिकित्सा पद्धति के मेडिकल प्रैक्टिशनर, रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट का कारोबार या पेशा करने वाले व्यक्तियों के सभी मामले, जो डाक्टर सफल, नई दिल्ली के अधिकार-क्षेत्र में आते हों, यदि पिछली कर निर्धारित/विवरणों में दिखाई गई आय 1-6-76 को 20,000 रु० से अधिक हो । ख/ उपर्युक्त मद (क) के अन्तर्गत आने वाली फर्मों के सभी सम्बन्धित व्यक्ति । ग/ उपर्युक्त मद (क) और (ख) के अन्तर्गत आने वाली सभी नए निर्धारित । घ/ आयकर आयुक्त द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 127 के अन्तर्गत पहले से ही सौंपे गए मामले ।	-वही-

1	2	3	4
3.	आयकर अधिकारी डिस्ट्रिक्ट-4 (1), नई दिल्ली।	<p>क/ ऐसा हरेक व्यक्ति, जो इस अनुसूची के कालम-4 में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में कोई कारोबार या पेशा कर रहा हो या जिसके कारोबार या पेशे का मुख्य स्थान उक्त किसी भी क्षेत्र में हो, या जो उक्त किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो, जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' से लेकर 'आई' तक (दोनों शामिल हैं) किसी भी अक्षर से शुरू होता हो, यदि पिछली कर निर्धारित/ विवरणी में दिखाई गई आय 1-6-76 को 50,000 रु० से अधिक हो।</p> <p>ख/ उपर्युक्त मद (क) के अन्तर्गत आने वाली फर्मों के सभी साझेदार व्यक्ति।</p> <p>ग/ उपर्युक्त मद (क) और (ख) के अन्तर्गत आने वाले नए निर्धारित।</p> <p>घ/ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 128 के अन्तर्गत सौंपे गए सभी मामले।</p>	<p>म्युनिसिपल वार्ड सं० 8, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र अर्थात् दरियागंज, मटिया महल, छत्तालाल मियां, लाल दरवाजा, सुईवालान, कूचा पतिराम और कलां मसजिद।</p>
			-वही-
			-वही-
			-वही-
4.	आयकर अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट-4 (6) एडीशनल, नई दिल्ली।	<p>क/ ऐसा हरेक व्यक्ति, जो इस अनुसूची के कालम-4 में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में कोई कारोबार या पेशा कर रहा हो या जिसके कारोबार या पेशे का मुख्य स्थान उक्त किसी भी क्षेत्र में हो या जो उक्त किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो, जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' से लेकर 'आई' तक (दोनों शामिल हैं) किसी भी अक्षर से शुरू होता हो, यदि पिछली कर निर्धारित/विवरणी में दिखाई गई आय 1-6-76 को 50,000 रु० तक हो।</p> <p>ख/ उपर्युक्त मद (क) के अन्तर्गत आने वाली फर्मों के सभी साझेदार व्यक्ति।</p> <p>उपर्युक्त मद (क) और (ख) के अन्तर्गत आने वाले सभी नए निर्धारित।</p>	<p>म्युनिसिपल वार्ड सं० 8, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र अर्थात् दरियागंज, मटिया महल, छत्ता लाल मियां, लाल दरवाजा, सुईवालान, कूचा पतिराम और कलां मसजिद।</p>
			-वही-

यह अधिसूचना 4-6-1976 से लागू होगी।

एस० डी० मनचन्दा,
आयकर आयुक्त
दिल्ली-5, नई दिल्ली

प्ररूप आई० टी० एन० एस०.....

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 8 जुलाई, 1976

निदेश नं० अर्जन/1138/आगरा/ 76-77/ 692 :—

अतः मुझे, विजय भार्गव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आगरा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती सुशीला गौड़ पत्नी श्री केदार नाथ गौड़ नि० 3/18, नगला ढाकरान निकट सुभाष पार्क सिविल लाइन्स आगरा।

(अन्तरक)

(2) उर्मिला गुलाटी पत्नी श्री सुभाष चन्द गुलाटी निवासी हींग मण्डी, आगरा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति 3/18, जिसकी माप 621 वर्गगज है जो सुभाष पार्क महारमा गांधी रोड आगरा में स्थित है इसका हस्तान्तरण 25,000 में किया गया है।

विजय भार्गव,
सक्षम प्राधिकारी;
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 8-7-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 30 जुलाई, 1976

निदेश नं० अर्जन/829/कानपुर/75-76/874 :— अतः

मुझे, विजय भागव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम, प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 22-11-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रजनीश कुमार अरोरा पुत्र श्री ओम प्रकाश नि० 122/50, कबाड़ी मार्केट, कानपुर (2) श्री आतम जीत सिंह पुत्र सरदार नानक सिंह नि० बम्बा रोड गुमटी नं० 5 कानपुर।
(3) श्री शची भूषण घोष पुत्र अविनाश चन्द्र घोष नि० जे० के० कालोनी, कानपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री अब्दुल कलाम पुत्र स्व० श्री हाजी अब्दुल रजाक निवासी 90/17 इफतखाराबाद, कानपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति अराजी नं० 266 व आबादी व नम्बरी 264, रकबा, 11 विस्वा स्थित मौजा बाजीदपुर उर्फ जाजमऊ, कानपुर इसका हस्तान्तरण 11,000/- में किया गया है।

विजय भागव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 30-7-76

मोहर।

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 30 जुलाई, 1976

निदेश नं० 822/एई० अर्जन/ कानपुर/75-76/873 :—
अतः मुझे, विजय भागव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की
धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित
बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची
के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय
कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन, तारीख 20-11-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति
का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और
अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित
नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के
अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की
उप धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रजनीश कुमार अरोड़ा पुत्र श्री श्रोम प्रकाश
अरोड़ा निवासी 122/50, कबाड़ी मार्केट, कानपुर।
2. सं० आत्मजीत सिंह पुत्र सं० नानक सिंह
नि० बम्हा रोड गुमटी, नं० 5, कानपुर।

3. श्री शशी भूषण घोष पुत्र श्री अविनाश चन्द्र
घोष निवासी जे० के० कालोनी कानपुर।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती मु० नौशाबा खातून पत्नी श्री इम्तियाज
अहमद निवासी 42/36-ए शीतला बाजार जाजमऊ,
कानपुर।

2. श्री सोयब अहमद पुत्र श्री मुख्तार अहमद
निवासी 41/35, शीतला बाजार, जाजमऊ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन
के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि,
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति
द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ता-
क्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति खसरा नं० 265 सी० जिसकी माप एक
बीघा है जो वाजिदपुर उर्फ जाजमऊ कानपुर में स्थित है इसका
हस्तान्तरण 22,000/- रुपये में किया गया है।

विजय भागव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 30-7-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

(1) गल्लाकडो लेबोरेटरीज (इंडिया) लिमिटेड डा०
अभिबिसेंट रोड, वार्लि बंबई
(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 18 मई 1976

सं० आर० ए० सी० सं० एक्यू० 335 जे० नं० 179/के० आर०

---यतः मुझे, बि वि० सुब्बाराव, आयकर

अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० नं० 27-10-18 रजिस्ट्री गल्ली है, जो बकिगहाम पेट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजीयवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 15-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:---

(2) दि० के० सि० पि० लिमिटेड रामकृष्ण बिल्डिंग्स,
38, अम्ना मलाइ, मद्रास ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी ध्यवित्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से 15-12-75 पाक्षक अन्त में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3621/75 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति ।

बि० वि० सुब्बाराव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 18-5-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

(1) श्रीमति पूर्णम मीनाक्षी, प० बैकटराम कृष्णना
सार्थी मुसिलीपटनम् ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

(2) श्री डा० गनेसूनि परमधामय्य पि० पञ्चय्य
कोतपेट, गुन्टूर ।

(अन्तरिती)

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 2 जुलाई 1976

सं० आर० ए० सी० न० 343 :—यतः मुझे, बि० बि०
सुब्बाराव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 12-25-202 है, जो कोतपेट गुन्टूर
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से
बर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुन्टूर में
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के
अधीन 27-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में
सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम'
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए, या, छिपाने
में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की
उपधारा(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय
में दिया गया है।

अनुसूची

गुन्टूर रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 30-12-75
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 5871/75 में निगमित अनुसूची
सम्पत्ति ।

बि० बि० सुब्बाराव
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 2-7-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 5 जुलाई 1976

सं० आर० ए० सी० नं० 346 :—यतः मुझे, बि० वि० सुब्बाराव,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 179 सी०/बि० 2 है, जो गनपवरम विलेन में स्थित है (और इसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित र), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चिलकलूर-रिपेट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-12-1975 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) 1. सदिनेनि चौदरया
2. नक्षपनेनि वेंकटरसनम
3. गोट्टिपति प्रसाद राव
4. मुरकोड केसवराव गनपवराम (अन्तरक)
- (2) 1. श्री जि० वि० कस्तूरी नायडु कोयमबदूर
2. श्रीमती सुगुण सरस्वती कोयमबदूर
3. कुमारी वेंकट लक्ष्मी कोयमबदूर
4. आर० लक्ष्मी अम्माल तिरुपुर
5. एम० विसाल श्री० तिरुपुर
6. के० सुकीर्त मनी तिरुपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

चिलकलूर पेट रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 15-12-75 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 5788/75 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

बि० बि० सुब्बाराव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 5-7-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 8 जुलाई 1976

सं० आर० ए० सी० नं० 347 :—यतः मुझे, बि० वि०

सुब्बाराव,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० 312 और 313 है, जो मल्लवरम ग्राम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, काकिनाडा, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये क्षय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

- (1) 1. श्री विल्ला वेंकट कोंडय्या पिता : कोंडलराव
2. श्री विल्ला सुब्बाराव पिता : कोंडलराव
3. श्रीमती विल्ला कोंडम्मा पति : वेंकट सुब्बाराव
4. श्री विल्ला राम बाबु पिता : वेंकट सुब्बाराव
5. श्री विल्ला नारयण राव मां : कोंडम्मा
6. श्री विल्ला कोंडल राव पिता : वेंकटकोडय्या
7. श्री विल्ला श्रीनिवास राव पिता : वेंकट कोडय्या
8. श्री विल्ला कोंडल राव पिता : सुब्बाराव
9. श्री विल्ला नागेश्वर राव पिता : सुब्बाराव
10. श्री विल्ला अन्नजिराव पिता : सुब्बाराव, सभी मल्लवरम ग्राम, काकिनाडा तालुक तर० गो० जिले

(अन्तरक)

- (2) श्रीमती चित्तलपूडि सूर्यवति पति : सतैया नीलपल्लि

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

काकिनाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 31-12-75 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 6619/75 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

बि० बि० सुब्बाराव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 8-7-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 13 जुलाई 1976

सं० आर० ए० सी० नं० 348 :—यतः मुझे, वि० वि० सुब्बाराव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 1-2-7 गांधीनगर है, जो अनकापल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अनकापल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-12-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) 1. श्री सुरभि बाबुराव पिता : पापाराव ,
2. श्रीनिवास पिता : बाबुराव
3. उदय कुमार पिता बाबुराव, गांधी नगर अनकापल्ली
(अन्तरक)
- (2) श्री चल्लावेंकट सुब्बा रायुडु पिता: सुब्बारायुडु भीमलापुरम, नर्सपूर तालुक
(अन्तरिती)
- (3) श्रीमती ए० वि० सत्यवाणि गांधीनगर , अनकापल्ली
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनकापल्ली रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 31-12-75 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 5160/75 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

वि० वि० सुब्बाराव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख: 13-7-76
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन०एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 28 जुलाई 1976

सं० आर० ए० सी० नं० 350 :—यतः मुझे, बि० वि० सुब्बाराव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रूपए से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० नं० 66/3 है, जो पेदपल-पुर में स्थित है (और इससे सपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुडिवाडा, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरित द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) 1. मनयम सूर्यनारायण, पेनुगोंडा
2. मनयम वेंकटस्वराव पिता : जगन्नादम
3. मनयम सत्यानारायण पेनुगोंडा
4. मनयम भास्करराव पेनुगोंडा
5. मनयम वेंकटस्वराव पिता: हनुमंतराव
6. चदलावाडा राम कृष्ण ऐलूरु

(अन्तरक)

- (2) 1. श्रीमती बोपन्ना राजेस्वरम्मा पेदपलपररु
2. श्रीमती विजय लक्ष्मी पेदपलपररु
3. श्रीमती उमादेवी पेदपलपररु
4. श्रीमती वीरमाचनेनी कमला कुमारी पेदपलपररु
5. श्री दोनेपूडी रामचन्द्रराव पेदपलपररु
6. श्री दोनेपूडी जगनमेहनराव पेदपलपररु
7. श्री दोनेपूडी नागेस्वराव पेदपलपररु
8. श्री दोनेपूडी सत्यनारायण पेदपलपररु
9. श्री त्रिपरिनेनी नागेस्वराव पेदपलपररु

(अन्तरिती)

- (3) श्री राजा राजेस्वरी रेस मिल कनस्ट्रक्शन कम्पनी, पेदापलापररु ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

गुडिवाडा रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 31-12-75 में पजीकृत दस्तावेज नं० 3930/75 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति ।

बि० वि० सुब्बाराव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 28-7-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली
नई दिल्ली-1, दिनांक 2 मई 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यु०/11/1188/76-77—

अतः, मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपए से अधिक है

और जिसका सं० सी-26 है, तथा जो बाली नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती सीतावन्ती, पत्नी श्री दर्शन लाल, निवासी सी-107, रघबीर नगर, टैंगोर गार्डन, नई दिल्ली 1
(अन्तरक)

2. श्रीमती जनक रानी, पत्नी श्री मदन लाल, निवासी ए-43, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली (2) श्री एम० सी० श्रीबराए, सुपुत्र श्री बिशन दास श्रीबराए, निवासी बी-3/14, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-1
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्रीहोल्ड प्लॉट जिसका नं० 26, ब्लॉक नं० 'सी' है और क्षेत्रफल 167 वर्ग गज है, बाली नगर कालौनी, नई दिल्ली में है। यह प्लॉट निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : रोड़

पश्चिम : सर्विस लेन

उत्तर : प्लॉट नं० सी-27

दक्षिण : प्लॉट नं० सी-25।

एस० एन० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-11, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 20 मई 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज -11 दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली ।

नई दिल्ली-1, दिनांक 20 मई 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यु०/11/1189/76-77—
अतः, मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन
सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० एफ-9 है तथा जो बाली नगर, नई दिल्ली में
स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर
1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधि-
नियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में,
मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन,
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री राम गुप्ता, सुपुत्र श्री डिप्टी मल, निवासी 142,
बजार पैरा मल, मेरठ राजधानी, (यू० पी०) (अन्तरक)

2. श्री ओम प्रकाश तनेजा, सुपुत्र श्री भोला राम तनेजा,
निवासी 4/37, डब्ल्यू० ई० ए०, करौल बाग, नई दिल्ली
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियों करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45
दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तामील से 30 दिन के अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा ।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में
किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक फ्रीहोल्ड प्लॉट जिसका नं० 9, ब्लॉक नं० 'एफ' है
और क्षेत्रफल 200 वर्ग गज है, बाली नगर, नई दिल्ली में है ।

यह प्लॉट निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : प्लॉट नं० एफ-10

पश्चिम : प्लॉट नं० एफ-8

उत्तर : रोड़ 30 फुट

दक्षिण : लेन 15 फुट ।

एस० एन० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 11, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख 20 मई 1976

मोहर ;

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली ।

नई दिल्ली-1, दिनांक 18 जून 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/11/1194/77-77--

अतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी, को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 25 (उत्तर) म्युनिसिपल नं० 5686 है तथा जो बस्ती हरफुल सिंह, सदर बाजार, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अतर चन्द बतरा, सुपुत्र श्री भगवान दास (2) श्रीमती शीला रानी, पत्नी श्री अतर चन्द बतरा (3) अशोक कुमार बतरा, सुपुत्र श्री अतर चन्द बतरा, निवासी 5, ईस्ट पार्क ब्यू, करौल बाग, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. श्रीमती कमला रानी, पत्नी श्री जे० एल० सूरी, निवासी 12 (साउथ) बस्ती हरफुल सिंह, सदर बाजार, दिल्ली । (अन्तरिती)

3. मै० एस० सी० बतरा एण्ड सप्स, 1050 पान मण्डी, सदर बाजार, दिल्ली (2) एस० एल० चड्ढा, निवासी 5686, बस्ती हरफुल सिंह, सदर बाजार, दिल्ली । (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक ढाई मंजिला पक्की बनी बिल्डिंग जिसमें बरसाती भी है, म्युनिसिपल नं० 5686, प्लॉट नं० 25 (उत्तर), वार्ड नं० 14 है, बस्ती हरफुल सिंह, सदर बाजार, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : स्ट्रीट

पश्चिम : रोड़

उत्तर : प्लॉट/भाग ए, श्री गुरू नानक सतसंग सभा के द्वारा अपनाई गई है (मालिक), बस्ती हरफुल सिंह ।

दक्षिण : प्लॉट नं० 24 (दक्षिण) ।

एस० एन० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख 18 जून 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/II/1193/76-77/—

अतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० ई०-39 है तथा जो बाली नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1975 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री हरभजन सिंह, सुपुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी-सी०-21, बाली नगर, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री राजीन्द्र सिंह तथा चरणजीत सिंह, सुपुत्र श्री कस्तूरी लाल दुगल, निवासी 13-ए/20, डब्ल्यू० ई० ए०, करौल बाग, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक मंजिला मकान जोकि 244.5 वर्ग गज क्षेत्रफल के प्लॉट पर बना हुआ है, जोकि तीन तरफ से खुला है, जिसका नं० ई-39 (ई०-39) है, बाली नगर, की फ्रीहोल्ड कालोनी, नई दिल्ली में है । यह मकान निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व	30 फुट की सड़क
पश्चिम	प्लॉट नं० 40
उत्तर	30 फुट की सड़क
दक्षिण	लेन

एस० एन० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 18 जून, 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज III दिल्ली -1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/III/एस० आर०-III/
दिसम्बर/465 (1) /75-76/1763 :--अतः मुझे, एस० सी०-
परीजा,

सहायक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269घ,
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु०
से अधिक है

और जिसकी सं० 18, फ्लैट नं० 15 है, तथा जो डब्ल्यू०
ई० ए, करौल बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध
अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-12-1975
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन,
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री ताराचन्द, चौपड़ा, सुपुत्र स्वर्गीय नानक चन्द
चौपड़ा, निवासी 18/16, डब्ल्यू० ई० ए०, करौल
बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री सुरिन्द्र कुमार चौपड़ा, सुपुत्र श्री तारा चन्द,
चौपड़ा, निवासी 18/16, डब्ल्यू० ई० ए०, करौल
बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

(3) मै० चौपड़ा एन्टरप्राइसिस (2) श्री एन० के०
चौपड़ा, (3) श्रीमती उषा किरन चौपड़ा, सभी
निवासी 15/18, डब्ल्यू० ई० ए०, करौल बाग,
नई दिल्ली।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम' के अध्याय 20क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में
दिया गया है।

अनुसूची

एक ढाई मंजिला मकान जिसका क्षेत्रफल 240 वर्गगज
है, और जोकि फ्लैट नं० 15 पर, ब्लाक नं० 18, वैस्टर्न एक्स-
टेन्शन एरिया, करौल बाग, नई दिल्ली में है, और खसरा नं०
785/787, म्युनिसिपल नं० 10019, वार्ड नं० 16 है तथा
जोकि निम्न प्रकार से स्थित है :--

पूर्व : फ्लैट नं० 14 (मकान)

पश्चिम : फ्लैट नं० 16 (मकान)

उत्तर : गली

दक्षिण : सर्विस रोड

एस० सी० परीजा

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज III, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 27-7-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 6 अगस्त 1976

सं० आर० ए० सी० 137/76-77:—यतः मुझे, के० एस०
बेंकटरामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए
से अधिक है

और जिसकी सं० मलगी नं० आर०-15 पहलसता घर नं०
4-1-938 / आर० 15 है, जो हैदराबाद में स्थित है (और
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-
कर्ता अधिकारी के कार्यालय तिलक रोड हैदराबाद में भारतीय
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
तारीख 15-12-1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-
फल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से
अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न-
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से
कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को,
जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री कैलाश चरन घर नं० 21-2-547 चारकमान
हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्री वी० मुन्दरारामी रेडी निवासी धापल रोड
हैदराबाद (2) श्रीमती पी० ईश्वर लक्ष्मी निवासी
आशोकनगर हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन
लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है,
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति : मलगी नं० आर०-15 पहली सतापर घर नं०
4-1-938/ आर०-15 तिलक रोड हैदराबाद ।

के० एस० बेंकटरामन
सक्षम अधिकारि
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 6-8-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

(1) श्रीमति कृष्णा चटर्जि

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 6 अगस्त 1976

निर्देश सं० टि० आर० 233/सि०-231/कल०-I/75-76:—

अतः मुझे, सं० क० चक्रवर्ती,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269घ के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 165/1 है तथा जो बँक खाता रोड कल० में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5, गवर्नमेंट प्रेस नार्थ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4-12-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(2) 1. कलि कुमार कुन्दु
2. पारबती प्रसाद मण्डल

(अन्तरिती)

(3) 1. श्री सिवनाथ हालदार 2 श्री सूरज साहा श्रीमती राधिका देवी 3. श्री गया प्रसाद साहा 4. श्री जयदेव साहा 5. श्री रामसरक राय 6. श्री परमा गोयाला 7. श्री वीभुवन माहातो 8. श्री बैजनाथ स 9. श्री जनाब आनयार उल्ला 10. श्री महावीर साहा 11. श्री जीव पुजन साहा 12 श्री सहदेव दास 13. श्री नाथा गोयाला 14. श्री राम साहा 15. मोहन लाल बर्नाज्जि 16. श्री हरिनाथ दुबे 16. श्री सुनील प्र० गुप्त 18. श्री राम लक्ष्मण गुप्त 19. श्री मुनेश्वर गोयाला 20. श्री रामेश्वर 21. श्री राम लक्ष्मण 22. श्री जयदेव खान 23. श्री नागिना गोयाला 24. श्री सखीचन्द स 25. श्री लालु पंडित 165/1, बँक खाता रोड, कलकत्ता-9। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राज पत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

165/1, बँकखाना रोड कलकत्ता में अवस्थित लगभग 5 कट्टा जमिन पर एक तल्ला और दो तल्ला ईट का मकान।

सं० क० चक्रवर्ती
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I

54, रफी अहमद किदवई रोड, कलकत्ता-16

तारीख : 6-8-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269ष (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रजन रेंज-I कलकत्ता

कलकत्ता-16, दिनांक 6 अगस्त 1976

निदेश सं० टि० आर० 234/सि० 230/कल०-1/75-76:—

अतः मुझे, सं० क० चक्रवर्ती

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 19 है तथा जो श्रीक रो. कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5 गर्वर्नमेन्ट प्रेस कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269 ष की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री मणजक्षा बोस

(अन्तरक)

(2) कमारी उर्मिला राय

(अन्तरिती)

(3) 1. अनिल कुमार बोस 2. सि० डोयादसन, (3) सि० हि० रिगो, (4) मिस पि० डि० रिगो (5) हिरालाल चौधरी

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रजन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के ग्रजन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

19 श्रीक रोड कलकत्ता में अब स्थित आसिक एक तल्ला और आसिक दो तल्ला निवास का मंजिल जो चार कट्टा 2 छटांक 37 वर्गफीट जमीन पर अब स्थित है।

सं० क० चक्रवर्ती

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रजन रेंज-1

54, रफी अहमद कदवाई रोड, कलकत्ता-16

तारीख : 6-8-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

(2) श्री प्रभु श्रीराम सहकारी गृहरचना संस्था प्रतिदिन
1420 सदाशिव पेठ, पूना-30

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 60/61 एरंडवना, कर्वे रोड, पूना 411004

पूना-411004, दिनांक 25 जून 1976

निर्देश सं० सी० ए० 5/दिसम्बर 75/हवेली-1 (पूना) 287/
76-77 :—यतः मुझे, व्ही० एस० गायनोंड

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए
से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 1420 बी० और 1452 अ०/2
है तथा जो सदाशिव पेठ, पूना में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
के कार्यालय, हवेली-1 पूना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और
अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया
है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम,
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने
या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को,
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम,
1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए
था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री जे० एम० जोशी श्री अ० जे० जोशी 1420,
सदाशिव पेठ, पूना-30

(अन्तरक)

(3) वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

1. श्रीकृष्णा निलकण्ठ पाटिल 2. श्री श्रीमान महादेव करंदीकर
3. सौ० सुधा लक्ष्मण काशीकर 4. श्रीमती यमुनाबाई नारायण
जोशी 5. श्री रामचन्द्र भास्कर करेभबेलकर 6. श्री विनायक नारायण
कारोडिकर 7. श्री चन्द्रशेखर माधव पोतनिस 8. श्री मधुसुदन
रामचन्द्र ठाकर 8. श्री जगदीश गंगाधर बापट 10. श्री सत्याबोध
रंगराव हिंदूकेरूर 11. सौ० शुभदा श्रीधर वादम्बुरकर
12. श्री श्रीपाद लक्ष्मण भावे 13. श्री सुधीर विश्वनाथ गन्ध
14. श्री विश्वनाथ दत्तात्रय देशपांडे 15. सौ० उषा व्यंकटेश हुपरी-
कर 16. श्री माधव रामकृष्ण भुशारीफ 17. अविनाश नारा-
यण सोमण 19. श्री मोहन रामचन्द्र वैध श्रीमति अनुराधा
घनश्याम ने ने सभी रहने वाले 1420 बी, 1452/अ०/2
सदाशिव पेठ, पूना-30

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी
व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में
किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

फ्री होल्ड लैंड और इसके उपर मकान, लैंड क्षेत्रफल 3411
वर्ग फीट, सी० एम० क्र० 1420-बी, और 1452अ०/2, खजीना
महाल लेन, सदाशिव पेठ, पूना-30

(जैसे की रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र० 2365 दिसम्बर, 75 में
सब रजिस्ट्रार हवेली-1 पूना के दफ्तर में लिखा है)

व्ही० एस० गायनोंड

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 25-6-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 90/61 एरंडवन, कर्वे रोड, पूना 411004

पूना दिनांक, 22 जुलाई 1976.

निर्देश सं० सी० ए० 5/ दिसम्बर, 75/श्रीरामपुर / 290/ 76-77 :—यतः मुझे, व्ही० एस० गायनोंड

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सी० ए० क्र० 1975 है, तथा जो श्रीरामपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, श्रीरामपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री कृष्ण लक्ष्मणराव सरोदे
2. श्री मुरलीधर लक्ष्मणराव सरोदे सभी रहने वाले श्रीरामपुर

(अन्तरक)

(2) 1. श्री हीरा लाल फकीर चन्द चुडीवाल
2. श्री भागचन्द फकीर चन्द चुडीवाल
3. श्री मोती लाल फकीर चन्द चुडीवाल
4. श्री रमेश जनार्दन टेकावडे
5. श्री राम जनार्दन टेकावडे
6. श्री ऋतुराज बालासाहेब टेकावडे अज्ञान, पालन कर्ता श्रीमती उपाराजे बालासाहेब टेकावडे, सभी रहने वाले श्री रामपुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्री-होल्ड खुली जगह, सीटी सर्वे क्र० 1987 म्युनिसिपल वार्ड क्र० 7, श्रीरामपुर म्युनिसिपल कक्षा में, श्रीरामपुर, क्षेत्रफल 20 गूँडे

(जैसे की रजिस्ट्रीकृत बिलेख क्र० 1250 दिसम्बर, 1975 में सब रजिस्ट्रार श्रीरामपुर के दफ्तर में लिखा है)

व्ही० एस० गायनोंड
सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज पूना

तारीख : 22-7-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, 60/61 एरंडवना, कर्वे रोड, पूना 411004

पूना, दिनांक 9 अगस्त, 1976

निर्देश सं० सी० ए० 5/कोल्हापुर / दिसम्बर, 75/293/-
76-77:—यतः मुझे, व्ही० एस० गायनोडे

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नं० अफ० नं० 119 है तथा जो कोल्हापुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोल्हापुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 6-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करना या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यवितियों अर्थात् :—

5—216GI/76

(1) 1. श्री निलकंठ बालापा माणगावे
2. श्री शिवकुमार निलकंठ माणगावे
3. श्री अशोक निलकंठ माणगावे
4. श्री दिलीप निलकंठ माणगावे
सभी रहने वाले सी० एम० क्र० 1141, मांडक्स
एक्स्टेंशन, कोल्हापुर

(अन्तरक)

(2) श्री निलकंठ शंकर टकले, ब्लॉक क्र० 37, रुईकर
कालनी, ई०-वार्ड, कोल्हापुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यवितियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यवितियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्रीहोल्ड मकान ब्लॉक क्र० 119, श्री शाहू मार्केट यार्ड
इ-वार्ड, कोल्हापुर,

क्षेत्रफल 90' × 47' = 3609 वर्गफीट = 374.37 वर्ग
मीटर्स मकान-70' × 40' और रोड 40' × 20'

(जैसे की रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र० 3634 दिसम्बर, 75 में
सब रजिस्ट्रार कोल्हापुर के दफ्तर में लिखा है)

व्ही० एस० गायनोडे
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 9-8-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 60/61 एरंडवना, कर्वे रोड, पूना 41004

पूना, दिनांक 9 अगस्त, 1976

निर्देश सं० सी० ए० 5/कोल्हापुर/दिसम्बर, 75/294/-
76-77:—यतः मुझे, व्ही० एस० गायनोडे

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की
धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित
बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० सी० टी० एन० 613/सी० है तथा जो
कोल्हापुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोल्हापुर
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के
अधीन, 24-2-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें, भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के
अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की
उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) 1. श्री वासुदेव गजानन सबनीस
2. श्री दीपेन्द्र वासुदेव सबनीस प्लॉट क्र० 28-ई-
वांड, प्रतिभानगर, कोल्हापुर

(अन्तरक)

(2) श्री बाबूराम बलवन्त मुघले 613-सी०, गली क्र० 1,
शाहपुरी, कोल्हापुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी
के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

फ्री होल्ड प्रांपर्टी सी० टी० एन० क्र 613-सी०, गली क्र० 1
वांड-ई, शाहपुरी, कोल्हापुर

क्षेत्रफल—542.6 वर्ग मीटर्स में से 285.30 वर्ग
मीटर्स मकान बांधा हुआ 1914-1915 में

मैन बिल्डिंग नकमजला—1715 वर्गफीट

मैन बिल्डिंग—पाहिठा मजला—1715 वर्ग फीट

इनर—नकमजला—376 वर्ग फीट

व्ही० एस० गायनोडे

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 9-8-1976

मोहर :

रूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 31 जुलाई, 76

निदेश सं० ए०सी० क्यू०-23-I-949(469)/1-1/75-76—
यतः मुझे, जे० कथूरिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम, कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 350-6, है, जो दाणीलोम्डा, अहमदाबाद में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 29-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ब की उपधारा(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

- (1) 1. श्रीमती मणीबेन विधवा श्री गोरधनभाई शामलभाई
2. श्री विषनुभाई गोरधनभाई,
3. जसुमतीबेन विषनुभाई,
4. विद्याबेन नवीनचन्द्र, दाणी लोम्डा, अहमदाबाद (अन्तरक)

- (2) प्रयाग कबाड़ी मार्केट एसोशियेशन, की ओर से:—
प्रमुख:—सेठ प्रयागदास करमचन्द निहारीका पार्क, बहाई सेन्टर, शाहपुर, अहमदाबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लॉट जिसका कुल क्षेत्रफल 5082 वर्गगज है तथा जिसका सर्वे नं० 350-6 है तथा जो दाणीलोम्डा, अहमदाबाद में स्थित है।

जे० कथूरिया

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 31-7-76

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 31 जुलाई, 76

निर्देश सं० ए० सी० न्यू-23-I-825 (485) /15-1/75-76 :—यतः मुझे, जे० कथूरिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम, कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 117, 118, 119, प्लॉट नं० 24, 25 (भाग), 49 से 56 तक है, जो सुभाष नगर, न्यू एरोडरोम रोड, भावनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भावनगर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 29-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती मंदाकिनी बेन भोगीलाल, भाडेवानी गली, भावनगर।

(अन्तरक)

(2) संतोष पार्क को० प्रोप० हाऊसिंग सोसायटी लि० मेहता गली, मोदी फली, भावनगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लॉट जिसका कुल क्षेत्रफल 4760 वर्गगज है तथा जिसका सर्वे नं० 117, 118, 119, सब प्लॉट नं० 24, 25 (भाग) तथा 49 से 56 तक है तथा जो सुभाष नगर, न्यू एरोडरोम रोड, भावनगर में स्थित है।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 31-7-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

(1) श्री विरेन्द्र बबाभाई, सरकारी गुदामों के पास, शाही बाग, अहमदाबाद।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 अगस्त, 76

निदेश सं० ए० सी० क्यू० 23-I-1112 (488) /1-1/75-76 :—यतः मुझे, जे० कथूरिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रूपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 72-2 ए०, 72-1 (भाग) एफ० पी० नं० 213, 214, (भाग), सब प्लॉट -7, टी० पी० एस० -8, है, जो असाखा, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 15-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(2) 1. भारतीबेन बलदेवभाई पटेल, 4-पारवती नगर, असाखा, अहमदाबाद।

2. श्री रामभाई शिवरामदास पटेल, 6-पारवती नगर, असाखा, अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लॉट जिसका कुल क्षेत्रफल 541 वर्गगज है तथा जिसका सर्वे नं० 72-2-ए, 72-1 (भाग) एफ० पी० नं० 213, 214 (भाग) सब प्लॉट नं० 7, टी० पी० एस० नं० 8 है, तथा जो असाखा, अहमदाबाद में स्थित है।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 6-8-76

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन० ए०—

(1) श्री विरेन्द्र बबाभाई सरकारी गुदामों के पास,
शाहीबाग, अहमदाबाद ।

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

(अन्तरक)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 अगस्त, 76

(2) 1. श्री रवीन्द्र भाई पुष्पोत्तम दास व्यास, 3, रंग
सुजलम सोसायटी अंकुर रोड, नारायणपुरा,
अहमदाबाद ।
2. मनोरमाबेन नटवर लाल, गुरजर वी पोल,
प्रांतीज डिस्ट्रिक्ट, साबरकांठा

(अन्तरिती)

निदेश सं० ए० सी० १००/23-I-1113(489)/1-1/75-76
—यतः मुझे, जे० कधूरिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 72-2-ए, 72-1 (भाग),
एफ० पी० नं० 213, 214 (भाग) सब प्लॉट-15 टी० पी०
एस-8 है जो असारवा, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है,) रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 30-12-75
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरतियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तयपाया गया प्रति-
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहिया करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में
से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में
परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय
में दिया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त
अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम',
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए ;

अनुसूची

खुली जमीन वाला प्लॉट जिसका कुल क्षेत्रफल 553 वर्ग
गज है तथा जिसका सर्वे नं० 72-2-ए, 72-1 (भाग) एफ०
पी० नं० 213, 214 (भाग) सब प्लॉट नं० 15, टी० पी०
एस० नं० 8 है तथा जो असारवा, अहमदाबाद में स्थित है ।

जे० कधूरिया

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के
अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की
उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

तारीख : 6-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

(1) श्री मगनलाल रंछोडलाल पटेल, 2-बी, मस्कती मार्केट, अहमदाबाद ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 अगस्त 1976

(2) मैसर्स शक्ति ब्रिक्स वक्स (फर्म) न्या 'जी' वार्ड के पास, कुबेर नगर, अहमदाबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

एक खुली जमीन वाला प्लॉट जिसका कुल क्षेत्रफल 5542 वर्गगज है तथा जिसका सर्वे नं० 154-ए, 154 बी०, है तथा जो नरोडा, अहमदाबाद में स्थित है तथा जिसकी बिक्री 2-12-1975 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 19367 द्वारा की गयी है ।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

तारीख : 6-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 अगस्त 1976

निदेश सं० ए० सी० ब्यू०-23-I-11(15(491))/1-1/75-76:

—यतः मुझे, जे० कथूरिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 154-ए, 154-बी, है, जो नरोडा, अहमदाबाद में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 3-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री मगनलाल रंछोड लाल पटेल, 2-बी, मस्कली मार्केट, अहमदाबाद (अन्तरक)

(2) मैसर्स शक्ति ब्रिक्स वर्क्स (फर्म) न्या "जी" वाडें के पास, कुबेरनगर, अहमदाबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लॉट जिसका कुल क्षेत्रफल 9921 वर्गगज है तथा जिसका सर्वे नं० 154-ए, 154-बी, है तथा जो नरोडा, अहमदाबाद में स्थित है तथा जिसका बिक्री 3-12-1975 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 19400 द्वारा की गयी है।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 6-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 अगस्त, 76

निदेश सं० ए० सी० क्यू० 23-I-116(492)/1-1/
75-76 :—यतः मुझे, जे० कथूरिया

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 324, 325, 326 प्लॉट बी०,
टी० पी० एस०-26 है, जो वासण, अहमदाबाद में स्थित
है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में भारतीय
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 (1908 का 16) के अधीन
10-1 2-75 को पूर्वोक्त

सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक
है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों)
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम,
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने
या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27), के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

6-216GI/76

(1) डा० कणुभाई मणीलाल शाह, म्युनिसिपल सर्वेन्टस
सोसायटी, कांकरीया रोड, अहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) अनुपमा को० ओप० हाऊसिंग सोसायटी की ओर
से :—

प्रमुख :—श्री प्रकाश रसीलाल शाह, 5, गंगाधर
सोसायटी, रामबाग, अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं,
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन वाला प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 800 वर्ग गज है
तथा जिसका सर्वे नं० 324, 325, 326, सब प्लॉट नं० बी०
टी० पी० एस०, नं० 26 है तथा जो वाराण अहमदाबाद में
स्थित है।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 6-8-76
मोहर ;

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 अगस्त, 76

निदेश सं० ए० सी० क्यू० 23-J-1117(493)/1-1/-
75-76 :—यतः मुझे, जे० कथूरिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 324, 325, 326, एफ० पी०
नं० 166, टी० पी० एस० नं० 26 है, जो वासण' अहमदाबाद
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन, 10-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल
का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री भालचन्द्र शानालाल मोदी, श्रीनाथ कालोनी,
भैरवनाथ रोड, अहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) अनुपमा को० ओप० हाऊसिंग सोसायटी, की ओर
से :

प्रमुख :— श्री हसमुखलाल रतीलाल रामबाण,
अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका कुल क्षेत्रफल 923 वर्गगज है तथा
जिसका सर्वे नं० 324, 325, 326, फायनल प्लॉट नं० 166,
टी० पी० एस० नं० 26, है तथा जो वासण अहमदाबाद में स्थित
है तथा जिसकी बिक्री निम्नलिखित दो बिक्री दस्तावेजों द्वारा
की गयी है :—

सं० नं०	क्षेत्रफल	सब प्लॉट नं०	रजिस्ट्री नं० तथा तारीख	बिक्री कीमत
1.	612 वर्ग गज	3 तथा 4	19958 10-12-77	रु० 36,780/-
2.	610 "	2	19960 10-12-76	रु० 25,869-60

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 6-8-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 अगस्त 76

निदेश सं० ए० सी० क्यू०-1118 (494) /1-1/75-76:—

यतः मुझे, जे० कथूरिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 311, एफ० पी० नं० 13, सब प्लॉट नं० 28, टी० पी० एस० नं० 6, है, जो ठक्कर प्रभुदास, कालेज रोड, पालड़ी, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपरोक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 23-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) कुमारी केटकीबेन सुपुत्री श्री रामचन्द्र दयाशंकर पंड्या, बॉक्स नं० 188, राकी माऊंट उत्तर केरोलीना ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती अटाका एम० पूनावाला तथा अन्य, मारफ़्त जी० ए० लतीफ एण्ड सन्स, रेबड़ी बाजार, अहमदाबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन वाला प्लॉट जिसका कुल क्षेत्रफल 540 वर्ग गज है तथा जिसका सर्वे नं० 311, एफ० पी० नं० 13, सब प्लॉट नं० 28, टी० पी० एस० नं० 6, है तथा जो ठक्कर प्रभुदास कालेज रोड, पालड़ी, अहमदाबाद में स्थित है ।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 6-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 अगस्त 76

निदेश सं० ए० सी० क्यू० 23-1-1119 (495) /10-1/-75-76:—यतः मुझे, जे० कथूरिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 10, प्लान नं० 6, जामपुरी एस्टेट है, जो बड़ी बन्दर रोड, जामनगर में स्थित है (और इससे उपरोक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है,) रजिस्ट्री-कर्ता अधिकारी के कार्यालय, जामनगर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 16-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) 1^१ श्री नर्मदाबेन बालाशंकर शुक्ला,
2. श्री किशोर चन्द्र बालाशंकर शुक्ला,
3. श्री रमेश चन्द्र बालाशंकर शुक्ला, अस्पताल रोड, जामनगर।
(अन्तरक)

(2) श्री हाजी ओसमन हाजी अजीज,
(2) श्री हाजी हारुन हाजी अजीज, अनाज मंडी, जामनगर।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन वाला प्लॉट जिसका कुल क्षेत्रफल 9600 वर्गफुट है तथा जिसका प्लॉट नं० 10, प्लॉट नं० 6, जामपुरी एस्टेट है तथा जो बड़ी बंदर रोड, जामनगर में स्थित है।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 6-8-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 अगस्त, 1976

निदेश सं० ए० सी० क्यू०-23-I-1120 (496) /10-1/75-76 :—यतः मुझे, जे० कथुरिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है); की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है, कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सिटी सर्वे नं० 6, मेन पार्ट, वार्ड-1, है, जो बेड़ी गेट के बाहर, शरु सेक्शन रोड जामनगर, में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, जामनगर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 12-12-75 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) मैसर्स इण्डियन कन्सट्रक्शन कं०, टाऊन हाल के सामने, जमजोधपुर वाला बिल्डिंग, जामनगर, की ओर से भागीदार :—

1. श्री नाराणभाई कचराभाई पटेल,
2. श्री विनोद राय नारायणभाई पटेल, ।

(अन्तरक)

(2) श्री सुज्जन को० ओप० हाऊसिंग सोसायटी, अपना बाजार के सामने, जमजोधपुर वाला बिल्डिंग, जामनगर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त, व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 21000 वर्गफुट है तथा जिसका सिटी सर्वे नं० 6, मेन पार्ट वार्ड-1 है तथा जो बेड़ी गेट के बाहर, शरु सेक्शन रोड, जामनगर में स्थित है।

जे० कथुरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 6-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा
269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 अगस्त, 1976

निदेश सं० ए० सी० क्यू० 23-I-1121 (497) /16-6/
75-76 :—यतः मुझे, जे० कथूरिया
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269 ख
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 540 है, जो कलावाड़ रोड,
राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
राजकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, 30-12-75

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनु-
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री भोगीलाल गिरधर लाल कोटक, पंच नाथ
प्लाट, शेरी नं०-1, राजकोट।

(अन्तरक)

(2) श्री मगनलाल मेपाभाई पटेल, चौधरी हाई स्कूल
के पास, राजकोट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20 क में परि-
भाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय
में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 1 एकड़
है तथा जिसका सर्वे नं० 450 है तथा जो कलावाड़ रोड पर,
राजकोट में स्थित है।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण);
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 6-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 अगस्त 1976

निदेश सं० ए० सी० क्यू० 23-1/912 (500) /1-1/-75-76:—यतः मुझे, जे० कथूरिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 323 (भाग) हिस्सा नं० 36 (भाग) एफ० पी० नं० 252 (भाग) टी० पी० एस० नं० 24, है, जो खोखरी, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 12-12-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) मैसर्स श्री जी० कारपोरेशन (फर्म) की ओर से मैनेजिंग भागीदार:—

श्री नरेन्द्र मोहनलाल, तलाटी, 3-जीवन प्राण सोसायटी, भैरवनाथ रोड, अहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) पाथे (मणीनगर) को० प्रोप० हाऊसिंग सोसायटी लि० (अहमदाबाद) की ओर से:—

प्रमुख श्री मगनलाल गांडालाल मिस्त्री,

सेक्रेटरी : रवीन्द्र एस० पटेल,

मेम्बर : हरषदराय रंछोड़जी उसाई

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या शसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लॉट जिसका कुल क्षेत्रफल 1815 वर्ग गज है तथा जिसका सर्वे नं० 323 (भाग), हिस्सा नं० 36 (भाग) फायनल प्लॉट नं० 252 (भाग), टी० पी० एस० नं० 24 है, तथा जो खोखरा, अहमदाबाद, अहमदाबाद में स्थित है।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 6-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 अगस्त 1976

निदेश सं० ए० सी० क्यू० 23-1-831 (501) /1-1/
75-76 :—यतः मुझे, जे० कथूरिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि
स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए
से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 2, 3 तथा 4 है, जो माजेवाडी
गेट के बाहर, जूनागढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची
में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या-
लय जूनागढ़ में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961
(1908 का 16) के अधीन, तारीख 30-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है
और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम,
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने
या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम,
1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए
था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन,
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) सर्व श्री

1. पटेल मगनलाल छगनलाल
2. उषाबेन रसीकलाल,
3. मंजूला गौरी कांजीभाई
4. शांतीलाल जीवाभाई,
5. पटेल विठ्ठलदास जीवाभाई
6. पटेल गोपाल दास गांडालाल
7. पटेल मगन लाल लालजी भाई
8. जमकूबेन लालजीभाई,
9. कांजीभाई गोपालभाई
10. पटेल विठ्ठलदास बाबनजी,
11. पटेल दामजी मोहन जूनागढ़ ।

(अन्तरक)

(2) श्री पटेल धीरज लाल मांजीभाई

मारफत : मैसर्स ललित एण्ड कं०, जूनागढ़ ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्य वाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी
व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में
किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम' के अध्याय 20 क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

अश्वल सम्पत्ति जो 2828-62-77 वर्गज भूमि सहित है
तथा जिसका प्लॉट नं० 2, 3, तथा 4 है तथा जो माजेवाडी
गेट के बाहर, जूनागढ़ में स्थित है ।

जे० कथूरिया

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 6-8-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 अगस्त 1976

निदेश सं० ए० सी० क्यू० 23-I-1122 (502)/

1-1/75-76 :—यतः मुझे, जे० कथूरिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सी० टी० एस० नं० 4304, 4305
तथा 4306 है, जो पांच कुवां, मिर्घा वाड़, कालूपुर वाड़
नं० 1, अहमदाबाद में स्थित है, (और इससेसे उपाबद्ध अनुसूची
में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन 22-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की वाबत उक्त
अधिनियम क अधीन कर देने के अन्तरक
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम'
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के
अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उप-
धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—
7—216 GI/76

(1) मैसर्स केस्वाणी ब्रदर्स, की ओर से भागीदारः—

1. श्री एल० दास भगवानदास केस्वाणी,
2. श्री गीपीचन्द भगवान दास केस्वाणी
3. श्री पूरणचन्द भगवान दास केस्वाणी
4. श्री वासुदेव परसराम केस्वाणी
5. श्री एकरदास द्वारकादास केस्वाणी, कटलरी
मर्चेन्ट्स, केस्वाणी बिल्डिंग, मिर्घा वाड़, पांच
कुवां, अहमदाबाद। (अन्तरिती)

(2) श्री तोलाराम लडिकराम ओरवाणी, 7, सिद
मोडल सोसायटी पुराना वाड़ज बस स्टैंड के पास
अहमदाबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में
से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति से हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों, का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में
परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय
में दिया गया है।

अनुसूची

एक कमरा जिसका खानगी, नं० 6 है तथा जिसका कुल
क्षेत्रफल 16-22 वर्ग मीटर है तथा जो "परसराम चैम्बर्स"
के नाम से प्रख्यात बिल्डिंग में स्थित है तथा जिसका सी०
टी० एस० नं० 4304, 4305, तथा 4306 है तथा जो कालूपुर
वाड़ नं० 1, पांच कुवां, मिर्घा वाड़, अहमदाबाद में स्थित
है।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 6-8-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 अगस्त 1976

निदेश सं० ए० सी० ब्यू० 23-I-1123(503) /1-1/
75-76 :—यतः मुझे, जे० कथूरिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सी० टी० एस० न० 4304, 4305, तथा 4306, है, जो पांच कुवां, मिर्घा वाड़, कालूपुर वाड़-नं० 1 अहमदाबाद में स्थित है. (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 17-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269 घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) मैसर्स केस्वाणी ब्रदर्स, की ओर से, भागीदार :—

1. श्री एन० दास भगवानदास केस्वाणी,
2. श्री गोपीचन्द भगवानदास केस्वाणी
3. श्री पूरणचन्द भगवानदास केस्वाणी,
4. श्री वासुदेव परसराम केस्वाणी,
5. श्री पोरकदास द्वारका दास केस्वाणी,

कटलरी मर्चेंट्स, केस्वाणी, विल्डिंग, मिर्घा वाड़, पांचकुवा, अहमदाबाद। (अन्तरक)

(2) श्री चेलाराम ए० लालवाणी, 11 हिल पार्क को० ओ० हाऊसिंग सोसायटी, कांकरीया, अहमदाबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी श्राक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक कमरा, जिसका, खानगी नं० 7 है तथा जिसका कुल क्षेत्रफल 14.7 वर्गमीटर है तथा जो "परसराम चैम्बर्स" के नाम से प्रख्यात विल्डिंग में स्थित है तथा जिसका सी० टी० एस० नं० 4304, 4305, तथा 4306 है तथा जो कालूपुर वाड़ नं०-I, पांच कुवां, मिर्घा वाड़, अहमदाबाद में स्थित है।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 6-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० -----

(1) श्री एम० वी० दुरैसामि रेडीयार और आदि
(अन्तरक)आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना(2) श्री कन्दप्प गऊन्डर और आदि ।
(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रासको यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ ।

मद्रास, दिनांक 5 अगस्त 1976

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

निदेश सं० 80/दिसम्बर/75-76 :--यतः मुझे, जी० रामानाथन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

और जिसकी सं० 354; 96/1, और 96/2, कावेरीपट्टी है, जो कोनेरीपट्टी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एडप्पाडी (पत्र सं० 1545/75) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिसम्बर, 1975 को

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

अनुसूची

सेलम जिल्ला, कावेरीपट्टी गांव सर्वे सं० 354, और 96/1 में 6.35 एकड़ खेती की भूमि और ए० सं० 96/2 में 75 सैन्ट खेती की भूमि (कोनेरीपट्टी गांव) ।

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

तारीख : 5-8-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

(1) श्री रामस्वामी ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ
(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 5 अगस्त 1976

निदेश सं० 81/दिसम्बर/75-76 :—यतः मुझे, जी० रामानाथन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 47/1, और 47/2, है, जो कोनेरीपट्टी गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ईडप्पाडी (पत्र सं० 1571/75) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1808 (1908 का 16) के अधीन, दिसम्बर, 1975

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(2) श्री के० एस० पलनियप्पतन ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित, है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सेलम जिल्ला कोनेरीपट्टी गांव सर्वे सं० 47/2 और 47/1 में 165½ एकड़ खेती की भूमि ।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

तारीख : 5-8-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० —————

(1) श्री वेंकटाचलम

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्री के० एस० पलनियप्पन

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 मद्रास

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

मद्रास, दिनांक 5 अगस्त, 1976

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

निदेश सं० 82/दिसम्बर/75-76 :—यतः, मुद्दा, जी०
रामानाथन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि
स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से
अधिक है

और जिसकी सं० 47/1 और 47/2 है, जो कोनेरीपट्टी
गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इप्पाडी
(पत्र सं० 1572/75) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधीन, 16 दिसम्बर, 1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत
अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/
या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को,
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामिल से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं,
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सेलम जिला, कोनेरीपट्टी गांव सखे सं० 47/2 और 47/1
में 1.65½ एकड़ खती की भूमि ।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

तारीख : 5-8-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ
(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 7 अगस्त, 1976

निर्देश सं० 106/दिसम्बर/75-76 :—यतः, मुझे, जी०
रामानाथन

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 2/65 है, जो बाड़वे, मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मद्रास (पत्र सं० 935/75) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 31-12-1975

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन; निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री पी० वीररागबलु चेट्टीयार

(अन्तरक)

(2) श्री जी० कृष्णन

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास-1, बाड़वे डोट सं० 2/65 (आर० एस० 5449)
में 1716 स्कुयर फीट की भूमि (मकान से साथ)।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 7-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

(1) श्री एम० पी० लोक्या

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्री एम० शिवणप्पुगम

(अन्तरिती)

भारत सरकार

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

मद्रास, दिनांक 7 अगस्त 1976

निदेश सं० 63 /डीईसी०/75-76 :--यतः मुझे, जी०
रामानाथन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 358 है, जो पूनमल्ली है रोड मद्रास में
स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मद्रास (पत्र सं०
3411/75) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन, 16 दिसम्बर, 1975
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनु-
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों
में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहरताक्षरी के पास लिखित में
किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं,
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया
है।

अनुसूची

मद्रास 29, पूनमल्ली है रोड डोस सं० 358 (आर० एस०
सं० 70/10 बी०) में 2 आउंड और 1200 स्क्वियर फीट की
की खाली भूमि।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

तारीख : 7-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 13 जुलाई 1976

निदेश सं० अर्जन/1002 ए०/ मथुरा/ 75-76 1846 :—

अतः मुझे, विजय भागवा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मथुरा, में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6-12-75 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अजय शंकर पुत्र श्री रमा शंकर जी निवासी 415 चुना कंकर शहर मथुरा।

(अन्तरक)

(2) श्री सुधर सिंह पुत्र श्री कन्ही सिंह निवासी बन्दा तहसील सादाबाद जिला मथुरा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नम्बर, 33 क्षेत्रफल 1668 वर्गफुट बाकं कृष्णापुरी मथुरा जो कि 38,000 रु० मूल्य में हस्तप्रन्तरित किया गया है।

विजय भागवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 13-7-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 4 अगस्त 1976

निदेश नं० अर्जन/982 ए०/75-76/946 :—अतः

मुझे, विजय भार्गवा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-12-75

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

8—216 GI/76

(1) डा० डी० पी० अग्रवाल पुत्र श्री राम गोपाल निवासी गोपाल बाटिका पी० एन० शर्मा रोड, मेरठ, शहर ।

(अन्तरक)

(2) डा० एम० आर० भार्गवा पुत्र स्व० श्री जानकी रमन भार्गवा निवासी 9, विजय नगर मेरठ, शहर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नं० 977, 978, ए० 979/1 और 980 क्षेत्रफल 981 वर्गगज स्थित पी० एल० शर्मा रोड, गोपाल बाटिका, मेरठ शहर, 1,00,000/- रु० मूल्य में हस्तप्रन्तरित की गई है ।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 4-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 4 अगस्त, 76

निदेश नं० अर्जन/1033-ए०/कानपुर/75-76/947 :—

अतः मुझे, विजय भार्गवा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 घ के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री सुभाष चन्द मकर (बर्मा) पुत्र श्री सोसहन लाल भार्गव बर्मा फुट वीयर चौक, कानपुर
(अन्तरक)

(2) श्री सन्त निरनकारी मंडल (रजिस्टर्ड) हेड आफिस देहली-9 द्वारा सरदार आया सिंह संत निरनकारी मंडल ब्लाक उप प्लॉट नं० 7 गोविंदनगर कानपुर।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन के अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति उप प्लॉट नम्बर 8 का प्लॉट नं० 3 ब्लाक "के" क्षेत्रफल 1000 वर्गगज स्थित ब्लाक "के" गोविंद नगर कानपुर, 64,393.24 ह० मूल्य में हस्तप्रन्तरित किया गया है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 4-8-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ब
(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 5 अगस्त 76

निदेश नं० अर्जन/50 ए०/कानपुर/76-77/959 :—

अतः मुझे, विजय भार्गव,
अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात्
'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर
संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची
के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर
में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के
अधीन, तारीख 4-12-75

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत
से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्त-
रितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया प्रतिफल, निम्न-
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित
नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269ब की उपधारा (1) के
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड,
जूही, कानपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्री सत्य नारायण (2) श्री भगवती प्रसाद पुत्रगण
श्री रघुनाथ प्रसाद, निवासी ग्राम डा० घाटमपुर
जिला कानपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में
किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20क में परि-
भाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय
में दिया गया है ।

अनुसूची

अचल संपत्ति प्लॉट नवम्बर, 19 क्षेत्रफल 866.66
वर्गगज स्थित 133/60 आनन्दपुरी कालौनी, जूही, कानपुर
77999.40 रु० मूल्य में हस्तान्तरित की गई है ।

विजय भार्गव
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 5-8-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० —————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 5 अगस्त 1976

निदेश नं० अर्जन/1035 ए०/कानपुर/75अ76/960:—

अतः मुझे, विजय भागवत,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अन्त-सरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ के उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री भगवती प्रसाद तिवारी (2) राज कुमार तिवारी पुत्रगण स्व० पं० बलभद्र प्रसाद तिवारी (3) श्रीमती गुलाब बाई बेवा स्व० बलभद्र प्रसाद तिवारी साकिनांन 4/281 पारखती बागला रोड कानपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री मोहन लाल बाबाम पुत्र श्री जानकी प्रसाद बाधम निवासी गुमटी नं० 9 शोरा गोंदाम कानपुर शहर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि का तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन के अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति प्लॉट नं० 4 रकबा 200 बगंगज बार्क मौजा अकबरपुर परगना ब जिला कानपुर 11,600 ह० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया गया है।

विजय भागवत
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 5-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 5 अगस्त 1976

निवेश नं० अर्जन/1139/आगरा/75-76/965 :—

अतः मुझे, विजय भार्गव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आगरा, में, रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-12-1975

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती हफीजा बेगम पत्नी स्व० अब्दुल अखलाक नि० 6/7 गालिबपुरा कला चौराहा नालबन्द, आगरा ।

(अन्तरक)

(2) श्री विनीत खेड़ा नावालिग पुत्र श्री रामप्रकाश जी खेड़ा (2) श्रीमती इन्द्रा खेड़ा पत्नी रामप्रकाश खेड़ा निवासी चौराहा नालबन्द, आगरा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नं० 6/5-6 जिसकी माप 511½ वर्गगज है जो गलिबपुरा कला आगरा में स्थित है इसका हस्तान्तरण 43000/- में किया गया है ।

विजय भार्गव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 5-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 5 अगस्त 1976

निदेश नं० अर्जन/1135/आगरा/75-76/966 :—अतः
मुझे, विजय भार्गव
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची
के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आगरा
में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
तारीख 22/12/75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत
से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/
या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अन्त-
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती हफीजा बेगम पत्नी स्व० अखलाक साहिब
नि० 6/7, गालिब पुरा कला नाई मण्डी, आगरा
(अन्तरक)

(2) श्रीमती इन्द्रा खेड़ा पत्नी श्री राम प्रकाश जी खेड़ा
निवासी 6/5-6 नालबन्द चौराहा, आगरा ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी
व्यक्ति द्वारा ।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नं० 6/5-6 जिसका क्षेत्रफल 256 बर्गगज
है जो गालिब पुरा कला, आगरा में स्थित है । इसका हस्तान्तरण
43,000/- में किया गया है ।

विजय भार्गव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 5-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 अगस्त 1976

निर्देश सं० अर्जन/1103/हापुड/75-76—अतः मुझे विजय भार्गव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाधद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हापुड, में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 22/12/1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री डलू उर्फ डल्लू पुत्र हीरा निवासी कस्बा हापुड मोहल्ला मोरपुरा जि० मेरठ (अन्तरक)

2. श्री नवज्योति सह गृहनिर्माण समिप स्थित कस्बा हापुड जि० मेरठ द्वारा श्री कृष्ण कुमार गंग पुत्र श्री चमन लाल नि० जवाहर गंज हाल विवेक कालोनी श्रीनगर हापुड मेरठ प्रधान व राम कुमार शर्मा पुत्र श्री रघुनन्दन प्रसाद नि० 156 अवाहर गंज हापुड जि० मेरठ सचिव (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विजय भार्गव,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज कानपुर

तारीख : 6-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 अगस्त 1976

निर्देश एफ० सं० अर्जन/1077/कानपुर/75-76/962—
अतः मुझे विजय भार्गव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपावृत्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-12-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल को पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितियों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री भगवत प्रसाद तिवारी निवासी 4/281 पार्वती बागला रोड कानपुर (अन्तरक)

2. श्री बट्टी सिंह निवासी 76/544 कुली बाजार कानपुर। (अन्तरितियों)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति प्लॉट नं० 39 और 40 मौजा बैरी अकबरपुर पर० व जिला कानपुर में स्थित जिसकी माप 400 वर्ग गज है इसका हस्तान्तरण 18,000/- में हुआ है।

विजय भार्गव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख 6-8-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

भायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा
269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 अगस्त 1976

निर्देश सं० अर्जन/1072/कानपुर/75-76/968—अतः

विजय भार्गव

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा अनुसूची के अनुसार में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20-12-1975 ।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

9-216GI/76

1. श्री भागवत प्रसाद तिवारी व राजकुमार तिवारी पुत्रगण
पं० बलभद्र प्रसाद तिवारी व श्रीमती गुलाब बाई बेवा पं० बलभद्र
प्रसाद तिवारी सं० 4/281 पारवती बागलारोड, कानपुर ।
(अन्तरक)

2. श्री भगवान दास नाबालिग पुत्र श्री छैदी लाल
रफाकत छैदी लाल व श्री सती प्रसाद नाबालिग पुत्र श्री
मोती लाल सा० गुटैया बाजार कानपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचला सम्पत्ति प्लॉट नं० 45, रकबा 270 वर्ग गज बाकै
मौजा बैरी अकबरपुर परगना व जिला कानपुर 12,000 रु० मूल्य
में हस्तान्तरित किया गया है।

विजय भार्गव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 6-8-1976 ।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 अगस्त 1976

निर्देश सं० अर्जन /1070/कानपुर/75-76/969—अतः

मुझे विजय भार्गव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के उपधारा (1) के अधिन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री भागवत प्रसाद तिवारी (2) राजकुमार तिवारी पुत्रगण पं० बलभद्र प्रसाद तिवारी (3) श्रीमती गुलाब वाई देवा पं० बलभद्र प्रसाद तिवारी सा० 4/281 पारवती बागल रोड, कानपुर (अन्तरक)

2. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री रामकृष्ण कटियार सा० 53/7 विजयनगर कानपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 46 रकबा 200 बर्ग गज बाकें घेरी अकबरपुर परगना व जिला कानपुर 12,000रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

विजय भार्गव

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख 6-8-1976।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 अगस्त 1976

निर्देश सं० अर्जन/1081/कानपुर/75-76/970—अतः

मुझे, विजय भागंब,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 घ के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप के वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 31-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री (1) चिमन लाल भाटिया (1) रोशन लाल भाटिया (3) मनोहर लाल भाटिया (4) गुरुबकस लाल बल्द श्री सावनमल भाटिया पाटनस मैसर्स भाटिया सेफ बकर्स 47, फक्टरी एरिया फजलगंज, कानपुर। (अन्तरक)

2. मै० मलिक ट्रेडर्स रजिस्टर्ड पार्टनर शिपफर्म 111-ए महात्मा गांधी रोड बाम्बे द्वारा श्री तिलक राज सहगल बल्द श्री जीत राम सहगल 7/183 जे० स्वरूप नगर कानपुर रजिस्टर्ड पार्टनर फर्म मै० मलिक ट्रेडर्स। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति प्लॉट नं० 36-37 ब्लॉक टी स्क्रीम नम्बर 1 फ़ैक्टरी एरिया फजलगंज कानपुर रकबा 10188 वर्ग गज बाकें 123/383 फ़ैक्टरी एरिया फजलगंज कानपुर जो 2,40,900 रु० मूल्य में हस्तान्तरित की गई है।

विजय भागंब
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 6-8-1976।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 अगस्त 1976

निर्देश सं० अर्जन/1071/कानपुर/75-76/971—अतः मुझे,
विजय भागव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के
अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से
अधिक है

और जिसकी स० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख
20-12-1975

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण
में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री भागवत प्रसाद तिवारी (2) राजकुमार तिवारी
पुत्रगण पं० बलभद्र प्रसाद तिवारी (3) श्रीमती गुलब बाई बेबा
पं० बलभद्र प्रसाद तिवारी सा० 4/281-नारवती बागला रोड
कानपुर। (अन्तरक)

2. श्री छेदी लाल व छाजी लाल पुत्रगण श्री राम नारायण
सा० गुटैया बाजार कानपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों
में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परि-
भाषित है, वही अर्थ होगा जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल संपत्ति प्लॉट नम्बर 44 रकबा 193 वर्गगज और
1 वर्गफीट बाक़े मौजा बैरी अकबरपुर परगना व जिला कानपुर
11,586-67 रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

विजय भागव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 6-8-1976।
मोहर।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 7 अगस्त 1976

निर्देश सं० फा० नं० अर्जन/130/कानपुर/76-77/963—

अतः मुझे, विजय भार्गव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से धणित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, कानपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 9-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री हाजीअब्दुल हफीज पुत्र मौहम्मद रमजानी नि० 76/384, कुली बजार कानपुर । (अन्तरक)

2. श्री मुसम्मि रियासत हुसैन पुत्र शेख मुहम्मद होसल निवासी 93/59, नई सड़क कानपुर । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नं० 94/90 जिसकी माप 122.2 वर्गगज है जो नई सड़क कानपुर में स्थित है। इसका हस्तान्तरण 70,000/- में किया गया है।

विजय भार्गव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 7-8-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 7 अगस्त 1976

निदेश सं० अर्जन/1140/आगरा/75*76/964--प्रतः

मुझे, विजय भार्गव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम, प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आगरा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य के उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनु-सरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री ग्यान चन्द वर्मा पुत्र स्व० श्री आसा सिंह जी निवासी छोटी अथाई नाई की मण्डी आगरा। (अन्तरक)

2. श्री सीता राम श्री राधेश्याम पुत्र श्री राम प्रसाद यादव 3-श्रीमती माया देवी पत्नी श्री सीताराम 4-श्रीमती चमेली देवी पत्नी श्री राधेश्याम सब नि० पन्जा मदरसा बेलन गंज, आगरा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नं० 14/18 जिसकी माप 313 वर्ग गज है जो अथाई खुर्व नाई की मण्डी आगरा में स्थित है इसका हस्तान्तरण 47,000 रु०/- में किया गया है।

विजय भार्गव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 7-8-1976।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की
धारा 269ष (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 7 अगस्त 1976

निर्देश सं० एफ० अर्जन/1124/रुड़की/75-76/967—अतः

मुझे विजय भार्गव,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ष के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रुड़की में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य, से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पत्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व, में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ष के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269ष की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री जयपाल (2) श्री राजाराम पुत्रगण श्री लक्ष्मी राम निवासी ग्राम सैयदपुरा पर० भंगलौर तह० रुड़की, सहारनपुर।

(अन्तरक)

2. श्री सुरेन्द्र पाल त्यागी पुत्र श्री हुकुम सिंह (2) श्री मनोज कुमार (नाबालिग) पुत्र श्री विशम्भर पिता खुद निवासी ग्राम तन्सीपुर पर० भगवानपुर तह० रुड़की जिला सहारनपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अथल सम्पत्ति खसरा नं० 42/2 माप 9 बीघा, 4 बिस्वा जो ग्राम सैयदपुरा पर० भंगलौर तह० रुड़की जिला सहारनपुर में स्थित है। जिसका हस्तान्तरण 28,500/- में हुआ है।

विजय भार्गव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 7-8-1976

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 ष(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 9 अगस्त 1976

निर्देश सं० एफ० नं० अर्जन/949ए०/75-76/972—

अतः मुझे, विजय भार्गव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सूची के अनुसार है तथा जो सूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम; के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 ष की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण लाल गुप्ता निवासी बम्बई।
(अन्तरक)

2. श्री वीलत राम पुत्र श्री दोपन दास निवासी 111/93
अशोक नगर, कानपुर।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20 क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नं० 1679 जिसका क्षेत्रफल 4.4 बीघा जो कि ग्राम वैरी अकनरपुर, जिला कानपुर है। जिसका हस्तांतरण 65000/- रु० में हुआ है।

विजय भार्गव
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख 9-8-1976।

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०

1. श्री सुरेन्द्र कुमार जैन एवं अन्य विक्रेतागण। (अन्तरक)

2. श्री रहमत उल्ला एवं अन्य क्रेता क्रेतागण (अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 14 जुलाई 1976

निर्देश सं० 95-आर० (ए०)/अर्जन—अतः मुझे, अमर सिंह
त्रिसेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा
269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लॉट है तथा जो कि मोहल्ला बाजार वार्क
चाँदपुर निकट (जामा मस्जिद) बिजनौर में स्थित है (और इससे
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय चाँदपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1908 का (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20-12-1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त, अधिनियम, की धारा 269 ग के
अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269 घ की
उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में
से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में जिये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20 क में
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय
में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्रीहोल्ड प्लॉट जो कि वार्क चाँदपुर मो० बाजार निकट
(जामा मस्जिद) बिजनौर में स्थित है। जिसके पूरब को मकान
कस्सावन पश्चिम सड़क सरकारी उत्तर को मकान बाजवित
दक्षिण आराजी चन्डी परसाद है।

अमर सिंह त्रिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 14-7-1976।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन क्षेत्र, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 14 जुलाई 1976

निर्देश सं० 95-आर० (बी०)/अर्जन—अतः मुझे, अमर सिंह बिसेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का वारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट है तथा जो कि चांदपुर मौ० बाजार (निकट जामा मस्जिद) बिजनौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चांदपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी कसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. कीर्ति प्रकाश एवं अन्य विप्रेतागण (अन्तरक)

2. श्री रहमत उल्ला एवं अन्य केतागण । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी ध्यवितियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्रीहोल्ड प्लॉट जो कि चांदपुर मौ० बाजार निकट जामा-मस्जिद बिजनौर में स्थित है। जिसके पूर्व में मकान कसवान पश्चिम को मकान लल्लू बाब को सबक सरकारी, उत्तर को आराजी चन्डी प्रसाद दक्षिण को रास्ता बदलू जामा मस्जिद है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 14-7-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

1. श्री चन्डी प्रसाद जैन (अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

2. श्री रहमत उल्ला एवं अन्य क्रेता गण (अन्तरिती)

भारत सरकार

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:-

लखनऊ, दिनांक 14 जुलाई 1976

निर्देश सं० 95-आर० (सी०)/अर्जन—यतः मुझे अमर सिंह
विसेन

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि रथावर
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये
से अधिक है

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त रथावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

और जिसकी संख्या प्लॉट है तथा जो कि चांदपुर (मी० बाजार
निकट जामामस्जिद जो कि राजावली के नाम से मशहूर है। जिला
बिजनौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चांदपुर
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
तारीख 20-12-1975

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए, अन्तरिक की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत
से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कर्मा करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

एक फ्री होल्ड प्लॉट जो कि चांदपुर मी० बाजार निकट जामा
मस्जिद जो राजावली के नाम से मशहूर है। जिसके पूर्व का मकान
कस्वान पच्छिम को सड़क सरकारी उत्तर को आराजी सुरेन्द्र
कुमार बगौरह दक्षिण को आराजी कीर्ति प्रकाश है।

(ख) ऐसी किसी आय या वित्त: धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अमर सिंह विसेन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज लखनऊ

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

तारीख : 14-7-1976।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

1. श्रीमती प्यारी फिलप्स (अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब(1) के अधीन सूचना

2. श्री लेपटीनेट कर्नल पूरन सिंह थापा एवं अन्य (अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 18 जुलाई 1976

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:-

निर्देश सं० 53-पी०/अर्जन—अतः मुझे अमर सिंह विसेन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है और

और जिसका संख्या प्लॉट एवं भवन है तथा जो कि 13 स्ट्रेय रोड
ईलाहाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता, अधिकारी के कार्यालय ईलाहाबाद
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
तारीख 3-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम'
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिति द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के
अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की
उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाह
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में
से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में
परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय
में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्लॉट एवं भवन जो कि 13, स्ट्रेय रोड, इलाहाबाद में
स्थित है एवं जिसका क्षेत्रफल 1.01 एकड़ है। एवं जिसका मजिलों
के मुताबिक क्षेत्रफल 11.88.8 वर्ग गज है।

अमर सिंह विसेन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 18-7-1976।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रजन रेंज लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 19 जुलाई 1976

लिदश सं० 23-सी०/ग्रजन—प्रतः मुझे अमर सिंह बिसेन प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी संख्या एक तीन है मंजिला मकान नं० 165 तथा जो कि मो० दुशहाल पर्वत, महामना मालवीय नगर इलाहाबाद में स्थित है (और इससे उपापन्न अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इलाहाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12-12-1975।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

प्रतः अत्र, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री जगन्नाथ प्रसाद (अन्तरक)

2. श्रीमती चम्पा देवी राय (अन्तरिती)

3. श्री जगन्नाथ प्रसाद (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रजन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक तीन मंजिला मकान नं० 165 सहित जमीन, चहार दिवारी, क्षेत्रफल 30½ × 30½ जो कि मुहल्ला खुशहाल पर्वत, महामना मालवीय नगर इलाहाबाद में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)
ग्रजन रेंज लखनऊ

तारीख : 19अ7-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 19 जुलाई 1976

निर्देशक सं० 24-एल०/अर्जन—अतः मुझे अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम, कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या एक किता एक मजिल्ला मकान लखनऊ में 288/35 है तथा जो कि आर्य नगर लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12-12-1975।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री प्रकाश चन्द्र सक्सेना (अन्तरक)
2. श्री लोकेश कुमार द्विवेदी (अन्तरिती)
3. बिक्रता (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, ही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान पुखता एक मजिल्ला नम्बरी 288/35 बाक आर्यनगर लखनऊ में स्थित है जिसका क्षत्र फल 1975 स्यूकेथर फोट है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 19-7-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 19 जुलाई 1976

निर्देश सं० 96 आर० अर्जन— अतः मुझे अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी संख्या मकान नं० 12 है तथा जो कि मोहल्ला कालाडाडा इलाहाबाद में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है). रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इलाहाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-12-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती कमला देवी (अन्तरक)
2. श्रीमती राधिका देवी एवं अन्य (अन्तरिती)
3. श्रीमती कमला देवी (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक दो मंजिला मकान नं० 12, क्षेत्रफल 255' × 10' जो कि मोहल्ला काला डाडा, इलाहाबाद में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 19-7-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 20 जुलाई 1976

निर्देश सं० 54-पी०/अर्जन--अतः मुझ अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी संख्या मकान नं० 488 Ka/68 है तथा जो कि निराला नगर में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में, कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/ या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जा चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री जसवन्त सिंह (अन्तरक)
2. श्री प्रभात कुमार प्रमानिक (अन्तरिती)
3. श्री बिन्नेता (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।
4. वही (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक पक्का दो मंजिला मकान नं० 488 Ka 68, क्षेत्रफल 3,200 वर्गफीट जो कि निराला नगर, लखनऊ में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 20-7-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 23 जुलाई 1976

निर्देश सं० 34-जे/अर्जन—अतः मुझ अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या बंगला नं० 1 है तथा जो कि० नं० 1 अटल रोड पुलिस स्टेशन सदर कैंट लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15/16-12-1975।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृक्ष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है, कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृक्ष्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृक्ष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में धारतविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

11-216 जी०आई/76

1. सरदार ग्यान सिंह बजाज (अन्तरक)
2. सरदार जेसवंत सिंह सरना एवं अन्य (अन्तरिती)
3. सरदार ग्यान सिंह बजाज (वह व्यक्ति, जिसके अधि-भोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक बंगला सहित कर्मचारियों के घर, अस्त बल क्षेत्रफल 7,712 वर्ग गज जो कि नम्बर 1 अटल रोड पुलिस स्टेशन सदर कैंट, लखनऊ में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 23-7-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 24 जुलाई 1976

निर्देश सं० 35-J/अर्जन—अतः मुझे अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक और जिसकी सं० 537/-25 536/-18, 652/19-23, 656/645 है तथा जोकि ग्राम दसेलिया है तहसील व परगना खैराबाद जिला सीतापुर में स्थित (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सीतापुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 24-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के

उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अन्तर्गण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. शम्पा देवी एवं अन्य (अन्तरक)
2. श्री जगीर सिंह एवं अन्य (अन्तरिती)
3. श्रीमति शम्पा देवी एवं अन्य (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि जिसकी नाप 537 536 652 656Ka
-----, -----, -----, -----
-25 -18 19-23 6.45

जो कि ग्राम दसेलिया, परगना व तहसील खैराबाद, जिला सीतापुर में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 24-7-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

1. डा० धर्म प्रताप (अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ
(1) के अधीन सूचना

2. सम्पत्ति सेवा संस्थान (रजि० पार्टनशिप फर्म) एवं अन्य
(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूं।

लखनऊ, दिनांक 29 जुलाई 1976

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

निर्देश सं० 9-I-(A)/अर्जन—अतः मुझे अमर सिंह बिसेन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु०
से अधिक है

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में
से किसी व्यक्ति द्वारा;

और जिसकी सं० डी 53/92-93 है तथा जो कमन्स, वाराणसी
में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख
18-12-75

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण
है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है
और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है—

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए ; और/या

अनुसूची

प्लॉट नं० डी० 53/92-93, जिसका क्षेत्रफल लगभग—
15, 7, 97, वर्ग फीट है मय चाहारबीवारी जो कि कमन्स,
वाराणसी में स्थित है।

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का
27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं
किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लखनऊ

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन,
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

तारीख : 29-7-1976

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ,

लखनऊ, दिनांक 9 जुलाई 1976

निर्देश सं० 9-आई० (सी)/अर्जन—अतः मुझे अमर सिंह बिसेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० डी 53/92-93 है तथा जो कमच्छा वाराणसी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमति शकुन्तला साहू व अन्य (अन्तरक)

2. श्री सम्पत्ति सेवा संस्थान (रजि० पार्टनरशिप फर्म), एवं अन्य (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० डी० 53/92-83 जिसका क्षेत्रफल लगभग-15797 वर्गफीट है मय चाहारखीवारी जो कि कमच्छा, वाराणसी में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 29-7-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 29 जुलाई 1976

निर्देश सं० 36-जे/एसीक्यू—अतः मुझे अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 262 और 108 है तथा जो चक रघुनाथपुर नैनी इलाहाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16-12-1975 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय के बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. कुमारी प्रबोध बाला | (अन्तरक) |
| 2. श्री जगदीश चन्द्र | (अन्तरिती) |

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता दो मंजिला मकान जिसका नम्बर 262 और 108 है जो कि चक रघुनाथ पुर-नैनी जिला इलाहाबाद में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज लखनऊ

तारीख : 29 जुलाई 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 29 जुलाई 1976

निर्देश सं० 63-के अर्जन—अतः मुझे अमर सिंह बिसेन प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 5 है तथा जो मलदीहया वाराणसी में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-12-75

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बानत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्ग में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री बाला दीन राम जायसवाल व अन्य (अन्तरक)
2. श्रीमती कमला देवी जायसवाल (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो, उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 5 जिसका रकबा 2222 वर्ग फीट है। जो कि मु० मलदहिया शहर वाराणसी में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज लखनऊ

तारीख: 29-7-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 5 अगस्त 1976

निदेश सं० 67 बी/ए सी क्यू--अतः मुझे अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी संख्या 9 अ व अन्य है तथा जो ग्राम मुहम्मदी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बदायूं में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-12-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य के उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

1. श्रीमती सुमिता कुंवर (अन्तरक)
2. श्री बैकुंठ नाथ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 13 बीघा 2 बिस्वा 19 बिस्वा-न्सी है जो कि ग्राम मुहम्मदी जि० बदायूं में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज लखनऊ

तारीख : 5 अगस्त, 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 5 अगस्त 1976

निर्देश सं० 54-के एसीक्यू—अतः मुझ अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या एक मकान है तथा जो कि ग्राम बलरामपुर प० व तह० बलरामपुर जिला गोंडा में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गोंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और /या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती जानकी देवी (अन्तरक)
2. श्रीमती कुसुम देवी (अन्तरिती)
3. खरीददार (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. खरीददार (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान नाप 6110 वर्ग फिट जो कि ग्राम तह० व प० बलरामपुर जिला गोंडा में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज लखनऊ

तारीख : 5-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 5 अगस्त 1976

निर्देश सं० 55-के/एसीक्यू—अतः मुझे अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एक मकान है तथा जो ग्राम, प० व० तह० बलरामपुर जिला गोंडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गोंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः—

12—216 G1/76

1. श्रीमती जानकी देवी (अन्तरक)
2. श्री कैलाश सिंह (अन्तरिती)
3. खरीदादार के (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।
4. खरीददार के (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जनता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान नाप 5330 वर्ग फिट जो कि ग्राम, परगना व तहसील बलरामपुर जिला गोंडा में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज लखनऊ

तारीख : 5 अगस्त, 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 6 अगस्त 1976

निर्देश सं० 56-के/अर्जन—अतः, मुझे अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० प्लॉट, 733वर्ग गज है तथा जो कि मो० खुरशीद जिला रामपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रामपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, या छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमति मुमताज दुल्हन बेगम (अन्तरक)
2. श्री करीम बख्श उर्फ भूरा (अन्तरिती)
3. श्रीमति मुमताज दुल्हन बेगम (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्लॉट नाप 733 वर्ग गज जो कि मो० खुरशीद जिला रामपुर में स्थित है :

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख: 6-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 6 अगस्त 1976

निर्देश सं० 18-न/अर्जन—अतः मुझे अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट 1154½ वर्ग गज है तथा जो कि मो० खुरशीद विल्पा रामपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रामपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 23-12-75

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मुमताज दुल्हन बेगम (अन्तरक)
2. श्रीमति नन्द कुमारी एवं अन्य (अन्तरिती)
3. श्रीमति मुमताज दुल्हन बेगम (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य शक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्लॉट नाप 1154½ वर्ग गज जो कि मो० खुरशीद विल्पा जिला रामपुर में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख: 6-8-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 6 अगस्त 1976

निर्देश सं० 9-0/अर्जन—अतः मुझे अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० प्लॉट 1163 $\frac{1}{2}$ वर्ग गज है तथा जो कि मो० कम्पाउण्ड खुरशीद विल्प रामपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रामपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-12-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमति मुमताज दुल्हन बेगम (अन्तरक)
2. श्री शोम प्रकाश एवं अन्य (अन्तरिती)
3. विक्रेता (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक प्लॉट जिसका नाप 1163 $\frac{1}{2}$ वर्ग गज जो कि मोहल्ला कम्पाउण्ड खुरशीद विल्प, रामपुर में स्थित है ।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 6-8-1976
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त, 1976

निदश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-III/1038/
दिसम्बर-1(12)/75-76/—अतः मुझे च० वि० गुप्ते
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु०
से अधिक है

और जिसकी सं० 25/156-156-ए है तथा जो लाजपत नगर न्यू
डबल स्टोरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची
में पूर्ण से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, नई दिल्ली में
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के
अधीन, तारीख 9-12-1975

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है
और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल,
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप
से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को,
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम,
1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना
चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सुन्दर दास मोतिआनी, सुपुत्र श्री झाभल, निवासी
डी-44, अमर कालोनी, नई दिल्ली 1 इनके अटारनी श्री मदन
लाल के द्वारा, सुपुत्र श्री मोहम लाल, निवासी के-II/101,
लाजपत नगर, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. श्री मुरली धर उपाध्याय, सुपुत्र स्वर्गीय श्री कामला प्रसाद
उपाध्याय, निवासी -सी-16, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली 1
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी
के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में
दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जिसका नं० 25/156-156 ए है, न्यू डबल स्टोरी,
लाजपत नगर-4, नई दिल्ली में स्थित है।

च० वि० गुप्ते
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख: 11-8-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त, 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-III 1056/दिसम्बर-11/(22)/75-76—अतः मुझे चं० वि० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सी-1 है तथा जो स्वामी नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपायध्व अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30-12-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाधत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री मति राधा कुमारी, पत्नी श्री आर० दयाल, निवासी-सी-25, स्वामी नगर, नई दिल्ली । (अन्तरक)

2. श्री भगवान राय शर्मा, सुपुत्र श्री लाघु राम शर्मा, निवासी सी-III, स्वामी नगर, नई दिल्ली । (अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक फ्रीहोल्ड निवासी प्लॉट की भूमि जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग गज है, अधूरे बने हुए ढांचे के साथ है, जिसका नं० सी 1, स्वामी नगर कालोनी, चिराग दिल्ली गांव के पास नई दिल्ली, दिल्ली राज्य, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : 15' चौड़ी सर्विस रोड

पश्चिम : 36' चौड़ी रोड

उत्तर : प्लॉट नं० सी-2

दक्षिण : प्लॉट नं० बी-1

चं० वि० गुप्ते
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1, दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख : 12-8-76

मोहर ;

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा

269 (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 9 जुलाई, 1976

निदेश नं० अर्जन /1137/ आगरा/75-76/691 :—
अतः मुझे, विजय भागवत,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आगरा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-12-1975

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए; शर्त, लिपि में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती सुशीला गौड़ पत्नी केदार नाथ गौड़ निवासी नगला डाकरान निकट सुभाष पार्क, सिविल लाइन्स आगरा।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सुरेश गुलाटी पत्नी कृष्ण गोपाल गुलाटी निवासी हींग की मण्डी आगरा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया था।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नं० 3/18 का भाग इसका क्षेत्रफल 619 वर्गगज है जो महात्मा गांधी मार्ग (सुभाष पार्क) आगरा में स्थित है इसका हस्तान्तरण 35,000 में किया गया है।

विजय भागवत
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 9-7-76

मोहर :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 9th July 1976

No. A.32014/2/76-Admn-I.—In partial modification of this Office Notification of even number dated 24th April, 1976, the President has been pleased to allow Shri K. Sundaram, Permanent Personal Assistant (Grade-C of CSSS) Cadre of Union Public Service Commission to officiate as Senior Personal Assistant (Grade B of CSSS) on purely temporary and *ad hoc* basis for a period with effect from 2-5-1976 to 30-6-1976 (after one day's break on 1-5-1976 following the previous spell of officiation as Senior Personal Assistant from 1-4-1976 to 30-4-1976) against the post of Senior Personal Assistant sanctioned for Additional Secretary & Controller of Examinations as personal to him.

P. N. MUKHERJEE

Under Secretary

Union Public Service Commission

CABINET SECRETARIAT

DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 29th July 1976

No. A-19034/1/76-Ad.V.—Consequent on change of designation of the post of Dy. Central Intelligence Officer, Central Finger Print Bureau, Calcutta to that of Dy. Supdt. of Police (FP) with effect from 19th June, 1976, Shri Y. S. Dikshitulu, Deputy Central Intelligence Officer, Central Finger Print Bureau is appointed as Dy. S.P. (FP) with effect from 19th June, 1976.

G. L. AGARWAL

Administrative Officer (E)

C.B.I.

New Delhi, the 30th July 1976

No. A.35018/6/75-AD.I.—Deputy Inspector General of Police, Special Police Establishment, hereby appoints Shri I. U. Pathan, an officer of Gujarat State Police on deputation as Inspector of Police in the Delhi Special Police Establishment, Division of the Central Bureau of Investigation, Ahmedabad Branch in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 10-4-1976 until further orders.

V. P. PANDEY

Administrative Officer (A)

C.B.I.

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 30th July 1976

No. 1/3/76-Adm.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri U. S. Joshi (I.R.S.), Deputy Secretary, Central Vigilance Commissioner, as Director in the Commission, in an officiating

capacity, with effect from the afternoon of 27th July, 1976, until further orders.

C. NARAYANASWAMY

Deputy Secretary

for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE

New Delhi-110001, the 29th July 1976

No. O-II-881/69-Estt.—Consequent on his attaining the age of superannuation Shri Sant Ram has relinquished charge of the post of JAD (A/Cs) CPAU, Directorate General CRPF New Delhi on the afternoon of 30th June 1976.

The 30th July 1976

No. O-II-147/76-Estt.—The President is pleased to appoint on re-employment Shri P. N. Mehra (Retd.) as Asstt. Commandant in the C.R.P.F. until further orders.

Shri Mehra took over charge of the post of Asstt. Commandant in the Directorate General CRPF New Delhi on the forenoon of 16-7-1976.

The 31st July 1976

No. O-II-1032/75-Estt.—The Director General, C.R.P.F. is pleased to appoint Dr. (Mrs) Jyotsnamai Nayak, as Junior Medical Officer in the C.R.P.F. on an *ad hoc* basis for a period of 3 months only with effect from the forenoon of 4th July, 1976.

The 2nd August 1976

No. O-II-1033/75-Estt.—The Director General, C.R.P.F. is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Shyama Raina, as Junior Medical Officer in the C.R.P.F. on *ad hoc* basis for a period of 3 months only w.e.f. the forenoon of 8th June, 1976.

No. O-II-1040/76-Estt.(CRPF).—The Director General, C.R.P.F. is pleased to appoint Dr. M. Sreenivasa Reddy, as Junior Medical Officer in the C.R.P.F. on an *ad hoc* basis for a period of 3 months only with effect from the forenoon of 16th July, 1976.

No. O-II-1038/75-Estt.(CRPF).—The Director General, C.R.P.F. is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Usha Jain, as Junior Medical Officer in the C.R.P.F. on an *ad hoc* basis for a period of 3 months only with effect from the forenoon of 21st July, 1976.

No. O-II-1048/75-Estt.(CRPF).—The Director General, C.R.P.F. is pleased to appoint Dr. Choudhury Kshirod Chandra Das, as Junior Medical Officer in the C.R.P.F., on *ad hoc* basis for a period of 3 months only with effect from the forenoon of 19th May, 1976.

A. K. BANDYOPADHYAY

Assistant Director (Adm)

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

New Delhi-110011, the 30th July 1976

No. 12/5/74-RG(Ad.I).—In continuation of this office notification No. 12/5/74-Ad.I dated 11 February, 1976, the President is pleased to extend the *ad hoc* appointment of Smt. Krishna Chaudhuri as Linguist, in the office of the Assistant Registrar General (Languages), for a further period of one year with effect from 12 July 1976 or till the post is filled on a regular basis, whichever is earlier.

The 3rd August 1976

No. 25/101/72-RG(Ad.I).—Shri D. M. Sinha relinquished charge of the office of *ex-officio* Director of Census Operations, Uttar Pradesh, Lucknow, on the forenoon of 30th July, 1976.

BADRI NATH
Deputy Registrar General, India &
ex-officio Deputy Secretary

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
BIHAR

Ranchi-834002, the 30th July 1976

No. OE-I-Audo-2113.—The Accountant General has been pleased to promote Shri Nagendra Kishore Mandal, a substantive Section Officer of his office to officiate until further orders as an Accounts Officer in that office with effect from 13-7-1976 (F.N.).

No. OE-I-Audo-2116.—The Accountant General has been pleased to promote Sri Pramatha Nath Roy, a substantive Section Officer of this office to officiate until further orders as an Accounts Officer in that office with effect from 15-7-1976 (F.N.).

B. P. SINHA
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi, the 2nd August 1976

No. 40011(2)/76/AN-A—(1) The undermentioned Accounts Officers will be transferred to the pension establishment with from the afternoon of the date shown against each on their attaining the age of superannuation.

Serial Name with Roster Number	Grade	Date from which transferred to pension establishment	Organisation
1	2	3	5
<i>Sarvashri</i>			
1. K. Lakshminarayanan (P/25)	Permanent Accounts Officer.	31-1-77	Controller of Defence Accounts, Southern Command, Poona.
2. P. Mitra (P/116)	Permanent Accounts Officer	31-1-77	Controller of Defence Accounts (Factories) Calcutta.
3. Amares Sen (P/173)	Permanent Accounts officer	31-1-77	Controller of Defence Accounts (Air Force) Dehra Dun.
4. Bansi Lal Anand (P/403)	Permanent Accounts Officer	31-1-77	Controller of Defence Accounts (Air Force) Dehra Dun.
5. V.K. Muthuswamy (P/598)	Permanent Accounts officer	31-1-77	Controller of Defence Accounts, Southern Command, Poona.
6. A.K. Chatterjee (P/640)	Permanent Accounts Officer	31-1-77	Controller of Defence Accounts (Factories) Calcutta.
7. M.L. Dhar (P/392)	Officiating Accounts Officer	31-1-77	Controller of Defence Accounts (Factories) Calcutta.

(2) The Controller General of Defence Accounts regrets to notify the death of Shri V. Gopalan, Officiating Account Officer (0/45) in the organisation of Controller of Defence Accounts, Southern Command, Poona on 15-7-76

Shri V. Gopalan has accordingly been struck off the strength of the department with effect from 16-7-1976 (FN).

(3) Having given notice of voluntary retirement from service under the provision of Article 459 (i) Civil Service Regulations, Volume I, Shri H.D. Sharma, Permanent Accounts Officer P/445 serving in the organisation Defence Accounts, Western Command, Meerut will be transferred to the pension establishment with effect from the forenoon of 19th October.

Shri H. D. Sharma has been granted earned leave from 21-6-76 to 18-10-76 and Half Pay leave from 19-10-76 to 22-10-76 beyond the date of voluntary retirement.

S.V. SUBRAMANIAN
Dy. Controller General of Defence Accounts (AN)

MINISTRY OF COMMERCE
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF
IMPORTS AND EXPORTS
IMPORT & EXPORT TRADE CONTROL
New Delhi, the 3rd August 1976
(ESTABLISHMENT)

No. 6/1141/76-Admn(G)/5051.—The President is pleased to appoint Shri T. M. Rajagopal, a permanent Stenographer of Grade II of the CSSS working in the Ministry of Commerce to officiate as Senior Personal Assistant (Grade-I) of the CSSS in this office with effect from the forenoon of 15th July, 1976 until further orders.

No. 6/773/65-Admn(G)/5062.—On attaining the age of superannuation Shri V. R. Pillai, relinquished charge of the post of Controller of Imports and Exports in the Office of the Dy. Chief Controller of Imports and Exports, Ernakulam on the afternoon of the 30th June, 1976.

No. 6/533/58-Admn(G)/5072.—The President is pleased to allow Shri A. Ramachandran, an officer officiating in the Selection Grade of the CSS and Deputy Chief Controller of Imports and Exports to continue as Joint Chief Controller of Imports and Exports in this office in an officiating capacity for a period of 60 days with effect from 21-5-76 (forenoon).

A. S. GILL
Chief Controller of Imports & Exports

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES AND
DISPOSALS

(ADMINISTRATION SECTION A-1)

New Delhi-1, the 27th July 1976

No. A-1/1(1052).—The President is pleased to appoint Shri R. K. Saxena, Senior Economic Investigator in the Directorate General of Supplies & Disposals, New Delhi to officiate on *ad hoc* basis as Machine Tabulation Officer in the same Directorate General, New Delhi with effect from the forenoon of the 15th July, 1976.

The 28th July 1976

No. A-1/1(1032).—The President has been pleased to accept the resignation tendered by Shri Jamil Ahmed, a temporary Assistant Director (Grade I) (Training Reserve) in this Directorate General with effect from the afternoon of 13th July, 1976.

2. On acceptance of his resignation Shri Jamil Ahmed relinquished charge of the post of Assistant Director (Grade I) (Training Reserve) in this Directorate General on the afternoon of 13th July, 1976 to enable him to report for training at Lal Bahadur Shastri Academy of Administration Mussoorie on his selection for Central Services, Class I/Indian Police Service on the basis of the results of the Combined Competition Examination, 1975.

K. L. KOHLI
Deputy Director (Administration)

MINISTRY OF STEEL AND MINES
(DEPARTMENT OF MINES)
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta, the 29th July 1976

No. 40/59/C/19A.—The *ad hoc* appointment of Shri S. N. Roy to the post of Assistant Administrative Officer in the Geological Survey of India is regularised with effect from the forenoon of 1-6-1976, until further orders.

Shri S. N. Roy was holding *ad hoc* appointment in the post of Assistant Administrative Officer with effect from 10-12-1973.

No. 2222(AKDG)/19A.—Shri Anup Kumar Das Gupta, Senior Technical Assistant (Geology), Geological Survey of India is appointed as an Assistant Geologist in the same department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 21st June, 1976, until further orders.

No. 2222(PRR)/19A.—Shri P. Ramkista Reddy is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650/- per month in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 16th June, 1976, until further orders.

V. K. S. VARADAN
Director General

SURVEY OF INDIA

Dehra Dun, the 31st July 1976

No. E1-5117/724-SOS.—Shri Pushkar Singh is appointed to officiate as Assistant Stores Officer, Survey of India in the General Central Service Group 'B', against a temporary post in the revised scale of pay of Rs. 550—25—750—EB—30—900/- with effect from the forenoon of 12th July, 1976 until further orders.

K. L. KHOSLA
Maj Gen
Surveyor General of India

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi-11, the 21st July 1976

No. 14/2/75-M.—In exercise of the powers conferred under Rule 6 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, I, Dr. (Mrs.) D. Mitra, Director (Monuments) hereby direct that no fee shall be charged for entry into Taj Mahal, Agra (U.P.) on 24th July 1976 from 4.00 p.m. to 12.00 p.m. (Midnight) 25th July, 1976 from

2.00 p.m. to 5.00 a.m. (25/26th Night) 26th July, 1976 from 7.00 a.m. to 4.00 a.m. (26th/27th Night).

MRS. D. MITRA
Director (Monuments)
for Director General

ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA

No. F. 70-2/74-Estt./13589.—On the recommendation of the DPC, the following Senior Zoological Assistants, Zoological Survey of India are appointed to officiate as Assistant Zoologist, in the same department in temporary capacity from the dates noted against them, until further orders :—

1. Shri A. S. Mahabal—16-7-1976.
2. Shri Ajoy Kr. Mandal—14-7-1976.
3. Shri Rezaur Rahman—14-7-1976.

DR. S. KHERA
Joint Director-in-Charge,
Zoological Survey of India

DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 29th July 1976

No. 10/13/76-SIII.—The Director General, All India Radio is pleased to promote and appoint Shri S. L. Mangla from Senior Engineering Assistant to the Cadre of Assistant Engineer at HPT, All India Radio, Rajkot in an officiating capacity with effect from 12-7-1976 (FN).

No. 10/36/76-SIII.—The Director General, All India Radio is pleased to promote and appoint Shri K. C. Sarkar from Senior Engineering Assistant to the Cadre of Assistant Engineer at All India Radio, Visakhapatnam in an *ad hoc* capacity with effect from 9-7-1976 (F.N.).

The 31st July 1976

No. 10/5/76-SIII.—The Director General, All India Radio is pleased to promote and appoint Shri S. S. L. Gupta from Senior Engineering Assistant to the Cadre of Assistant Engineer at HPT, Jodhpur in an officiating capacity with effect from 7-7-1976 (FN).

HARJIT SINGH
Deputy Director of Administration
for Director General

New Delhi, the 30th July 1976

No. 6(109)/63-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri V. Y. Lohakare, Transmission Executive, All India Radio, Nagpur as Programme Executive, All India Radio, Nagpur in a temporary capacity with effect from the 3rd July, 1976 and until further orders.

No. 6(111)/63-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri S. V. Iyer, Transmission Executive, All India Radio, Madras as Programme Executive, All India Radio, Madras in a temporary capacity with effect from the 7th July, 1976 and until further orders.

P. K. SINHA
Deputy Director of Administration
for Director General

DIRECTORATE GENERAL : DOORDARSHAN

New Delhi, the 21st July 1976

No. A-19012/37/76-SII.—The Director General, Doordarshan hereby appoints Shri G. C. Garg, SEA as Asstt. Engineer at Doordarshan Kendra, Lucknow with effect from 29-6-1976 in an officiating capacity, until further orders.

R. K. KHATTAR
Dy. Director of Administration
for Director General

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 30th July 1976

No. A.32012/4/76(SJ)-Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri M. M. Sangoi to the post of Senior Occupational Therapist in the Safdarjang Hospital, New Delhi, with effect from the forenoon of the 30th June, 1976, in a temporary capacity, and until further orders.

No. A. 11013/2/76(HQ) Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri A. K. Shrivastav to the post of Technical Officer in the Director General of Health Services with effect from the forenoon of 25th June, 1976 on an *ad hoc* basis and until further orders.

No. A. 32012/2/76(SJ)-Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri Khub Chand, Accountant, Safdarjang Hospital, New Delhi to the post of Assistant Administrative Officer in the same Hospital, with effect from the forenoon of the 28th June, 1976, in a temporary capacity and until further orders.

No. A. 32012/2/76(SJ)-Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri Jaswant Ram, Confidential Assistant, Safdarjang Hospital, New Delhi to the post of Assistant Administrative Officer in the same Hospital, with effect from the forenoon of the 28th June, 1976, on an *ad hoc* basis, and until further orders.

No. A. 12022/1/76-(CSSS)/Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Choudhury, a Grade II Stenographer belonging to the Cadre of the Ministry of Health and Family Planning, to the post of Senior Personal Assistant (Grade I of the Central Secretariat Stenographers' Service) in the Directorate General of Health Services for a period of three months with effect from the forenoon of 15th July 1976.

No. A.22013/2/76-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri P. L. Joshi, a permanent officer of the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service to officiate in Grade I of the C.S.S. for a period of 23 days from the forenoon of the 9th July, 1976 to the afternoon of 31st July, 1976.

The President is also pleased to appoint Shri P. L. Joshi as Deputy Director Administration in the Directorate General of Health Services for the above period.

The 2nd August 1976

No. 9-21/75-Admn.I.—The President is pleased to appoint Kumari Hashmath Huque to the post of Senior Lecturer (Continuing Education) at the Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 17th July, 1976 and until further orders.

On her appointment to the post of Senior Lecturer (Continuing Education), Kumari Hashmath Huque relinquished charge of the post of Senior Tutor at the same College on the forenoon of the 17th July, 1976.

The 3rd August 1976

No. 26-18/70-Admn.I.—While proceeding on earned leave for the period from the 17th March, 1976 to 31st March, 1976, Dr. Krishna Mohan, relinquished charge of the post of Assistant Director (Non-medical Veterinarian) in the Kala-Azar Unit, National Institute of Communicable Diseases, Patna, on the afternoon of 15th March, 1976 (16th March being closed holiday).

On the expiry of the earned leave, Dr. Krishna Mohan reverted to his parent Department *i.e.* Department of Agriculture, Animal Husbandry and Co-operation (Animal Husbandry), Government of Bihar, Patna, with effect from the 1st April, 1976.

S. P. JINDAL
Deputy Director Administration

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF
CIVIL AVIATION

New Delhi, the 27th July 1976

No. A. 32013/9/75-ES.—The President is pleased to appoint Shri K. Himmat Singh, Aircraft Inspector in the Inspection Office, Bombay as Senior Aircraft Inspector in the same office on an *ad hoc* basis from

the 7th May, 1976 to 20th May, 1976 and on regular basis with effect from 21st May, 1976 and until further orders.

The 30th July 1976

No. A. 32013/3/75-EC.—In this Department Notification of even number dated the 22nd June, 1976, Serial No. 2 may be substituted as under :—

S. No., Name and Station of posting

2. Shri V. K. Varma, Regional Director, Bombay Region, Bombay Airport, Bombay-57.

No. A. 32013/8/76-EC.—The President is pleased to appoint Shri H. N. Iyer, Senior Communication Officer attached to the office of the Regional Director, Madras Region, Madras Airport, Madras to the grade of Controller of Communication, Aeronautical Communication Station, Madras on *ad hoc* basis with effect from the 18th April, 1976 until further orders.

H. L. KOHLI
Deputy Director of Administration

New Delhi, the 23rd July 1976

No. A. 19014/169/72-EH.—The President is pleased to appoint Dr. P. C. Mathur, an officer of the Indian Statistical Service, Grade IV to the post of Statistical Officer in this Office from 1st July, 1976 (forenoon), until further orders.

T. S. SRINIVASAN
Assistant Director of Administration

FOREST RESEARCH INSTITUTE & COLLEGES

Dehra Dun, the 29th July 1976

No. 16/115/67-Ests-I.—On the expiry of three months notice given to him under F.R. 56(J), Shri Madan Mohan Singh, Assistant Mensuration Officer, Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun, retired from service with effect from the afternoon of 30-6-1976.

H. B. JOSHI
Registrar,
Forest Research Institute & Colleges

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS

Patna, the 30th July 1976

C. No. II(7)5-ET/75/6814.—In pursuance of Government of India, Department of Revenue and Banking New Delhi's order No. 87/76 dated 10-6-76 issued under letter No. A. 22012/19/76-Ad. II dated 10-6-76 and this office Estt. order No. 180/76 dated 16-6-76 appointing three Superintendents of Central Excise/Customs Group 'B' of this Collectorate, to officiate as Assistant Collector of Central Excise/Customs (jr. scale)/Superintendent Central Excise/Customs Group 'A' in the scale of pay of Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300/- the following officers have assumed charge as Assistant Collector of Central Excise at this respective places and with effect from dates and hour indicated against each.

Sl. No.	Name	Place of posting	Date of assumption of charge.
1.	Sri S.B. Saran	Assistant Collector (L/R) (Vig-cum-Welf) C. Ex. Hqrs. office, Patna.	18-6-76 (F.N.)
2.	Sri S.S. Verma	Asstt. Collector, C. Ex., Dhanbad	30-6-76 (F.N.)
3.	Sri S.P. Gupta	Asstt. Collector (Tech.) C. Ex. Hqrs. Office, Patna.	18-6-76 (F.N.)

H. N. SAHU
Collector
Central Excise Patna

Madurai-2, the 31st July 1976

No. 1/76.—The following Inspectors of Central Excise (S.G.) Madurai Collectorate are appointed to officiate until further orders as Superintendent Group B in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200. They have assumed charges as superintendent on the date noted against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Place of posting	Date of assumption
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	A.J. Rathnaswamy	Supdt. Dindigul MOR.	11-2-76
2.	S. Thamburaj	Do Dindigul PG.	21-6-76
3.	S. Samson David	Do. Custom House, Nagapattinam.	23-6-76
4.	C. Asceravatham	Do. Palani MOR.	25-6-76
5.	A.D. Prakashchandran	Do. Dindigul I.G.	30-6-76
6.	V.A.M. Sheik Mohamed	Do. Ramanathapuram Division	30-6-76
7.	S.M. Khader Hussian	Do. Tirunelvely Division.	24-7-76

M. S. SUBRAMANYAM
Collector

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
PORT OF NEW TUTICORIN

Tuticorin-628004, the 28th May 1976

No. A. 22013/(1)/76/Admn/D 1408.—The Chief Engineer & Administrator/Port of New Tuticorin is pleased to appoint Shri M. Muniandi, Junior Engineer (Mechanical) in the Port of New Tuticorin on promotion, as Assistant Engineer (Mechanical) in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- w.e.f. 19-5-1976 (FN) until further orders.

D. I. PAUL
Chief Engineer & Administrator

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF

New Delhi, the 31st July 1976

No. 27-C/M(2)/74-ECII—The following officers of Central Public Works Department on attaining the age of superannuation have retired from service on 31-7-76 (A.N.)

S.No.	Name	Present Designation
1	2	3
	(S/Shri)	
1.	Swami Dial	Chief Engineer (Food), CPWD, New Delhi.
2.	V. Narayanan	Chief Engineer (Valuation), Income-tax Department, New Delhi.
3.	R.S. Mathur	Superintending Engineer (Inquiries), C.O., C.P.W.D. New Delhi.
4.	Nirmal Singh	Surveyor of Works, Office of the S.S.W (Delhi Admn.) New Delhi.
5.	D.K. Jain	Executive Engineer, on deputation to Delhi Development Authority, New Delhi.
6.	B.G. Palsikar	Executive Engineer (Valuation), Income-tax Department, Bombay.

P. S. PARWANI
Dy. Director of Admn.
for Engineer-in-Chief.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 31st July 1976

No. 74/RE/161/1.—It is notified for information of the Public that in connection with the introduction of 25 kV AC electric traction over the section Food Grain Siding at Manmad of the Central Railway, height gauges have been erected at all the level crossings with a clear height of 4.67 m above road level with a view to prevent loads of excessive height from coming into contact or dangerous proximity to live traction wires. Public are hereby notified to observe the height specified above for the purpose of loading vehicles and to see that the loads carried in Road vehicles do not infringe the height gauges under any circumstances.

The dangers of a load of excessive height are as follows :

- (i) Danger to the height gauge and consequent obstruction to the road as well as the Railway line.
- (ii) Danger to the materials or equipment carried on the vehicle itself.
- (iii) Danger of fire and risk of life due to contact with or dangerous proximity to the live conductors.

B. MOHANTY
Secretary, Railway Board

RESEARCH DESIGNS & STANDARDS ORGANISATION

Lucknow-11, the 29th July 1976

No. APC/196.—Shri H. R. Singh, Assistant was promoted as Section Officer/Estt. IV, Research Designs and Standards Organisation, Lucknow from 17-5-1976 to 9-7-1976.

G. N. BHATTACHARYA
Director General

NORTHERN RAILWAY

New Delhi, the 1st May 1976

No. 12.—Shri P. N. Sud officiating Additional Chief Engineer (Planning) of this Railway retired finally from service on 30-4-1976 (AN).

The 29th July 1976

No. 16.—Shri D. P. Nag, Class II Officer of Stores Department, Northern Railway has finally retired from service w.e.f. 31-5-1976 (AN).

S. C. MISRA
General Manager

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

COMPANY LAW BOARD

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Sambalpur Friends Cement Enterprises Private Ltd.

Orissa, the 28th July 1976

No. A-552/76-1370(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Sambalpur Friends Cement Enterprises Private Ltd., unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. N. G. Crushing & Manure Mills Private Ltd.

Orissa, the 28th July 1976

No. A-183/76-1371(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. N. G. Crushing & Manure Mills Private Ltd., unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

C. R. DAS
Registrar of Companies, Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the Cotton Traders Private Limited, Gwalior

Gwalior, the 29th July 1976

No. 383/LIQN/2119.—Notice is hereby given pursuant to Section 445(2) of the Companies Act, 1956 that The Cotton Traders Private Limited, Gwalior (In Liquidation) has been ordered to be wound up by an order dated 28th June, 1976 passed by the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh Bench at Gwalior and the Official Liquidator Indore has been appointed as Liquidator of the Company.

S. P. TAYAL
Registrar of Companies,
Madhya Pradesh, Gwalior

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Saraswathi Motor Transport Company Ltd.

Madras, the 30th July 1976

No. DN/2754/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560(5) of the Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Saraswathi Motor Transport Company Ltd., unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Salem Sri Kannika Parameswari Bank, Limited

Madras, the 30th July 1976

No. DN/2793/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 56(5) of the Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Salem Sri Kannika Parameswari Bank Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

P. BHASKER RAO
Asst. Registrar of Companies,
Tamil Nadu, Madras

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX

New Delhi V, the 25th May 1976

ORDER

No. JUR-DLI/V/75-76/5200—In modification of all earlier orders on the subject and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling him in this behalf, the Commissioner of Income-tax, Delhi-V, New Delhi hereby directs that the Income-tax officers mentioned in column 2 of the schedule appended hereto shall perform their functions in respect of the persons of classes of persons, incomes or classes of income and cases or classes of cases specified in column 3 of the said Schedule other than persons or classes of persons, incomes or classes of incomes and cases or classes of cases which have been or may hereafter be assigned under Sub-Section (1) of Section 124 or Section 127 of the said Act to any other income-tax Officer.

This notification shall have effect from the 1-6-76.

SCHEDULE

S. No.	Designation of the Income-tax Officer	Jurisdiction	Area
1	2	3	4
1.	Income-tax Officer Distt.-II(16), New Delhi	(a) Every person carrying on a business or profession or having principal place of his business or profession in any of the areas specified in column	The area comprised in Wards No. 1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 & 66 (Viz. Timar Pur, Sohan Ganj, Aryapura Roshanara Ext. and Vijay Nagar) of the Municipal

1	2	3	4
		No. 4 of this Schedule or residing in any such area, whose name commences with alphabets C.D, K.L., U & V.	Corp. Delhi.
		(b) All persons being partners of firms falling in item (a) above.	
2.	Income-tax Officer, Distt. II (12), New Delhi.	(a) Every person carrying on a business or profession or having principal place of his business or profession in any of the areas specified in column No. 4 of this Schedule or residing in any such area whose name commences with alphabets A, B & F.	Do.
		(b) All persons being partners of firms falling in item (a) above.	
3.	Income-tax Officer, Distt. II (13), New Delhi.	(a) Every person carrying on a business or profession or having principal place of his business or profession in any of the areas specified in Column No. 4 of this Schedule or residing in any such area whose name commences with alphabets M, N & O.	The area comprised in Wards No 1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 and 66 (Viz. Timarpur, Sohan Ganj, Aryapura, Roshanara Ext. and Vijay Nagar) of the Municipal Corp. Delhi.
		(b) All persons being partners of firms falling in item (a) above.	
4.	Income-tax Officer Distt II (14), New Delhi.	(a) Every person carrying on a business or profession having principal place of his business or profession in any of the areas specified in column No. 4 of this Schedule or residing in any such area whose name commences with alphabets E, P, Q, R, W, X, Y & Z.	Do.
		(b) All persons being partners of firms falling in item (a) above.	
5.	Income-tax Officer Distt. II (15), New Delhi	(a) Every person carrying on a business or profession or having principal place of his business or profession in any of the areas specified in column No. 4 of this Schedule or residing in any such area whose name commences with alphabets S & T.	Do.
		(b) All persons being partners of firms falling in item (a) above.	

ORDER

The 5th June 1976

INCOME-TAX

No. JUR/DLI-Range-V-A/74-75/5066.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling him in this behalf, the Commissioner of Income-tax, Delhi-V, New Delhi hereby directs that the following Income-tax circle shall be created in Distt. II w.e.f. 1-6-1976.

(i) Dstt. II(16), New Delhi.

No. JUR-DLI/V/76-77/10117.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling him in this behalf the Commissioner of Income-tax, Delhi-V, New Delhi, hereby directs that the following Income-tax Circle created under Notification No. JUR-DLI/V/75-76/18863 dated 31-10-1975, shall stand abolished w.e.f. 4-6-1976.

1. Distt. IV(8) (Addl.), New Delhi.

No. JUR-DLI/V/76-77/10240—In supersession of all previous orders on the subject and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling him in this behalf the Commissioner of Income-tax, Delhi-V New Delhi hereby directs that the Income-tax Officers mentioned in col. III of the Schedule appended hereto shall perform their functions in respect of persons or classes of persons, incomes or classes of income and cases or classes of cases specified in col. III of the said Schedule other than persons or classes

of persons, incomes or classes of incomes and cases or classes of cases which have been or may hereafter be assigned under sub-section (1) of section 127 of the said Act by the Central Board of Direct Taxes by the Commissioner of Income-tax to any Income-tax officers :

SCHEDULE

S. No.	Designation of the I.T.O.	Jurisdiction	Area
I	II	III	IV
1.	Income-tax Officer, Doctors' Circle -I, New Delhi.	(a) All cases of persons carrying on business of profession as medical practitioners of alopath i.e. Homoeopathic, Unani Ayurvedic or any other system of medicines Radiologists and pathologists, falling in the jurisdiction of doctors circle, New Delhi where the last assessed returned income is upto Rs. 20,000/- as on 1-6-76. (b) All persons being partners of the firms falling in item (a) above. (c) All new assesseees falling in item (a) & (b) above.	As mentioned in col. III. Do. Do.
2.	Income-tax Officer Doctors' Circle-II, New Delhi.	(a) All Cases of persons carrying on business or profession as Medical practitioners of Alopactic, Homeopathic, Unani Ayurvedic or any other system of medicine, Radiologists and pathologists falling in the jurisdiction of Doctors Circle New Delhi where the last assessed/returned income exceeds Rs. 20,000/- as on 1-6-76. (b) All persons being partners of firms falling in items (a) above. (c) All new assesseees falling in item (a) & (b) above. (d) Cases already assigned u/s 127 of I.T. Act by the CIT.	As mentioned in col. III. Do. Do.
(3)	Income-tax Officer Distt. IV (1) New Delhi.	(a) Every persons carrying on a business or profession or having the principal place of his business or profession in any of the areas specified in col. IV of this Schedule or residing in any such area whose names commence with any one of the alphabets from A to I (both inclusive) where the last assessed/returned income exceeds Rs. 50,000/- as on 1-6-76. (b) All persons being partners of the firms falling in item (a) above. (c) All new assesseees falling in item (a) & (b) above. (d) All cases assigned u/s 127 of the I.T. Act, 1961.	The area comprised in Municipal ward Nos. 8, 17, 18, 19, 20, 21, & 22 viz. Darya Ganj, Matia Mahal Chatta Lal Mian Lal Darwaza, Suiwalan, Kuchapati Ram & Kalan Masjid. Do. Do.
(4)	Income-tax Officer Distt. IV(6), Addl. New Delhi.	(a) Every persons carrying on business or profession or having the principal place his business or profession in any of the areas specified in col. IV of this Schedule or residing in any such area whose name commences with any of the alphabets from A to I (both inclusive), where the last assessed/returned income is upto Rs. 50,000/- as on 1-6-76 (b) All persons being partners of the firms falling in item (a) above. (c) All new assesseees falling in item (a) and (b) above.	The area comprised in Municipal ward Nos. 8, 17, 18, 19, 20, 21 & 22 viz. Darya Ganj Matia Mahal, Chatta Lal Mian Lal Darwaza, suiwalan, Kuchapati Ram & Kalan Masjid. Do. Do.

This Notification shall take effect from 4-6-76.

S. D. MANCHANDA
Commissioner of Income-tax,
Delhi V, New Delhi.

FORM ITNS

(1) Smt. Sushila Gaur w/o Sri Kedar Nath Gaur, r/o Nagla Dakhran near Subhash Park Civil Lines, Agra.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Suresh Gulati w/o Sri Krishan Gopal Gulati r/o Heeng Ki Mandi, Agra.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 9th July 1976

Ref. F. No. Acq/1137/Agra/75-76/691.—Whereas, I, Vijay Bhargava, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at As per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Agra on 31-12-75

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

14—216G1/76

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Immovable property (Part) No. 318, Vacant Plot, measuring 619 sq. yds. situated at Mahatma Gandhi Marg (Subhash Park), transferred for an apparent consideration for Rs. 35,000/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Dated : 9-7-1976.

Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Sushila Gaur w/o Sri Kedar Nath r/o 3/18, Nagla Dakhran near Subhash Park, Civil Lines, Agra.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Smt. Urmila Gulati w/o Sri Subhash Chand Gulati r/o Heeng Mandi, Agra.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Kanpur, the 8th July 1976

Ref F. No. Acq/1138/Agra/76-77/692.—Whereas, I, Vijay Bhargava, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at As per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Agra on 31-12-75 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Immovable property No. 3/18, measuring 621 sq. yds. situated at Subhash Park Mahatma Gandhi Marg, Agra, transferred for an apparent consideration for Rs. 25,000/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Dated : 8-7-76.

Seal :

FORM ITNS—

- (1) Shri Rajnish Kumar Arora s/o Sri Om Prakash r/o 122/50, Kabari Market, Kanpur. 2. Sri Atam Jeet Singh s/o S. Nanak, r/o Bamba Road Gumti No. 5, Kanpur. 3. Sri Shachi Bhushan Ghosh s/o Sri Abhinash Chand Ghosh r/o J. K. Colony, Kanpur.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (2) Shri Abdul Kalam s/o Late Sri Hazi Abdul Rajak r/o 90/171, Iftikharabad, Kanpur.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Kanpur, the 30th July 1976

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. F. No. Acq/829/Kanpur/75-76/874.—Whereas, I, Vijay Bhargava, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at As per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 22-11-75 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Immovable property Khasra No. 266 and 264 measuring 11 bishwa situated Wazipur alias Jajmau, Kanpur transferred for an apparent consideration for Rs. 11,000/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Dated : 30-7-1976

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 30th July 1976

Ref. F. No. 822/Kanpur/Acq/75-76/873.—Whereas, I, Vijay Bhargava, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at As per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 20-11-75 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rajnish Kumar Arora s/o Sri Om Prakash Arora r/o 122/50, Kabari Market, Kanpur. 2. Sri Atam Jeet Singh s/o S. Nanak Singh r/o Bamba Road Gumti No. 5, Kanpur. 3. Sri Shachi Bhushan Ghosh s/o Sri Abhinash Chand Ghosh r/o J. K. Colony, Kanpur.

(Transferor)

(2) Mst Naushba Khatoun w/o Sri Imtiaz Ahmed r/o 42/36-A, Sheetla Bazar, Jajmau, Kanpur. 2. Sri Shoyab Ahmed s/o Sri Mukhtar Ahmed r/o 41/35, Sheetla Bazar, Jajmau, Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property Khasra No. 265 C measuring one bigha situated at Wazidpur alias Jajmau, Kanpur, transferred for an apparent consideration for Rs. 22,000/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kanpur.

Dated : 30-7-1976.
Seal :

FORM ITNS

(1) Glaxo Laboratories (India) Ltd., Annie Beasant Road, Worli, Bombay.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) The K. C. P. Ltd., Ramakrishna Buildings, 38 Anna Salai, Madras.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Kakinada, the 18th May 1976

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

Ref. No. Acq. File No. 335 J. No. KR. 179/—Whereas, I, B. V. Subbarao,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 27-10-18 situated at Ratnayya Street, Buckinghampetu, Vijayawada,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vijayawada on 15-12-75

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

The schedule property as per document No. 3621/75 of the SRO, Vijayawada registered during the fortnight ended on 15-12-75.

B. V. SUBBA RAO,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

Dated : 18-5-76.

Seal :

FORM ITNS—

(1) Smt. Puranam Menakiamma, W/o P. V. Ramakrishna Sastry, Godugupeta, Masulipatnam.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Dr. Ganesuni Param Dhamaiah, S/o Pitchaiah, Kothapeta, GUNTUR.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada-533004, the 2nd July 1976

Ref. No. Acq-File No. 343/12-75.—Whereas, I, B. V. Subba Rao being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 12-25-202 situated at Kothapeta, Guntur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Guntur on 27-12-75 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 5871/75 registered before the Sub-Registrar Guntur during the fortnight ending on 31-12-1975.

B. V. SUBBA RAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Dated : 2-7-1976.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 5th July 1976

Ref. No. Acq. File No. 346 J. No. 300/75-76.—Whereas, I, B. V. Subbarao, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the Immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Door No. 179/C-B2 situated at Ganapavaram village (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Chilakaluripeta on 10-12-75 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) 1. Sadineni Chowdaraiah, S/o Ragavaiyah, 2. Nanna paneni Venkataratnam, S/o Nagaiah, 3. Gottipati Prasadarao, S/o Chandraiath, 4. Mutakonda Kesavarao, S/o Rangaiah C/o Sri Dhanalaxmi Cotton Industries, Ganapavaram.

(Transferor)

(2) 1. G. V. Kasturi Swami Naidu, S/o G. V. Swami Naidu, Coimbatore-2. 2. Smt. Suguna Saraswathi, W/o B. Selvaraj, Coimbatore-2. 3. Miss K. Venkatalakshmi, D/o G. V. Kasturiswami Coimbatore-2. 4. R. Lakshmi Ammal, W/o Rangaswami Naidu, Tirupur. 5. M. Visalakshi, Mounaswami, Tirupur. 6. K. Sukirthamani, W/o Krishnaswamy, Tirupur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the Service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 5788/75 registered before the Sub-Registrar, Chilakaluripeta during the fortnight ended 31-12-1975.

B. V. SUBBA RAO,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Dated : 5-7-1976.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 8th July 1976

Ref. No. Acq. File No. 347 ME. No. 14/76.—Whereas, I, B. V. Subbarao, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. R. S. Nos. 312 & 313 situated at Mallavaram village Kakinada Taluk (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kakinada on 18-12-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

S/Shri

- (1) Villa Venkata Kondayya, S/o Kondalarao. 2. Villa Subbarao, S/o Kondalarao. 3. Smt. Villa Kondamma, W/o Late Venkata Subbarao. 4. Villa Narayana Rao, Being minor by guardian mother Smt. Kondamma. 5. Villa Rambabu, S/o Late Venkata Subbarao. 6. Villa Kondalarao, Being minor by guardian father Venkata Kondayya. 7. Villa Sreenivasarao, Being minor by Guardian father Venkata Kondayya. 8. Villa Kondalarao, Being minor by guardian father Subbarao. 9. Villa Nageswararao, Being minor by Guardian father Subbarao. 10. Villa Annajirao, Being minor by Guardian father Subbarao.

Mallavara Village, Kakinada Taluk, E.G. Dt.

(Transferor)

- (2) Chintalapudi Suryavathi, W/o Sri Sattैया, NEELAPALLI, Kakinada Taluk.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 6619/75 of the Sub1Registrar, Kakinada registered during the fortnight ended 31-12-1975.

B. V. SUBBA RAO,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kakinada.

Dated : 8-7-1976,
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 13th July 1976

Ref. No. Acq. File No. 348 J. No. 106/75-76.—Whereas, I, B. V. Subbarao being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961 (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Door No. 1-2-7 situated at Gandhinagaram, Anakapally (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Anakapally on 23-12-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

- (1) 1. Surabhi Baburao, S/o Paparao 2. Mr. Sreenivas 3. Mr. Udayakumar Gandhinagar, Anakapalli. Being minor guardian father S. Baburao, (Transferor)
- (2) Shri Challa Venkata Subbarayudu, S/o Subbarayudu, BHEEMALAPURAM, Narasapuram Taluk, W.G. District. (Transferee)
- (3) Shri A. V. Satyavani, Door No. 1-2-7, Gandhinagar, Anakapalli. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 5160/75 of the Sub-Registrar, Anakapalli registered during the fortnight ended on 31-12-1975.

B. V. SUBBA RAO,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Dated : 13-7-1976.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 28th July 1976

Ref. No. Acq. File No. 350.—Whereas, I, B. V. Subbarao, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. R.S. No. 66/3, situated at Padapalaparru Village (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gudivada on 29-12-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) 1. Mynam Satyanaraoana, S/o Hanumantharao Penugonda, 2. Mynam Jagannadham, S/o Hanumantharao Penugonda, 3. Mynam Venkateswararao, S/o Jagannadham Penugonda, 4. Mynam Satyanarayana, S/o Jagannadham Penugonda, 5. Mynam Bhaskararao, S/o Jagannadham Penugonda, 6. Chadalavada Ramakrishna, S/o Krishnamurthy Sturu, 7. Mynam Venkateswararao, S/o Hanumantharao, Penugonda. (Transferor)
- (2) 1. Boppana Rajeswaramma, W/o Jogeswararao, 2. Boppana Vijayalakshmi, W/o Rameswamy, 3. Boppana Umadevi, W/o Haribabu, 4. Veeramachaneni Kamalakumari, W/o Adishesarao, 5. Donepudi Ramachandrarao, S/o Audinarayana, 6. Donepudi Jagannathanarao, S/o Audinarayana, 7. Donepudi Nageswararao S/o Audinarayana, 8. Donepudi Satyanarayana, S/o Ramachandrarao, 9. Tiperineni Nageswararao, S/o Venkata Subbaiah. (Transferee)
- (3) M/s Sri Rajarajeswari Rice Mill Construction Co., PEDDAPALAPARRU. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3930/75 registered before the Sub-Registrar, Gudivada during the fortnight ended 31-12-1975.

B. V. SUBBA RAO,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Kakinada.

Dated : 28-7-1976.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110001.

New Delhi-110001, the 20th May 1976

Ref. No. JAC/Acq.II/1188/76-77.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. C-26 situated at Bali Nagar, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering officer at Delhi in December, 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Sitawanti w/o Sh. Darshan Lal r/o C-107, Raghbir Nagar, Tagore Garden, New Delhi.
(Transferor)
- (2) 1. Smt. Janak Rani w/o Sh. Madan Lal r/o A-43, Rajouri Garden, New Delhi. 2. Sh. M. C. Oberoi, s/o Sh. Bishan Dass Oberoi, r/o B-3/14, Rajouri Garden, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land bearing Plot No. 26 in Block C measuring 167 sq. yds. situated in the colony known as Bali Nagar, New Delhi and bounded as under :—

North : Plot No. C-27.
East : Road.
South : Plot No. C-25.
West : Service Lane.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Dated : 20-5-1976.
Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Shri Ram Gupta s/o Sh. Deputy Mal r/o 142
Bazar Perra Mal, Meerut City (U.P.).

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Shri Om Parkash Taneja s/o Shri Bhola Ram Taneja
r/o 4/37 W.E.A. Karol Bagh, New Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110001.

New Delhi-110001, the 20th May 1976

Ref. No. IAC/Acq-II/1189/76-77.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA, being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. F-9 situated at Bali Nagar, New Delhi, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on December, 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the 'said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land bearing Plot No. 9 in Block F measuring 200 sq. yds. situated in the colony known as Bali Nagar, New Delhi and bounded as under :—

North : Road 30 ft.
South : Lane 15 ft.
East : Plot No. F-10.
West : Plot No. F-8.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Dated : 20-5-1976.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110001,

New Delhi, the 18th June 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1194/76-77.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 25 (north) M. No. 5686 situated at Busti Harphool Singh, Sardar Bazar, Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi in January, 1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Attar Chand Batra s/o Shri Bhagwan Dass
2. Smt. Sheela Rani w/o Sh. Attar Chand Batra 3.
Sh. Ashok Kumar Batra s/o Sh. Attar Chand Batra
r/o 5, East Park View Karol Bagh New Delhi.
(Transferor)
- (2) Smt. Kamla Rani w/o Sh. J. L. Suri r/o 12 (South)
Basti Harphool Singh, Sadar Bazar, Delhi.
(Transferee)
- (3) M/s. A. C. Batra & Sons, 1050 Pan Mandi, Sadar
Bazar, Delhi-2 S. L. Chadha, R/o 5686 Basti Har-
phool Singh, Sadar Bazar, Delhi.
(Person(s) in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

2½ storied pucca built building alongwith Barsati bearing Municipal No. 5686, Plot No. 25 (North) Ward XIV, Basti Harphool Singh, Sadar Bazar, Delhi alongwith land underneath bounded as under :—

North : Plot/portion A, owned and possessed by Shri Guru Nanak Satsang Sabha, Basti Harphool Singh.

South : Plot No. 25 (North).

East : Street.

West : Road.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, New Delhi.

Dated : 18-6-1976.

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Harbhajan Singh s/o Shri Prem Singh r/o C-21, Bali Nagar, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Rajinder Singh & Sh. Charanjit Singh sons of Shri Kasturi Lal Duggal r/o 13-A/20 W.E.A, Karol Bagh, New Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 4/14A ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110001.

New Delhi, the 18th June 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1193/76-77.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. E-39 situated at Bali Nagar, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi in December, 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Single storied house constructed on a 3 side open corner plot of land measuring 244.5 sq. yds. bearing No. E-39 in a free-hold colony known as Bali Nagar, New Delhi and bounded as under :—

North : Road 30 ft.
East : Road 30 ft.
South : Lane.
West : Plot No. 40.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Dated : 18-6-1976.

Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III, 4/14A ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110001,

New Delhi, the 27th July 1976

Ref. No. IAC/Acq.III/SRIII/Dec/465(1)/75-76/1763.—

Whereas, I, S. C. PARIJA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 18, Plot No. 15, W.E.A. situated at Karol Bagh, New Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at New Delhi on 17-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Tara Chand Chopra s/o Late Shri Nanak Chand Chopra, r/o 18/16, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi.
(Transferor)
- (2) Shri Surinder Kumar Chopra s/o Shri Tara Chand Chopra r/o 18-16, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi.
(Transferee)
- (3) M/s. Chopra Enterprises (ii) Shri N. K. Chopra and (iii) Smt. Usha Kiran Chopra all r/o 15-18, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi.
(Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house 2½ storeyed built on plot No. 15, in Block No. 18, situated in Western Extension Area, Karol Bagh, New Delhi, vide Khasra No. 785/787, measuring 240 sq. yds. bearing Municipal Number 10019, Ward No. XVI, and bounded as under :

North : Gali.
South : Service Road.
East : Plot No. 14 (House built).
West : Plot No. 16 (House built).

S. C. PARIJA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi.

Dated : 27-7-1976.

Seal

FORM ITNS

(1) Shri Kailashcharan, R/o 21-2-547 at Charkaman, Hyderabad.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) 1. Shri V. Sunder Rami Reddy, R/o Chapal Road, Hyderabad. 2. Smt. P. Eshwarlaxmi, R/o Ashoknagar, Hyderabad.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

Hyderabad, the 6th August 1976

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. RAC. No. 137/76-77.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop No. R-15 on 1st floor situated at M. No. 4-1-938/R-15 Tilak Road, Hyderabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 15-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Property : Shop No. R-15 on 1st Floor, of House M. No. 4-1-938/R-15 at Tilak Road, Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Dated : 6-8-1976.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA-16.

Calcutta-16, the 6th August 1976

Ref. No. TR-233/C-231/Cal-1/75-76.—Whereas, I, S. K. CHAKRAVARTY, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 165/1, situated at Baitakkhana Road, Calcutta, (and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 5 Govt. Place North, Calcutta, on 5-12-76. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

16-216GI/76

- (1) Smt. Krishna Chatterjee. (Transferor)
- (2) 1. Koli Kumar Kundu 2. Parbati Prasad Mondal. Re. 165/1 Baitakkhana Road, Calcutta. (Transferee)
- (3) 1. Sri Sib Nath Haldar, 2. Suraj Sham Smt. Radhika Debi. 3. Sri Gaya Prasad Shaw. 4. Sri Joydeb hika Debi. 3. Sri Gaya Prasad Shaw. 4. Sri Joydeb Saha. 5. Sri Ram Sarak Roy. 6. Sri Parma Goala. 7. Sri Tribhuban Mahato. 8. Sri Baij Nath Shaw. 9. Janab Anwarullah. 10. Sri Mahabir Shaw. 11. Sri Sib Pujan Shaw. 12. Sri Sahadeb Das. 13. Sri Natha Goala. 14. Sri Ram Shaw. 15. Sri Mohonlal Banerjee. 16. Sri Harinath Dubay. 17. Sri Sunil Pr. Gupta. 18. Sri Ram Lakhan Gupta. 19. Sri Muneswar Goala. 20. Sri Rameshwar. 21. Sri Ram Lakhan. 22. Sri Joy Deo Khan. 23. Sri Nagina Goala. 24. Sri Sakhi Chand Shaw. 25. Sri Lalu Pandit. (Person in occupation of the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One storeyed building and partly one and partly 2 storeyed brick built structure together with land containing 5 cottahs more or less at 165/1, Baitakkhana Road, Calcutta.

S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Calcutta-16.

Dated : 6-8-76.
Sea'

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA-16.

Calcutta-16, the 6th August 1976

Ref. No. TR-234/C-230/Cal-1/75-76.—Whereas, I, S. K. CHAKRAVARTY, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 19, situated at Creek Row, Calcutta, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 5, Govt. Place North, Calcutta, on 5-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Shri Monojaksha Bose.
Shri Urmila Roy. (Transferor)
- (2) 7. Sri Anil Kumar Bose, 2. Mr. C. Watson, 3. Mr. C. P. D. D'Reege, 4. Miss P. D'Reege, 5. Sri Hiralal Chowdhury. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Partly two storeyed and partly one storeyed brick-built dwelling house containing land measuring 4 cottah 2 chittack 37 sq. ft. more or less at 19, Creek Row, Calcutta.

S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Calcutta-16,

Dated : 6-8-76,
Seal :

FORM ITNS

(1) Shri J. M. Joshi. 2. Shri A. J. Joshi, 1420, Sadashiv Peth, Poona-30.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Prabhushreeram Sahakari Griha Rachana Sanstha Marayadit, 1420, Sadashiv Peth, Poona-30.

(Transferee)

(Enclosure to Notice No. C.A.5/Dec'75/Haveli-I (Poona)/287/76-77 dated 25-6-76).

S. No. & Name of the Purchaser

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, POONA-411004.

Poona-411004, the 25th June 1976

(3) 1. Shri Krishna Nilkanth Patil. 2. Shriman Mahadeo Karandikar. 3. Shri Sau. Sudha Laxman Kashikar. 4. Shri Yamunabai Narayan Joshi. 5. Shri Ramchandra Bhaskar Karambelkar. 6. Shri Vinayak Narayan Kurasdikar. 7. Shri Chandrashekar Madhav Potnis. 8. Shri Madhusudan Ramchandra Thakar. 9. Shri Jagdish Gangadhar Bapat. 10. Shri Satyaboth Rangrao Hirekerur. 11. Shri Shripad Laxman Bhawe. 12. Shri Sau. Shubhada Shridhar Wamburkar. 13. Shri Sudhir Vishwanath Gadre. 14. Shri Vishwanath Dattatraya Deshpande. 15. Shri Sau. Usha Vyankatesh Huprikar. 16. Shri Madhav Ramkrishana Musrif. 17. Shri Avinash Narayan Soman. 18. Shri Mohan Ramchandra Vaidya. 19. Mrs. Anuradha Ghanshyam Nene.

All at 1420-B, 1452/A/2 Sadashiv Peth Poona-30.

(Persons in occupation of the property).

Ref. No. CA/5/December/75/Haveli-I (Poona) 287/76-77.—Whereas, I, V. S. GAITONDE,

being the Competent Authority under Section 269B, of the Income-tax, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 1420-B and 1452-A/2 situated at Sadashiv Peth, Poona,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Haveli-I (Poona) on 26-12-1975,

for an apparent consideration

which is less than the fair market value

of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Free-hold Land, with a building constructed thereon having land area of 3411 square feet, at C.S. No. 1420-B, and 1452-A/2, Khajina Mahal Lane, Sadashiv Peth, Poona-30.

(Property as mentioned in the Sale-deed registered under No. 2365 of December 1975, of the Registering Authority, Haveli-Poona).

V. S. GAITONDE,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Dated : 25-6-1976.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, POONA-411004.

Poona-411004, the 22nd July 1976

Ref. No. CA/5/December/75/Shrirampur/290/76-77.—

Whereas, I, V. S. GAITONDE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. C.S. No. 1987, situated at Shirampur,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 in the office of the Registering officer at Shirampur on 18-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1). (1) Shri Krishna Laxmanrao Sarode.
(2) Shri Murlidhar Laxmanrao Sarode.
All at Shirampur.

(Transferor)

- (2) 1. Shri Hiralal Fakirchand Chudiwal, 2. Shri Bhagchand Fakirchand Chudiwal, 3. Shri Motilal Fakirchand Chudiwal, 4. Shri Ramesh Janardan Tekawade, 5. Shri Ram Janardan Tekawade, 6. Shri Raturaj Balasaheb Tekawade, Minor, by Guardian Smt. Usharaje Balasaheb Tekawade.
All at Shirampur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Free-hold open plot at City Survey No. 1987, Municipal Ward, No. 7, within the limit of Shirampur Municipality.
Area : 20 gunthas.

(Property as mentioned in the Register Deed No. 1250 of December 1975, of the Registering Authority Shirampur).

V. S. GAITONDE,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona.

Dated : 22-7-1976.

Seal :

FORM ITNS—

- (1) 1. Shri Nilkanth Balapa Mangaonve. 2. Shri Shivkumar Nilkanth Mangaonve. 3. Shri Ashok Nilkanth Mangaonve. 4. Shri Dilip Nilkanth Mangaonve. C.S. No. 1141, Saiex Extension, Kolhapur.

(Transferor)

- (2) Shri Nilkanth Shankar Takale. Block No. 37, Ruikar Colony, E. Ward, Kolhapur.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, POONA-411004.

Poona-411004, the 9th August 1976

Ref. No. CA/5/Kolhapur/December/75/293/76-77.—
Whereas, I, V. S. GAITONDE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Block No. 119, situated at Kolhapur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kolhapur on 6-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXV of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Free-hold, House Property at Block No. 119, Shree Shahu Market Yard, E Ward, Kolhapur.

Area : 90ft. x 47ft. 3609 sq. feet. i.e. 374.37 sq. metrs.

Bungalow : 70 ft. x 40 ft. and Shed 40 ft. x 20 ft.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 3634 of December 1975 of the Registering Authority Kolhapur).

V. S. GAITONDE,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona.

Dated : 9-8-1976.

Seal :

FORM ITNS—

- (1) 1. Shri Vasudeo Gajanan Sabnis. Plot No. 28, E Ward, Pratibhanagar, Kolhapur.
 (2) Shri Deependra Vasudeo Sabnis, Plot No. 28, E Ward, Pratibhanagar, Kolhapur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (2) Shri Baburao Balwant Mudhale, 613-C, 1st Lane, E-Ward, Shahupuri, Kolhapur.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
 ACQUISITION RANGE, POONA-411004.

Poona-411004, the 9th August 1976

Ref. No. CA/5/Kolhapur/December'75/294/of 76-77.—
 Whereas, J. V. S. GAITONDE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. C.T.S. No. 613/C situated at Kolhapur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 1908) in the office of the Registering officer at Kolhapur on 24-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Free-hold House Property at C.T.S. No. 613-C, 1st Lane, Ward E, Shahupuri, Kolhapur.
 Out of total Area. 542.6 sq. mtrs.—285.30 sq. mtrs.
 Building built in 1914-1915,
 Main Building, Ground floor 1715 sq. ft.
 Main Building, First floor 1715 sq. ft.
 Other Ground floor 376 sq. ft.

(Property as mentioned in Registered Deed No. 3702 of December 1975 of the Registering Authority Kolhapur).

V. S. GAITONDE,
 Competent Authority
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
 Acquisition Range, Poona.

Dated : 9-8-1976.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad, the 31st July 1976

Ref. No. Acq. 23-T-949(469)/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Survey No. 350-6 situated at Danilimda, Ahmedabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer officer at Ahmedabad on 29-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. Smt. Maniben w/o of Shri Gordhanbhai Shamalbhai, 2. Shri Vishnubhai Gordhanbhai, 3. Smt. Jasumatiben Vishnubhai, 4. Smt. Vidyaben Navinchandra, Danilimda, Ahmedabad.

(Transferor)

- (2) Shyam Kabadi Market. Association through President, Sheth Shyamdas Karamchand, Niharika Park, Bahai Centre, Shahpur, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, in the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 5082 sq. yards bearing S. No. 350-6, and situated at Danilimda, Ahmedabad.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Dated : 31-7-76,

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Mandakiniben Bhogilal, Bhadevani Street, Bhavnagar.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Santoshpark Co-op. Housing Society Ltd., Mehta Street, Modi Fali, Bhavnagar.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD-380 009

Objections if any, to the acquisition of the said property shall be made in writing to the undersigned—

Ahmedabad, the 31st July 1976

Ref. No. Acq. 23-I-875(485)/5-1/75-76.—Whereas, I, J. Kathuria, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 117, 118, & 119 (Part plots) Plot No. 24, 25 & 49 to 56 situated at Subhash Nagar, Near Aerodome Road, Bhavnagar, and more fully described in the schedule annexed hereto has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Bhavnagar on 29-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 4760 sq. yards bearing S. No. 117, 118 & 119, Part Plot No. 24, 25 and 49 to 56, situated at Subhashnagar, Near Aerodrome Road, Bhavnagar.

J. KATHURIA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

Dated : 31-7-76,
Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Virendra Bababhai,
Near Govt. Godowns,
Shahibag, Ahmedabad.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) 1. Bhartiben Baldevbhai Patel,
4, Parvatinagar, Asarwa, Ahmedabad.
2. Rambhai Shivramdas Patel,
6, Parvatinagar, Asarwa, Ahmedabad.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD-380 009Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Ahmedabad-380 009, the 6th August 1976

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said
immovable property, within 45 days from the
date of the publication of this notice in the Official
Gazette.EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are
defined in Chapter XXA of the said Act
shall have the same meaning as given in
that Chapter.

Ref. No. Acq. 23-I-1112(488)/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Survey No. 72-2-A, 72-1 Part FP No. 213, 214-Part sub-Plot No. 7 of TPS No. 8 situated at Asarwa, Ahmedabad (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 15-12-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the 'said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 541 sq. yards bearing S. No. 72-2-A, 72-1 Part, Final Plot No. 213, 214 Part, Sub-Plot No. 7 of T.P. Scheme No. 8, and situated at Asarwa, Ahmedabad.

J. KATHURIA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I
Ahmedabad.

17—216GI/76

Date : 6-8-1976

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th August 1976

Ref. No. Acq. 23-I-1113(489)/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Survey No. 72-2-A, 72-1 Part, FP 213, 214 Part, SP No. 15 TPS 8, situated at Asarwar, Ahmedabad.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ahmedabad on 30-12-1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 369D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Virendra Bababhai,
Near Govt. Godowns,
Shahibag, Ahmedabad.

(Transferor)

(2) 1. Shri Ravindrabhai Purshottamdas Vyas,
3, Rang Sujlam Society, Ankoor Road,
Naranpura, Ahmedabad.

2. Smt. Manoramaben Natwarlal,
Gurjarni Pole, Prenteej, Distt. Sabarkanta.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 553 sq. yards bearing Survey No. 72-2-A, 72-1-Part, Final Plot No. 213, 214 Part, Sub-Plot No. 15, T. P. Scheme No. 8, situated at Asarwa, Ahmedabad.

J. KATHURIA

Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 6-8-1976

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Maganlal Ranchhodlal Patel,
2-B, Maskati Market, Ahmedabad.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) M/s. Shakti Brick Works (firm)
Near New G. Ward, Kubernagar, Ahmedabad.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
AHMEDABAD-380 009Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned—(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said im-
movable property, within 45 days from the date
of the publication of this notice in the Official
Gazette.

Ahmedabad-380 009, the 6th August 1976

Ref. No. Acq. 23-I-1114(490)/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Survey No. 154-A, 154-B, Naroda, Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 2-12-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 5542 sq. yds. bearing S. No. 154-A & 154-B situated at Naroda, transferred under registration No. 19367 dated 2-12-1975.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Near New G. Ward, Kubernagar, Ahmedabad.
Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Date: 6-8-1976
Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Maganlal Ranchhodlal Patel,
2-B, Maskati Market, Ahmedabad.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Shakti Brick Works (firm)
Near New G. Ward, Kubernagar, Ahmedabad.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th August 1976

Ref. No. P. R. No. Acq. 23-1-1115(491)/1-1/75-76.—
Whereas, I, J. KATHURIA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Survey No. 154-A, 154-B, situated at Naroda, Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad, on 3-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Open plot of land admeasuring 9921 sq. yards bearing S. No. 154-A & 154-B situated at Naroda, Ahmedabad and transferred under registration No. 19400 dated 3-12-1975.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I
Ahmedabad.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Date : 6-8-1976

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th August 1976

Ref. No. P. R. No. Acq. 23-I-1116(492)/1-1/75-76.—
Whereas, I, J. KATHURIA,

being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 324, 325, 326 Plot B of TPS 26 situated at Vasana, Ahmedabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 10-12-1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value

of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Dr. Kanubhai Manilal Shah,
Municipal Servants Society,
Kankaria Road,
Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Anupama Co-op. Housing Society,
through its—
Chairman, Shri Prakash Ratilal Shah,
5, Gangadhar Society,
Rambag, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 800 sq. yds. bearing S. No. 324, 325, 326 Sub-Plot No. B of TPS No. 26 situated at Vasana, Ahmedabad.

J. KATHURIA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I
Ahmedabad.

Date: 6-8-1976

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 6th August 1976

Ref. No. Acq. 23-1-1117(493)/1-1/75-76.—Whereas, I,
J. KATHURIA,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act') have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing
S. No. 324, 325, 326, FP No. 166, of TPS No. 26 situated at
Vasana, Ahmedabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of
1908) in the office of the Registering
Officer at Ahmedabad, on 10-12-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the parties
has not been truly state in the said instrument of transfer with
the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act in
respect of any income arising from the transfer;
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,
1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section
(1) of section 269D of the said Act, to the following persons,
namely :—

(1) Bhalchandra Shanlal Modi,
Shrinath Colony,
Bhairavnath Road,
Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Anupam Co-op. Housing Society,
Through its Chairman,
Shri Hasmukhlal Ratilal, Rambag,
Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons, which-
ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said
immovable property, within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said Act
shall have the same meaning as given in
that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land admeasuring in all 923 sq. yards bearing S. No.
324, 325 and 326, F.P. No. 166, S. P. No. 2 (Part), of TPS
No. 26, situated near Vasana, Ahmedabad transferred under
two different documents the details of which are as under :—

S. No. Area, Sub-Plot No. Regn. No. and dt. Consideration.

1. 613 sq. yds. 3 & 4, 19958/10-12-75 Rs. 36,780/-
2. 310 sq. yds. 2, 19960/10-12-75, Rs. 25869/60.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Dated : 6-8-1976.

Seal :

FORM ITNS

(1) Ketkiben Daughter of Ramchandra
Dayashankar Pandya,
Box No. 188, Rocky Mount,
North Carolina.

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(Transferor)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Smt. Ataka M. Punawala & others,
C/o G. A. Latif & Sons,
Revdi Bazar, Ahmedabad.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 6th August 1976

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a
period of 45 days from the date of publication
of this notice in the Official Gazette or a period
of 30 days from the service of notice on the
respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said
immovable property, within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
Official Gazette.

Ref. No. Acq. 1118(494)/1-1/75-76.—Whereas, I,
J. KATHURIA,
being the Competent Authority under Section
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (herein-
after referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 311, FP No. 13 SP No. 28 of TPS No. 6 situated at
Thakkar Prabhudas College Road, Paldi, Ahmedabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Ahmedabad on 23-12-1975
for an apparent consideration which is less than the
fair market value of the aforesaid property and I have
reason to believe that the fair market value of the property
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by
more than fifteen per cent of such apparent consideration and
that the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument
of transfer with the object of—

EXPLANATION :—The terms and expressions used here-
in as are defined in Chapter XXA of the
said Act, shall have the same meaning as
given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act,
1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons, namely :—

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 540 sq. yds bearing S.
No. 311, F.P. No. 13, S.P. No. 28 of T.P.S. No. 6, situated
at Thakkar Prabhudas College Road, Paladi, Ahmedabad.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 6-8-1976

Seal :

FORM ITNS

- (1) 1. Narmadaben Balashankar Shukla,
2. Kishorechandra Balashankar Shukla,
3. Rameshchandra Balashankar Shukla,

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (2) 1. Shri Haji Osman, Haji Aziz,
2. Shri Haji Hasun Haji Aziz,

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

Ahmedabad-380009, the 6th August 1976

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. Acq. 23-I-1119(495)/10-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason

to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 10, Plan No. 6 of Jampuri Estate situated at Bedi Bunder Road, Jamnagar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jamnagar on 16-12-1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 9600 sq. feet bearing plot No. 10, Plan No. 6 of Jampuri Estate, situated at Bedi Bandar Road, Jamnagar.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 6-8-1976
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 6th August 1976

Ref. No. Acq. 23-I-1120(496)/10-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. City Survey No. 6, Main Part Y-I situated at Outside Bedil Gate, Sharu Section Road, Jamnagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Jamnagar on 12-12-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

18 216 GI/76

- (1) M/s. Indian Construction Co.,
Opp. Town Hall,
Jamjodhpurwala Building, Jamnagar
Through Partners:—
(1) Shri Naranbhai Kachrabhai Patel,
(2) Shri Vinodrai Naranbhai Patel. (Transferor)
- (2) Shri Sujjan Co-op. Housing Society,
Opp. Apna Bazaar, Jamjodhpurwala bldg.
Jamnagar. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 21000 sq. ft. bearing City Survey No. 6 Main Part Y-I, situated at outside Bedil Gate, Sharu Section Road, Jamnagar.

J. KATHURIA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date: 6-8-1976

Seal:

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 6th August 1976

Ref. No. Acq. 23-I-1121(497)/16-6/75-76.—Whereas, 1, J. KATHURIA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Survey No. 450, situated at Kalawad Road, Rajkot (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on 30-12-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Bhogilal Girdharilal Kotak,
Panchnath Plot, Sheri No. 1,
Rajkot. (Transferor)

(2) Shri Maganlal Mapabhai Patel,
Near Chaudhari High School,
Rajkot. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 1 Acre, bearing S. No. 450 situated at Kalavad Road, Rajkot.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 6-8-1976
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 6th August 1976

Ref. No. Acq. 23-1-912(500)/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 323 (Part), Hissa No. 36 Part FP No. 252-Part of TPS No. 24, situated at Khokra Mehmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Ahmedabad on 12-12-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) M/s. Shriji Corporation (firm) through its Managing Partner : Shri Narendra Mohanlal Talati, 3-Jivanpran Society, Bhairavnath Road, Ahmedabad. (Transferor)
- (2) Pathey (Maninagar) Co-op. Housing Society Ltd., through Chairman : Shri Maganlal Gandhalal Mistri, Secretary : Shri Ravindra S. Patel, Committee : Shri Harshadrai Ranchhodji Desai, Member. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 1815 sq. yards bearing S. No. 323 (Part), Hissa No. 36 (Part), Final No. 252 (Part) of T.P.S. No. 24, situated at Khokhra Mehmedabad, Ahmedabad.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 6-8-1976

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 6th August 1976

Ref. No. Acq. 23-I-831(501)/11-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA, being the competent authority under section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 2, 3 & 4 situated at outside Majewadi Gate, Junagadh (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Junagarh on 30-12-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the (consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) S/Shri 1. Patel Manganlal Chhaganlal,
2. Ushaben Rasiklal,
3. Manjula Gauri Kanjibhai,
4. Shantilal Jivabhai,
5. Patel Vithaldas Jivabhai,
6. Patel Gopaldas Gandadal,
7. Patel Manganlal Laljibhai,
8. Jamakuben Laljibhai,
9. Kanjibhai Gopalbhai,
10. Patel Vithaldas Bavanji,
11. Patel Damji Mohan
Junagarh.

(Transferor)

- (2) Patel Dhirajlal Manjibhai,
C/o M/s. Lalit & Co., Junagadh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property situated outside Majewadi gate, Junagadh, bearing Plot No. 2, 3, & 4, with land admeasuring 2828-62-77 sq. metres.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 6-8-1976
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 6th August 1976

Ref. No. Acq. 23-I-1122(502)/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. CTS No. 4304, 4305, 4306, situated at Panchkuva, Mirghawad, Kalupur Wd-I, Ahmedabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 22-12-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Keshwani Bros, through its partners :—

1. Shri Aildas Bhagwandas Keswani,
 2. Shri Gopichand Bhagwandas Keshwani,
 3. Shri Puranchand Bhagwandas Keswani,
 4. Shri Vasudev Parsram Keswani,
 5. Shri Pokedas Dwarkadas Keswani,
- Cutlery Merchants, Keswani Bldg., Mirghawad,
Panchkuva, Ahmedabad-1.

(Transferor)

(2) Shri Tolaram Jadikram Otvani,
7, Siond Model Society,
Near Old Vadej Bus Stand,
Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One shop bearing private number 6, admeasuring 16.22 sq. mtrs. situated in the building known as "Purshram Chambers" bearing C.T.S. No. 4304, 4305, and 4306, Kalupur Ward No. 1, Panchkuva Mirghawad, Ahmedabad.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 6-8-1976
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 6th August 1976

Ref. No. Acq. 23-I-1123(503)/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. CTS No. 4304, 4305 and 4306, situated at Panchkuva, Mirghawad, Kalupur Ward No. I, Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 17-12-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) M/s. Keswani Bros. through its partners:—
S/Shri
1. Aildas Bhagwandas Keswani
2. Gopichand Bhagwandas Keswani,
3. Puranchand Bhagwandas Keswani,
4. Vasudev Purshram Keswani,
5. Pokedas Dwarkadas Keswani,
Cutlery Merchants Keswani Bldg., Mirghawad, Panchkuva, Ahmedabad.
(Transferor)
- (2) Shri Chellaram A. Lalwani,
11, Hill Park Co-op. Housing Society,
Kawkaria, Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One room bearing private No. 7, admeasuring 14.7 sq. metres, situated in the building known as "Parsram Chambers" bearing C.T.S. No. 4304, 4305, and 4306, Kalupur Ward No. I, Panchkuva Mirghawad, Ahmedabad.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 6-8-1976
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

MADRAS-6, the 5th August 1976

Ref. No. 80/DEC/75-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 354, 96/1 & 96/2, situated at Kaveripatti village Koneripatti village, Salem district (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Edappadi (Doc. No. 1545/75), on December 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration to such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) 1. Shri M. V. Duraisami Reddiar,
Muyuliyur Sennapati village, Salem Dt.,
2. Shri N. Visvanatha Chettiar,
3. Shri V. Kumar
4. Shri V. Govindarajulu Gupta
5. Parimala
6. Vilasavathi
minors by father & guardian Shri Visvanatha Chettiar
(Transferor)

- (2) 1. Shri Kandappa Gounder S/o Shri Sengoda Gounder,
Uppupalayam Fachangattu Valavu,
Padaveedu village, Salem Dt.,
2. Shri Kandappa Gounder S/o Chinna Gounder
3. Shri Gurunatha Gounder S/o Chinna Gounder
4. Shri Perumal Gounder, S/o
Verrukattu Valavu,
Modamangalam village, alem district.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural lands measuring 6.35 acres in Survey Nos. 354 (2.76 acres) & 96/1 (3.59 acres) in Kaveripatti Agraharam village and 75 cents in survey No. 96/2, Koneripatti village, Salem district.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Date : 5-8-1976.

Seal :

FORM ITNS ———

(1) Shri Ramasamy, S/o Subbu Chettiar, Kaniyalampatti, Kattu Valavu, Thevoor village, Sankari Tq., Salem district.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri K. S. Palaniappan, S/o Sengoda Gounder, Kaniyalampatti, Kattu Valavu, Thevoor village, Sankari Tq., Salem district.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Madras-6, the 5th August 1976

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Ref. No. 81/DEC/75-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

No. 47/1 & 47/2, situated at Koneripatti village, Salem district (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Idappadi (Doc. No. 1571/75) on December, 1975 for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

Agricultural lands measuring 1.65½ acres in Survey Nos. 47/2 (0.22 acres) and 47/1 (1.43½ acres), Koneripatti village, Salem Dt.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

Date : 5-8-1976.

Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 5th August 1976

Ref. No. 82/DEC/75-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 47/1 & 47/2, situated at Koneripatti village, Salem district (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Idappadi (Doc. No. 1572/75) on December 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

19--216GI/76

(1) Shri S. Venkatachalam, S/o Subbu Chettiar, Kaniyalampatti, Kattu Valavu, Thevvoor village, Sankari Tq., Salem district.

(Transferor)

(2) Shri K. S. Palaniappan, S/o Sengoda Goundar, Kaniyalampatti, Kattu Valavu, Thevvoor Village, Sankari Tq., Salem district.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural lands measuring 1.65½ acres in Survey Nos. 47/2 (0.22 acres) and 47/1 (1.43½ acres) Koneripatti village, Salem district.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Date : 5-8-1976.

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri P. Veeraraghavalu Chettiar, 94/95, Chengaluneer Pilliar Koil St., George Town, Madras-1.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri G. Krishnan, No. 9, Muthukurarasami Mudali St., Perambur, Madras-11.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 7th August 1976

Ref. No. 106/DEC/75-76.—Whereas, I G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2/65, situated at Pophams Broadway, Madras-1 (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sowcarpet, Madras (Doc. No. 935/75) on 31-12-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice of the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice, on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1716 sqft. with building thereon at door No. 2/65 (R.S. No. 5449), Pophams Broadway, Madras-1.

G RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Date : 7-8-1976.

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri M. P. Lokiah, 358, Poonamallee High Road, Aminjikarai, Madras-29.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri M. Sivashanmugham, 23, New Avadi Road, Madras-10.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 7th August 1976

Ref. No. 63/DEC/75-76.—Whereas, I G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 358, situated at Poonamallee High Road, Madras (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Madras (Doc. No. 3411/75) on December 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Land measuring 2 grounds and 1200 sq. ft. with a thatched shed at door No. 358 (R.S. No. 70/10B), Poonamallee High Road, Madras-29.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-6.

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 7-8-1976.

Seal:

FORM ITNS

(1) Sri Ajai Shanker s/o Sri Rama Shanker Ji, r/o 415,
Chuna Kankar City, Mathura.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri Sughar Singh s/o Shri Kanhi Singh r/o Bandi
Teh Sadabad Distt, Mathura.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR.Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Kanpur, the 13th July 1976

No. Acq/1002-A/Mathura/75-76/846.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

As per schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Mathura on 6-12-75,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of

the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the 'said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian liability of the transferor to pay tax under Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Immovable property No. 33 measuring 1668 sq. ft. at Krishnapuri, Mathura, transferred for an apparent consideration for Rs. 38,000/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

Date : 13-7-1976.
Seal :

FORM ITNS—

(1) Dr. D. P. Agarwal s/o Sri Ram Gopal r/o Gopal Batika, P. L. Sharma road, Meerut City.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 4th August 1976

Ref. No. F. No. Acq/982-A/Meerut/75-76/946.—Whereas, I VIJAY BHARGAVA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Meerut on 3-12-75 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(2) Dr. S. R. Bhargava s/o Late. Shri Janki Raman Bhargava r/o Vijay Nagar, Meerut City.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

immovable property No. 977, 978, 978-A, 979, 979/1 and 980 measuring 991 sq. yds. situated at P. L. Sharma Road, in Gopal Batika, Meerut City, transferred for an apparent consideration for Rs. 1,00,000/-.

VIJAY BHARGAVA,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 4-8-1976.

Seal :

FORM ITNS

(1) Sri Subhash Chand Makar (Verma) s/o Shri Sohan Lal c/o Verma Foot Wear Chowk, Kanpur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Sri Sant Niran Kari Mandal (Registered) Head Office Delhi-9, through S. Aya Singh Sant Nirankari Mandal Block. Sub Plot No. 7, Govind Nagar, Kanpur.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 4th August 1976

Ref. No. F. No. Acq./1033-A/KNP/75-76/947.—Whereas, I VIJAY BHARGAVA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

As per schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 18-12-75

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property No. Sub Plot No. 8 of Plot No. 3, Block K, measuring 1000 sq. yds, situated at Block K, Govind Nagar, Kanpur, transferred for an apparent consideration for Rs. 64,393.24.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 4-8-1976.

Seal :

FORM ITNS

(1) M/s Swadeshi Cotton Mills Co., Ltd. Juhi, Kanpur.
(Transferor)NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) 1. Shri Satya Narain 2. Sri Bhagwati Pd sons of Sri
Raghu Nath Pd all r/o Village Post, Ghatampur
Distt, Kanpur.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR.(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the res-
pective persons, whichever period expires later;

Kanpur, the 5th August 1976

(b) by any other person interested in the said
immovable property within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
Official Gazette.Ref. No. Acq/50-A/Kanpur/76-77/959.—Whereas, I VIJAY
BHARGAVA,being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No.As per schedule situated at as per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of
1908) in the office of the Registering Officer
at Kanpur on 4-12-75for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair
market value of the property as aforesaid exceeds the
apparent consideration therefor by more than fifteen percent
of such apparent consideration and that the consideration
for such transfer as agreed to between the parties has not
been truly stated in the said instrument of transfer with
the object of :—EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are
defined in Chapter XXA of the said Act, shall
have the same meaning as given in that
Chapter.(a) facilitating the reduction or evasion of the
liability of the transferor to pay tax under the said
Act in respect of any income arising from the
transfer; and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purpose of the Indian Income Tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax
Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Immovable property No. Plot No. 19 measuring 866.66 sq.
yds., situated at 133/60, Anandpuri Colony, Juhi, Kanpur.,
transferred for an apparent consideration for Rs. 77,999.40.VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kanpur.Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act to the following
persons, namely :—Date : 5-8-1976
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 5th August 1976

Ref. No. F. No. Acq/1035-A/Kanpur/75-76/960.—Whereas, I VIJAY BHARGAVA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at As per schedule and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 18-12-75 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Bhagwati Pd Tiwari 2, Sri Raj Kumar Tiwari sons of Late Pt. Balbhadra Pd Tiwari 3. Smt. Gulab bai w/o Late Pt. Balbhadra Pd Tiwari all r/o 4/281, Parwati Bagla roa, City, Kanpur.

(Transferor)

(2) Sri Mohan Lal Batham s/o Sri Janki Pd Batham r/o Gumti No. 9 Shora Godown, City, Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property No. 4 measuring 200 sq. yds situated at Mauza Bary Akbarpur Parg and Dist., Kanpur transferred for an apparent consideration for Rs. 11,600/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date: 5-8-1976

Seal:

FORM ITNS

- (1) Smt. Hafeeza Begum w/o Late Abdul Akhlak r/o 6/7, Galibpura Kala Chauraha Nal Band, Agra.
(Transferor)
- (2) Shri Vineet Khera (minor) s/o Sri Ram Prakash ji Khera 2. Smt Indra Khera w/o Sri Ram Prakash Khera r/o Chauraha Nal Band, Agra.
(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Kanpur, the 5th August 1976

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. F. No. Acq/1139/Agra/75-76/965.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at As per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Agra on 31-12-75 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION : —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income Tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Immovable property No. 6/5-6, Galibpura Kala Nalband measuring (511½)—(511½) situated at Agra transferred for an apparent consideration for Rs. 43,000/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kanpur.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—
20—216GI/76

Date : 5-8-1976
Seal :

FORM ITNS

(1) Smt Hafiza Begum W/o Late Akhlak Sahib, r/o 6/7, Galibpura, Kala Nai Mandi, Agra.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shrimati Indra Khara w/o Sri Ram Prakash ji Khara r/o 6/5-6 Nal Band Chauraha, Agra.

(Transferor)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 5th August 1976

Ref. No. F. No. Acq/1135/75-76/Agra/966.—Whereas, I VIJAY BHARGAVA,

being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said' Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at As per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Agra on 22-12-75

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'Said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property No. 6/5-6 Galibpura Kala measuring 256 sq. yds situated at Agra, transferred for an apparent consideration for Rs. 43,000/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income Tax,
Acquisition Range, Kanpur.Date: 5-8-1976
Seal.

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 6th August 1976

Ref. No. F. No. Acq/1103/Hapur/75-76/961.—Whereas, I
VIJAY BHARGAVA,being the Competent Authority under section 269B
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter
referred to as the 'said Act') have reason to believe that the
immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.As per schedule situated at As per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of
1908) in the office of the Registering Officer
at Hapur on 22-12-75for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of
the transferor to pay tax under the said Act in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act,
1957 (27 of 1957)Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of
the aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act to the follow-
ing persons, namely :—(1) Shri Daloo Urf Dalloo s/o Hira r/o Hapur, Mohal-
lah Morepur, Teh Hapur, Distt. Meerut.

(Transferor)

(2) Nav Jyoti Sahakari Grah Nirman Samiti Hapur Distt
Meerut.through Sri Kumar Garg s/o Sri Chaman Lal r/o
Jawahar Nagar ganj Hall Bank Colony Sri Nagar
Hapur Distt Meerut 2. Sri Ram Kumar Sharma s/o
Sri Raghunand Pd r/o 156 Jawaharganj, Hapur Distt
Hapur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons which-
ever period expires later;(b) by any other person interested in the said
immovable property within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expression used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property No. Khasra 2245 measuring 13 biswa
situated at Municipal limit, Hapur, transferred for an apparent
consideration for Rs. 22,929/-.

VIJAY BHARGAVA,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of

Income-Tax

Acquisition Range, Kanpur.

Date : 6-8-1976.

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Bhagwati Pd Tiwari r/o 4/281, Parwati Bagla Road, Kanpur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Shri Badri Singh r/o 76/544, Coolje Bazar, Kanpur.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 6th August 1976

Ref. No. F. No. Acq/1077/Kanpur/75-76/962.—Whereas, I VIJAY BHARGAVA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Kanpur on 31-12-75 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property No. Plot No. 39 and 40, Mauza Bary Akbarpur Parg and Distt, Kanpur, measuring 400 sq. yds., transferred for and apparent consideration for Rs. 18,000/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date: 6-8-1976.

Seal:

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th August 1976

Ref. No. F. No. Acq/1072/Kanpur/75-76/968.—Whereas,
I, VIJAY BHARGAVA,being the Competent Authority under Section
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (here-
inafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearingNo. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer at
Kanpur on 20-12-1975,for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or
any moneys or other assets which have not
been or which ought to be disclosed by the
transferee for the purposes of the Indian
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the
said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under
sub-section (1) of Section 269D of the said Act: to the fol-
lowing persons, namely:—

(1) 1. Shri Bhagwat Pd. Tiwari 2. Sri Raj Kumar Tiwari
sons of Late Pt. Balbhadra Pd. Tiwari 3. Smt. Gulab
Baj w/o Late Pt. Balbhadra Pd. Tiwari r/o 4/281,
Parwati Bagla Road, Kanpur.

(Transferor)

(2) 1. Shri Bhagwan Das (minor) s/o Sri Chedi Lal
Rafaqat Chedi Lal 2. Sri Sati Pd. (minor) s/o Sri
Moti Lal all r/o Guttaya Bazar, Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in
that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property Plot No. 45, 270 sq. yds. situated at
Mauza Bary Akbarpur Parg and Distm, Kanpur transferred
for an apparent consideration for Rs. 12,000/-.

VIJAY BHARGAVA

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,

Acquisition Range, Kanpur

Date : 6-8-1976

Seal :

FORM ITNS ———

(1) 1. Shri Bhagwat Pd. Tiwari 2. Sri Raj Kumar Tiwari sons of Sri Pt. Balbhadra Pd. Tiwari 3. Smt. Gulab Bai w/o Late Pt. Balbhadra Pd. Tiwari all r/o 4/281, Parwati Bagla Road, Kanpur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Smt. Savitri Devi w/o Sri Ram Krishna Katiyar r/o 53/7, Vijay Nagar, Kanpur.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Kanpur, the 6th August 1976

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. F. No. Acq/1070/Kanpur/75-76/969.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA, being the Competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at As per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 20-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in this Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property Plot No. 46 measuring 200 sq. yds. situated at Mauza Bary Akbarpur Parg Distt, Kanpur, transferred for an apparent consideration for Rs. 12,000/-.

(a) facilitating the reduction or evasion of liability the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

VIJAY BHARGAVA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 6-8-1976

g

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th August 1976

Ref. No. F. No. Acq/1081/Kanpur/75-76/970.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at As per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Kanpur on 31-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) 1. Sri Chiman Lal Bhatia 2. Sri Manohar Lal Bhatia.
3. Sri Roshan Lal Bhatia 4. Sri Guru Bukhash Singh
sons of Sri Sawan Mal Bhatia Partners of M/s Bhatia
Safe works 47, Factory area Fazalganj, Kanpur.
(Transferor)

(2) M/s Malik Traders Regd. Partnership 111 A
Mahatma Gandhi road Bombay through Sri Tilak
Raj Sehgal s/o Sri Ject Ram Sehgal r/o 7/183 J.
Swaroop Nagar, Kanpur Regd. Partner Firm M/s
Malik Traders.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property No. Plot No. 36-37 Block T Scheme No. 1 Factory area Fazal-ganj, Kanpur measuring 10188 sq. yds. situated at 123/383 Factory area Fazalganj, Kanpur, transferred for an apparent consideration for Rs. 340,900/-.

VIJAY BHARGAVA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 6-8-1976
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th August 1976

Ref. No. F. No. Acq/1071/Kanpur/75-76/971.—Whereas,
I, VIJAY BHARGAVA,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at As per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Kanpur on 20-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Bhagwat Pd. Tiwari 2. Sri Raj Kumar Tiwari sons of Late Pt. Balbhadra Pd. Tiwari 3. Smt. Gulab bai w/o Late Pt. Balbhadra Pd. Tiwari all r/o 281, Parwati Bagla Road, Kanpur.

(Transferor)

(2) 1. Sri Chedi Lal 2. Sri Chhaji Lal sons of Sri Ram Narain r/o Guttaya Bazar, Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property Plot No. 44 measuring 193 sq. yds. and one sq. ft. situated at Mauza Bary Akbarpur Distt. and Parg. Kanpur, transferred for an apparent consideration for Rs. 11,586.67.

VIJAY BHARGAVA

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,

Acquisition Range, Kanpur

Date : 6-8-1976

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Hazi Abdul Hafiz s/o Mohd. Ramjani r/o 76/384, Coolie Bazar, Kanpur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri Musami Riyast Hussain s/o Sri Shekh Mohd. Honshal r/o 93/59, Nai Sarak, Kanpur.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Kanpur, the 7th August 1976

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. F. No. Acq/130/76-77/963.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at As per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 9-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property No. 94/90 measuring 122.2 sq. yds. situated at Nai Sarak, Kanpur, transferred for an apparent consideration for Rs. 70,000/-.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

VIJAY BHARGAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kanpur

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

21—216 GI/76

Date : 7-8-1976

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Gyan Chand Verma s/o Late Asha Singh Ji
r/o Choti Athai Nai Ki Mandi, Agra.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 7th August 1976

(2) 1. Shri Sita Ram 2. Sri Radhey Shyam sons of Sri
Ram Pd. Jatav 3. Smt. Maya Devi w/o Sri Sita Ram
4. Smt. Chameli Devi w/o Sri Radhey Shyam all
r/o Panja Madarsa Belanganj, Agra.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned—

Ref. F. No. Acq/1140/Agra/75-76/964.—Whereas, I,
VIJAY BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to
as the 'Said Act'), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer at
Agra on 26-12-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of trans-
fer with the object of:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons which-
ever period expires later;(b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expressions used
herein as are defined in Chapter XXA of
the Said Act shall have the same meaning
as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);Immovable property No. 14/18 measuring 313 sq. yds.
situated Athai Khurd Nai Ki Mandi, Agra, transferred for an
apparent consideration for Rs. 47,000/-.VIJAY BHARGAVA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
Section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following
persons, namely:—

Date : 7-8-1976

Seal :

FORM ITNS

(1) 1. Shri Jai Pal 2. Sri Raja Ram sons of Lakhi Ram
r/o Village Syedpura Parg Manglore, Teh. Roorkee
Distt. Saharanpur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 7th August 1976

Ref. No. F. No. Acq/1124/Roorkee/75-76/967.—Whereas,
I, VIJAY BHARGAVA,
being the competent authority under section 269B
of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter
referred to as the 'said Act'), have reason to
believe that the immovable property, having a fair market
value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described
in the Schedule annexed hereto), has been transferred under
the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the
Registering Officer at
Roorkee on 26-12-1975,
for an apparent consideration which is less than
the fair market value of the aforesaid property and I have
reason to believe that the fair market value of the property
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by
more than fifteen per cent of such apparent consideration and
that the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument
of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for the
purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of
1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957
(27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section
(1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons,
namely :—

(2) 1. Shri Surendra Pal Tyagi s/o Sri Hukum Singh 2.
Sri Manoj Kumar (Minor) s/o Sri Bishamber Father.
(Self) r/o Village Tansipur Parg Bhagwanpur Teh.
Roorkee Distt. Saharanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property Khasra No. 42/2 measuring 9 bigha, 4
bishwa and situated Village Syedpura Parg Manglore Teh.
Roorkee Distt. Saharanpur, transferred for an apparent con-
sideration for Rs. 28,500/-.

VIJAY BHARGAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 7-8-1976

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Sri Anil Gupta s/o Sri Krishna Lal Gupta
r/o Bombay.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Shri Daulat Ram s/o Sri Topan Dass r/o, 111/93,
Ashok Nagar, Kanpur.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPURObjections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned—

Kanpur, the 9th August 1976

Ref F. No. Acq/949-A/Kanpur/75-76/972.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at As per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Kanpur on 6-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property 1679 measuring 4.4, bigha situated at Village Bary Akbarpur Dist., Kanpur, transferred for an apparent consideration for Rs. 65,000/-.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

VIJAY BHARGAVA

Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,

Acquisition Range, Kanpur

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

Date : 9-8-1976

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Surendra Kumar Jain & others.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Rehmatullah & others.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 14th July 1976

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons which-
ever period expires later;(b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. 95-R(A)/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to
as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing

No. Plot which is situated at Chandpur Mohalla Bazar (Near
Jama Masjid) Bijnore.

(and more fully described in the Schedule annexed
hereto), has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Chandpur on 20-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act,
in respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein, as
are defined in Chapter XXA of the 'said
Act', shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

A freehold plot which is situated at Mohalla Bazar Near
(Jama Masjid) Bijnore. In East house of Kasavan, West
Govt. Road, North house of Kasavan & in South Araji
Chandi Prasad.

A. S. BISEN

Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Lucknow

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section
(1) of section 269D of the said Act to the following persons,
namely :—

Date : 14-7-1976

Scal :

FORM ITNS—

(1) Shri Kirti Prakash & others.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Rahmatullah & others.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Lucknow, the 14th July 1976

No. 95-R(B)/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot which is situated at Chandpur Mohalla Bazar near Jama Masjid Distt. Bijnore. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandpur on 20-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A freehold plot which is situated at Chandpur Mohalla Bazar near Jama Masjid Distt. Bijnore. In east house of Kasvan, west house of Lallu then Govt. road, north Araji Chandi Prasad and in South way of Badlu Jama Masjid.

A. S. BISEN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Date : 14-7-1976

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Chandi Prasad Jain.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)
GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri Rahmatullah & others.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 14th July 1976

Ref. No. 95-R(C)/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. which is situated at Chandpur Moh. Bazar near Jama Masjid, known as Rajawali, Distt. Bijnore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandpur on 20-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated

in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A freehold plot which is situated at Chandpur Moh. Bazar near Jama Masjid known as Rajawali. In east house of Kasavan in west Govt. road, in north Arajī Surendra Kumar etc. and in south Arajī Kirti Prakash resides.

A. S. BISEN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 14-7-1976

Seal :

FORM ITNS—

(1) Smt. Pyari Phillips.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Lt. Col. Puran Singh Thapa.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 18th July 1976

Ref. No. 53-P/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the competent authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot & building measuring 1.01 acre, 1188.8 Sq. Yds. floor wise plinth area situated at 13, Strachey Road, Allahabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Allahabad on 3-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot building measuring 1.01 acre, 1188.8 Sq. Yds. floor-wise plinth area situated at 13, Strachey Road, Allahabad.

A. S. BISEN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 18-7-1976
Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Jagannath Prasad.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Champa Devi Pai.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) Shri Jagannath Prasad.

(Person in occupation of the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Lucknow, the 19th July 1976

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. 23-C/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-, and bearing No. As per schedule No. A Tripple storied house No. 165 situated at Mohalla Khushb hall Parvat, Mahamana Malviyanagar, Allahabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Allahabad on 12-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

A three storied building measuring 30½' × 30 9/2' with land, boundry wall No. 165 which is situated at Mohalla Khushbhall Parvat, Mahamana Malviyanagar, Allahabad.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) in the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

A. S. BISEN

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Lucknow

Now, therefore in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—
22—216GI/76

Date : 19-7-1976

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 19th July 1976

Ref. No. 24-L/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Single Storied house No. 288/35 situated at Arya Nagar, Lucknow,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering officer at Lucknow on 12-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons namely:—

- (1) Shri Prakash Chandra Saxena.
(Transferor)
- (2) Shri Lokesh Kumar Dwivedi.
(Transferee)
- (3) Sellers.
(Person in occupation of the property)
- (4) None.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATIONS :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A single storied house No. 288/35 measuring 1975 Sq. ft. which is situated at Arya Nagar, Lucknow.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 19-7-1976
Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Kamla Devi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Radhika Devi & others.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) Smt. Kamla Devi.

(Person in occupation of the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 19th July 1976

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Ref. No. 96-R/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. No. Double storied house No. 12 situated at Kala Dada City, Allahabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Allahabad on 2-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instruments of transfer with the object of :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act that have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

A double storied house No. 12 area 25'×10' which is situated at Kala Dada City, Allahabad.

A. S. BISEN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 19-7-1976

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Jaswant Singh.

(Transferor)

(2) Shri Prabhat Chandra Pramanik & others.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) Seller.

(Person in occupation of the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 20th July 1976

Ref. No. 54-P/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 488 Ka/68 situated at Niralanagar, Lucknow, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow on 24-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A pukka double storeyed house No. 488 Ka/68, measuring 3,200 sq. ft. situated at Niralanagar, Lucknow.

A. S. BISEN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 20-7-1976

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri S. Gyan Singh Bajaj.

(Transferor)

(2) Shri Jaswant Singh Sarna & others.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(3) Shri Gyan Singh Bajaj.

(Person in occupation of the property)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOWObjections, if any to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Lucknow, the 23rd July 1976

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. 34-J/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN,
being the Competent Authority under Section 269B of
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter refer-
red to as the 'Said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Banglow No. 1, situated at No. 1, Atal Road, P. S.
Sadar Cantt., Lucknow,
(and more fully described in the
schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the
Registering Officer at Lucknow on 15/16-12-1975,
for an apparent consideration which is less
than the fair market value of the aforesaid property and I
have reason to believe that the fair market value of the
property as aforesaid exceeds the apparent consideration
therefor by more than fifteen per cent of such apparent
consideration and that the consideration for such transfer as
agreed to between the parties has not been truly stated in
the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the 'said Act',
shall have the same meaning as given in that
Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the Said Act in
respect of any income arising from the transfer;
and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act,
1957 (27 of 1957).

THE SCHEDULE

A bungalow without House, Stables measuring 7,712 sq. ft.
which is situated at No. 1 Atal Road, P. S. Sadar Cantt.,
Lucknow.

A. S. BISEN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the Said Act to the following
persons, namely :—

Date : 23-7-1976

Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Shampa Devi widow of Late Sri Madhu Sudan.

(Transferor)

(2) Shri Jageer Singh & Others.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 24th July 1976

Ref. No. 35-J(A)/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), (hereafter referred to as the 'Said Act')

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 537—25, 536—18, 652—19-33, 656K—6-45 situated at Khairabad Teh & Parg Khairabad Distt Sitapur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at at Sitapur on 24-12-1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said Property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land No. 537/-25, 536/—18, 652/19-23 and 656/6.45 which is situated at village Dasailiya Teh and Parg Khairabad Distt. Sitapur.

A. S. BISEN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date: 24-7-1976

Seal :

FORM ITNS—

(1) Dr. Dharam Pratap.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Sampati Sewa Sansthan (Regd. Partnership Firm) and others.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 29th July 1976

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

Ref. No. 9-IS(A).—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. D-53/92—93 situated at Kamachchha, Varanasi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Varanasi on 18-12-1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

A Plot of land No. D-53/92-93 measuring about 15797 sq. ft. with boundrywall situated at Kamachchha, Varanasi.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 29-7-1976
Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Shakuntala and others.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 169D(I) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Sampati Sewa Sansthan (Regd. Partnership Firm) and others.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 29th July 1976

Ref. No. 9-I(C)/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. D-53/92-93 situated at Kamachchha, Varanasi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Varanasi on 18-12-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Plot of land No. D-53/92-93 measuring about 15797 sq. ft. with boundrywall situated at Kamachchha, Varanasi.

A. S. BISEN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Lucknow

Date : 29-7-1976

Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Probodh Bala.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 169D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Jugdish Chandra.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 29th July 1976

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

Ref. No. 36-J/Acq.—Whereas, I. A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 262/ and 108 situated at Chak Raghunath Pur Naini District Allahabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta on 16-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

23—216G1/76

THE SCHEDULE

A double storeyed house bearing No. 262 and 108 situated at Chak Raghunathpur Naini Distt. Allahabad.

A. S. BISEN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 29-7-1976

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Baladin Ram Jaiswal and others.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Kamla Devi Jaiswal.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 29th July 1976

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. 53-K/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 5 situated at Mohalla Maldahiya Varanasi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Varanasi on 19-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land No. 5 measuring 2222 sq. fts. situated at Mohalla Maldahiya Varanasi City.

A. S. BISEN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 29-7-1976.

Seal :—

FORM ITNS

(1) Smt. Sumitra Kunwar.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Baikunth Nath.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 5th August 1976

Ref. No. 67B/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 8-A etc. situated at Village Mahammadi Badaun, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Badaun on 19-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee, for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XX-A of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 13 Bigha, 2 Biswa, 19 Biswansi, situated at Village, Mohammadi, Distt. Badaun.

A. S. BISEN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

Date: -5-8-1976
Seal.

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 5th August 1976

Ref. No. 54—K/Δc.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. One house Single storied situated at Village Pargna and Teh. Balrampur Distt. Gonda, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gonda on 24-12-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Smt. Janki Devi.

(Transferor)

(2) Smt. Kosum Devi.

(Transferee)

(3) Transferee.

(Person in occupation of the property)

(4) Transferor.

(person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever, period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A single storied house measuring 6110 sq. ft. which is situated at Village Pargna and Teh. Balrampur Distt. Gonda.

A. S. BISEN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date: 5-8-1976

Seal:

FORM ITNS

(1) Smt. Janki Devi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Kailash Singh.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) Transferee.

(person in occupation of the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

(4) Transferee.

(person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Lucknow, the 5th August 1976

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Ref. No. 55—K/Acq.—Whereas, I, A. S. BIEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

No. One house Single storied situated at Village Pargna and Teh. Balrampur Distt. Gonda, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Gonda on 24-12-1975.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

A single storied house measuring 5330 sq. ft. which is situated at Village Pargna and Teh. Balrampur Distt. Gonda.

A. S. BIEN,

Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 5-8-1976

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 6th August 1976

Ref. No. 56—K/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot 733 sq. yds. situated at Moh. Khursheed Village Distt. Rampur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Rampur on 23-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Mumtaz Dulhan Begum.
(Transferor)
- (2) Shri Kareem Bux alias Bhura.
(Person in occupation of the property)
(Transferee)
- (3) Smt. Mumtaz Dulhan Begum.

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot measuring 733 sq. yds. which is situated at Moh. Khursheed Village Distt. Rampur.

A. S. BISEN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Lucknow

Date : 6-8-1976

Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Mumtaz Dulhan Begum. (Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Nand Kumari and others. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) Smt. Mumtaz Dulhan Begum.
(Person in occupation of the property)OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOWObjections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned—

Lucknow, the 6th August 1976

Ref. No. 18—N/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot 1154½ sq. yds. situated at Moh, Khursheed village Distt. Rampur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rampur on 23-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot measuring 1154½ sq. yds. which is situated at Moh. Khursheed Village, Distt. Rampur.

A. S. BISEN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 6-8-1976
Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Mumtaz Dulhan Begum.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Om Prakash and others.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) Transferor.

[Person in occupation of the property].

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Lucknow, the 6th August 1976

Ref. No. 9—0/Acq.—Whereas, I. A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot 1163½ sq. yds. situated at Mohalla Compound Khursheed Vila, Rampur. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rampur on 23-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

A plot measuring 1163½ sq. yds. situated at Mohalla Compound Khursheed Villa, Rampur.

A. S. BISEN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

Date : 6-8-1976

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110001

New Delhi-I, the 11th August 1976

Ref. No. IAC/Acq.I/SRIII/1038/Dec(12)/75-76.—Whereas, I, C. V. GUPTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 25/156-156A, Lajpat Nagar situated at New Double Storey, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 9-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Shri Sunder Das Motiani s/o Shri Jhamumal, r/o D-44, Amar Colony, New Delhi through his special attorney Shri Madan Lal s/o Shri Mohan Lal, r/o K-II/101, Lajpat Nagar, New Delhi. (Transferor)
- (2) Shri Murlidhar Upadhyaya s/o Late Shri Kamta Parshad Upadhyaya, r/o C-16, Nizamuddin East, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing No. 25/156-156A, New Double Storey, Lajpat Nagar-IV, New Delhi.

C. V. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date : 11-8-1976

Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Radha Kumari w/o Sh. R. Dayal
r/o C-25, Soami Nagar, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Shri Bhagwan Rai Sharma s/o
Shri Ladhu Ram Sharma
r/o C-11, Soami Nagar, New Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER
OF INCOME-TAX.ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110001

New Delhi-1, the 12th August 1976

Ref. No. IAC/Acq.I/SRII/1056 Dec.II(22)/75-76.—Where-
as, I, C. V. GUPTA,being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as
the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No.

C-1, situated at Soami Nagar, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of
1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on 30-12-1975,for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the 'said Act', in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec-
tion (1) of Section 269D of the 'Said Act', to the following
persons, namely :—Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said
immovable property, within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
Official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expressions used
herein as are defined in Chapter XXA of
the Said Act shall have the same meaning as
given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold residential plot of land measuring 300 sq. yds
together with an incomplete construction thereon bearing
No. C-1, forming part of the Soami Nagar Colony near
village Chirag Delhi, New Delhi in the state of Delhi and
bounded as under :—North—Plot No. C-2
South—Plot No. B-1
East—15' wide service Road
West—36' wide road

C. V. GUPTA

Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date : 12-8-1976

Seal :